रजिस्ट्री सं० डी-227

REGISTERED No. D-227

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1972 (आषाढ़ 31, 1894)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1972 (ASADHA 31, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग

कलकत्ता-1, दिनांक 1 जुलाई 1972

संदर्भ सं० डी० एन० बी० सी०-13/डी० जी० (एस०)-72—रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के खंड (च) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम सीमित को उक्त उपखंड के प्रयोजन के लिए वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित करता है।

संदर्भ सं० डी० एन० बी० सी०-14/डी० जी० (एस०)-72—रिजर्व बैंक आफ इंडिया, गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के खंड (च) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम सीमित को उक्त उपखंड के प्रयोजन के लिए वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित करता है।

एस० एस० शिरालकर
उप-गवर्नर

कृषि ऋण विभाग

बम्बई-18, दिनांक 3 जुलाई 1972

शुद्धि-पत्र

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कृषि ऋण विभाग द्वारा जारी की गई और तारीख 6 मई 1972 के भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 के पृष्ठ संख्या 995 में हिन्दी में प्रकाशित की गई अधिसूचना ए० सी० डी० सं० 28/A-18-71/72, दिनांक 25 अप्रैल 1972 की क्रम संख्या 5 के सामने दिए हुए "सैंट्रल बैंक ऑफ़ एम्प्लाईज़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मद्रास" **के स्थान पर** "सैंट्रल बैंक आफ़ इंडिया एम्प्लाईज़ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड मद्रास" **पढ़ा जाए।**

टी० एस० के० चारी
संयुक्त मुख्याधिकारी

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 जून 1972

सं० 1-सी० ए० (50) 72—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स, 1964 के रैगुलेशन 59 (5) के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया 1 अप्रैल, 1972 से इन्दौर में सैण्ट्रल इंडिया चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स स्टूडैंट्स एसोशिएशन की एक नयी शाखा की स्थापना करने की सहर्ष घोषणा करती है।

यह शाखा सैण्ट्रल इंडिया चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एसोसिएशन को इन्दौर शाखा के नाम से जानी जायेगी ।

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स स्टूडैन्ट्स एसोसिएशन रूल्स के रूल 4 (बी) के अन्तर्गत जैसा निर्धारित है, यह शाखा सदैव सम्बन्धित रीजनल कौंसिल या दि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एसोसिएशन के द्वारा सैण्ट्रल कौंसिल के नियन्त्रण परिवेक्षण तथा निर्देशन में कार्य करेगी तथा स्टूडैन्ट्स एसोसिएशन की शाखाओं के कार्य करने के लिए सैण्ट्रल कौंसिल द्वारा जारी किए गए निर्देशनों या ऐसे अन्य निर्देशनों द्वारा अनुशासित होगी जो समय-समय पर जारी किए जाएं ।

दिनांक 30 जून 1972

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 1 सी० ए०(53)/72—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट 1949 (1949 का 38 वां) की धारा 30 की उपधारा (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स, 1964 में निम्नलिखित संशोधन करने का जो प्रस्ताव है उसका निम्नलिखित मसौदा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी हेतु, जो इससे प्रभावित होंगे, प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि मसौदे को 21 अगस्त 1972 या उसके बाद विचारार्थ लिया जायेगा ।

उपर्युक्त मसौदे से सम्बन्धित निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की कौंसिल द्वारा विचार किया जायेगा ।

उपर्युक्त रेगुलेशनस में

I. वर्तमान रैगुलेशन 138 और 139 को निम्न प्रकार बदल लिया जाये :

'138 कौंसिल की विशेष मीटिंग'

(1) सचिव को सम्बोधित कौंसिल के फिलहाल कम से कम 25 प्रतिशत सदस्यों से प्राप्त लिखित अनुरोध पर कौंसिल की विशेष मीटिंग किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष किसी भी समय लिखित आदेश के द्वारा कौंसिल की विशेष मीटिंग बुलाने का निदेश दे सकता है ।

'139 कौंसिल मीटिंग का नोटिस'

मीटिंग के समय और स्थान के बारे में नोटिस कौंसिल के सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर ऐसी मीटिंग के कम से कम 21 दिन पूर्व भेजे जाएं और ऐसे नोटिस में जहां तक व्यवहारिक हो, मीटिंग में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण हो:

बशर्ते कौंसिल को यह अधिकार है कि वह सभापति की अनुमति से मीटिंग में प्रस्तुत किसी भी मद पर विचार करे जिसकी कोई सूचना सदस्यों को नहीं दी गई थी, बशर्ते उस मीटिंग में कम से कम कौंसिल के दो-तिहाई सदस्य उपस्थित हों ;

बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त मीटिंग के समय सभापति द्वारा प्रस्तावित किसी भी मद के बारे में प्रस्ताव उस समय तक पास हुआ नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पक्ष में दिए गए वोटों की संख्या कौंसिल के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक न हो :

बशर्ते यह भी कि विशेष मीटिंग के बारे में नोटिस ऐसी मीटिंग की तिथि से चौदह दिन पूर्व भेज दिए जायेंगे ।

स्पष्टीकरण

कौंसिल की वैध रूप से आयोजित मीटिंग में विचार किये गये किसी भी मद पर कौंसिल के निर्णय की वैधता को केवल इस प्रश्न पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस मद के बारे में उस सदस्य को सूचना नहीं दी गई थी जो उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ था ।

II. रैगुलेशन 142 के उप रैगुलेशन (2) के उपबन्ध में "सभी सदस्यों" शब्द के स्थान पर "सदस्यों के तीन-चौथाई" शब्द बदल लिये जायें ।

टी० एस० ग्रेवाल
डायरेक्टर आफ स्टडीज़
कृते सचिव

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 जुलाई 1972

सं० 25/33/72-एल० आई०—श्री ई० रामास्वामी की क्रमांक 45053-सी०, दिनांक 30-6-52 की 3000/- रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है । उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए है । जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें ।

दिनांक जुलाई 1972

सं० 25/ /72-एल० आई०—श्री धीरेश रंजन देव की क्रमांक 109023-सी०, दिनांक 22-1-68 की 4000/- रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है । यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है । उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए है । जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें ।

आर० किशोर
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 (5) के अधीन
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को, और धारा 18 (5) के अधीन
केन्द्रीय सरकार तथा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को
प्रेषित की गई 30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष
के लिए निदेशक बोर्ड की
रिपोर्ट

अगस्त 1971

(30 जून 1971 को)

निदेशक बोर्ड

श्री एस० जगन्नाथन (अध्यक्ष)
श्री वी० वी० चारी (उपाध्यक्ष)
श्री पी० एन० इमरी
डा० आर० के० हजारी
श्री एस० एस० शिरालकर
श्री एस० एल० किर्लोस्कर
श्री भास्कर मित्तर
श्री वी० एन० पुरी
श्री जे० रामदवे राव
श्री पी० एल० टंडन
श्री अरविन्द एन० मफतलाल
श्री जी० बसु
डा० वी० षण्मुगसुन्दरम्
श्री कमलजीत सिंह
श्री डी० सी० कोठारी
डा० पी० वी० गजेंद्रगडकर
डा० ए० एम० खुसरो
श्री ए० बक्शी

क्षेत्रीय समितियों के सदस्य

अध्यक्ष : श्री वी० वी० चारी

पूर्वी क्षेत्र

श्री भास्कर मित्तर
श्री जी० बसु
श्री अभिजित सेन
श्री हरिशंकर सिंघानिया
श्री के० एन० मुकर्जी
श्री एस० सौन्दरराजन
डा० यू० एन० बरदोलाइ
श्री आर० एस० पांडे
डा० एच० पी० मिश्रा

दक्षिणी क्षेत्र

डा० वी० षण्मुगसुन्दरम्
श्री एम० के० रामचन्द्र
श्री एम० विश्वनाथन
श्री एन० बी० प्रसाद
श्री वी० आई० चाकू
श्री एम० एस० पार्थसारथी

उत्तरी क्षेत्र

श्री पी० एल० टंडन
श्री जी० आर० मट्टू
श्री हरबंस सिंह
श्री विश्वंभरदास कपूर
प्रो० एन० एल० हिंगोरानी

प्रेषण-पत्र

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
बम्बई
29 सितंबर 1971
7 अश्विन, 1893 (शक)

गर्वनर
रिर्जव बैंक आफ इंडिया,
केंद्रीय कार्यालय,
बंबई ।

प्रिय महोदय,

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 (5) तथा 18(5) के उपबंधों के अनुसार मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेज रहा हूं :—

(1) 30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के वार्षिक लेखों की एक-एक प्रति;

और

(2) 30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विकास सहायता निधि समेत विकास बैंक के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट की एक प्रति ।

भवदीय
वी. वी. भारी
उपाध्यक्ष

प्रेषण-पत्र

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
बम्बई
29 सितंबर 1971
7 आश्विन, 1893 (शक)

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
बैंकिंग विभाग,
नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 (5) के उपबंधों के अनुसार मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेज रहा हूं :—

(1) 30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विकास सहायता निधि के वार्षिक लेखों की एक प्रति;

और

(2) 30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान विकास सहायता निधि के कामकाज के बारे में रिपोर्ट की एक प्रति जो विकास बैंक के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट का एक अंश है ।

भवदीय
वी. वी. भारी
उपाध्यक्ष

आर्थिक प्रवृत्तियों की व्यापक समीक्षा: 1970-71

1970-71 में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के सर्वांगीण विकास की गति को आमतौर पर बनाये रखा गया । इस वर्ष अर्थ-व्यवस्था की स्थिति कई क्षेत्रों में पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर थी । फिर भी उसमें परेशानी के कुछ आसार नजर आए हैं ।

2. इस बात के संकेत मिलते हैं कि लगातार दूसरे वर्ष वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर 5 से 5½ प्रतिशत पर बनी रही जोकि चौथी योजना का लक्ष्य था । अनाज का उत्पादन 1078 लाख टन के नए शिखर-बिन्दु पर पहुंच गया । थोक मूल्यों में 3.1 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है जबकि इसके मुकाबले 1969-70 में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और अनाजों तथा कच्चे औद्योगिक मालों के मूल्यों में कुल मिलकार सराहनीय कमी हुई है । बचतों की दर में भी तेजी आई है और सम्भवतः उनकी राशि राष्ट्रीय आय के 10 प्रतिशत के बराबर है जो 1966-67 से अब तक का उच्चतम स्तर है । घरेलू क्षेत्र की कुल वित्तीय बचतों का राष्ट्रीय आय से अनुपात शिखर स्तर पर पहुंच गया है जिसका आंशिक कारण बैंक जमा राशियों में निरन्तर तीव्र गति से होने वाली वृद्धि है । निवेश दर में ह्रास की प्रवृत्ति को न केवल रोका ही गया है बल्कि निवेशगत कार्यकलापों के फिर से कुछ जोर पकड़ने के फलस्वरूप वास्तव में वह सुधार की ओर उन्मुख हो गई है । निर्यात के क्षेत्र में, आरंभिक गत्यावरोध के होते हुए भी समग्र परिणाम उत्साहवर्धक था ।

3. इन सुखदायी उपलब्धियों के साथ परेशानी के कुछ आसार भी नजर आए हैं । औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर में पिछले वर्ष की अपेक्षा मंदी आई है और यह योजना में परिकल्पित दर से बहुत ही कम है । पूंजीगत मालों के क्षेत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता का अब तक पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है । रूई, तिलहन और इस्पात जैसे मूलभूत कच्चे माल की कमी तथा अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में असंतोषजनक श्रमिक संबंधों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान मंदी और बढ़ गई है । व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त रहा है । निर्मित माल के मूल्य जिस दर से बढ़ते रहे हैं वह 1968-69 में पाई गई वृद्धि दर से बहुत अधिक है ।

4. प्रमुख आर्थिक निर्देशक सारणी 1 में दिये गए हैं ।

सारणी 1—प्रमुख आर्थिक निर्देशक

(प्रतिशत परिवर्तन)

		1969-70	1970-71
राष्ट्रीय आय : (अप्रैल-मार्च)	वर्तमान मूल्यों पर	+8.7	..
	1960-61 के मूल्यों पर	+5.3	5.0 से 5.5*
कृषि उत्पादन (जुलाई-जून)			+6.5+6*
अनाजों का उत्पादन (जुलाई-जून)			+7.0 | 8.3*
औद्योगिक उत्पादन (जुलाई-मार्च)			+6.2+2.6
मुद्रापूर्ति (जुलाई-जून)			+9.8+12.3
मुद्रागण साधन (जुलाई-जून)			+11.6+14.0
थोक मूल्य .. सभी पण्य (आधार वर्ष :1961-62) (जून के अंत में)			+4.0 + 3.1
अनाज (जून के अंत में)			+0.6 — 2.4
औद्योगिक कच्चा माल (जून के अंत में)			+8.4— 5.1
निर्मित माल (जून के अंत में)			+7.7 + 9.0
आयात (अप्रैल-मार्च)			—17.1 +2.9
निर्यात‡ (अप्रैल-मार्च)			+4.1 +8.3
वास्तविक व्यापार संतुलन (करोड़ रुपये) (अप्रैल-मार्च)			—170 —98
इंजीनियरी मालों का निर्यात (अप्रैल-मार्च)			+25.2 + 8.
संगठित क्षेत्र में रोजगार-स्थिति (अप्रैल-सितम्बर)			+2.5 +2.7
वास्तविक घरेलू बचत** (राष्ट्रीय आय से अनुपात) (अप्रैल-मार्च)			8.7 10.0
वास्तविक निवेश** (राष्ट्रीय आय से अनुपात) (अप्रैल-मार्च)			9.6 11.1

*अनुमानित **अनधिकृत अनुमान : अप्राप्य

+ये आंकड़े अनंतिम हैं । 1970-71 में वृद्धि-दर में हुई कमी अंशतः सांख्यिकीय कारणों से हुई; कुछ इकाइयां तकनीकी विकास के महानिदेशक की बहियों में से अंतरित कर दी गई किन्तु पिछले वर्षों के लिए तदनुरूपी समायोजन नहीं किये गए ।

‡1970-71 में निर्यात में हुई वृद्धि के एक अंश का स्वरूप सांख्यिकीय है क्योंकि नवंबर 1970 से वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकीय आसूचना महानिदेशालय द्वारा निर्यातों के आंकड़े तैयार करने की क्रियाविधि में परिवर्तन कर दिया गया है ।

5. **उद्योगों में निवेश** : 1970-71 के दौरान उद्योगों में जो निवेश किए गए हैं उनके बारे में ठीक-ठीक अनुमान अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । यद्यपि गैर सरकारी औद्योगिक निवेशों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं पाई गई तथापि उनमें मामूली सुधार के संकेत मिले हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि लघु उद्योग के क्षेत्र में किए गए निवेशों में काफी तेजी आई है । मीयादी वित्त-

पोषक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता से यह पता चलता है कि निवेश के कार्यकलापों में सुधार हुआ है। यह इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी औद्योगिक निवेश में जो सुधार हुआ वह सरकारी क्षेत्र के निवेशों में पर्याप्त वृद्धि किए जाने का परिणाम न होकर अधिकांशतः स्वतः स्फूर्त था जबकि पिछले वर्षों में इस सुधार की यह विशेषता थी कि वह सरकारी क्षेत्र के निवेशों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप हुआ था। उद्योग के सरकारी क्षेत्र में यद्यपि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक निवेश किया गया तथापि वह निर्धारित लक्ष्यों से कम था।

6. **औद्योगिक निवेशों के वित्तपोषण में संस्थाओं का योगदान** : उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य मीयादी वित्त-पोषक संस्थाओं के कार्यकलापों का मूल्यांकन किया जाना है। क्र 1970-71 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलापों से गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश करने का निर्णय लेने के लिए तदनुकूल वातावरण तथा निवेश की **वास्तविक** मात्रा, दोनों ही में काफी सुधार होने के संकेत मिले हैं। प्रत्यक्ष ऋणों (निर्यात ऋणों को छोड़कर), शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी, औद्योगिक ऋणों के लिए दिए गए पुनर्वित्त तथा मशीनों के बिलों के पुनर्भाजन के रूप में **स्वीकृत** सहायता जो गैर सरकारी क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णयों की परिचायक होती है, वह पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग दुगुनी हो गई। प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों को छोड़कर) के अधीन औद्योगिक ऋणों के लिए दिए गए पुनर्वित्त और मशीनों के बिलों के पुनर्भाजन के लिए **वितरणों** की कुल राशि भी 1969-70 की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक थी। इस वर्ष की अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृतियों को देखते हुए 1971-72 में वितरणों की राशि में और अधिक वृद्धि होने की आशा है। निर्यात के क्षेत्र में इस वर्ष निर्यात में हुई वृद्धि में विकास बैंक की भूमिका भी पहले की अपेक्षा अधिक उल्लेखनीय थी। निर्यात सहायता की स्वीकृतियों की राशि जिसमें निर्यातकों को दिए गए प्रत्क्ष ऋण और निर्यात ऋण पर दिए गए पुनर्वित्त दोनों ही शामिल हैं, 1969-70 के स्तर के दुगुने से भी अधिक थी जबकि वितरणों की राशि 1969-70 के आंकड़ों से लगभग चार गुनी थी।

7. स्थूल अनुमानों के आधार पर, विकास बैंक ने इस वर्ष के दौरान उद्योग के गैर सरकारी निगमित क्षेत्र के कुल अचल निवेशों के 10 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग तथा पूंजीगत और इंजीनियरी मामलों के निर्यात के लगभग पांचवें भाग का वित्तपोषण किया है।

8. इस वर्ष औद्योगिक निवेश में जो सुधार हो पाया उसमें अन्य मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं के योगदान का उल्लेख इस रिपोर्ट में अन्यत्र किया गया है। 1970-72 के दौरान सभी आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों) ने मिलकर उद्योग के गैर सरकारी निगमित क्षेत्र के कुल अचल निवेशों में लगभग 25 प्रतिशत का अंशदान किया है।

9. **औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की नीतियां** : औद्योगिक नीतियों के क्षेत्र में भारत सरकार ने 1970 के आरम्भ में नई लाइसेंस नीति की घोषणा की थी जिसका उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया जा चुका है। नई नीति का उद्देश्य क्रोड़ (कोर) क्षेत्र तथा निर्यात अभिमुख उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन देना तथा उद्योग के छोटे और मझोले क्षेत्रों में प्रच्छन्न उद्यमशील प्रतिभाओं के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। लाइसेंस नीति को अब और अधिक उदार बना दिया गया है। इस प्रकार, एक करोड़ रुपयों तक की लागतवाली नई और विस्तार परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत मामलों के आयात से सम्बन्धित छूट की सीमा में उपयुक्त छूट दे दी गई है ताकि 5 लाख रुपयों अथवा अतिरिक्त अचल आस्तियों के 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हों, की सीमा तक आयातित पूंजीगत सामान की आवश्यकता वाले उपक्रमों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने की आवश्यकता न पड़े। इसी प्रकार, पांच लाख रुपयों की अधिकतम सीमा के अधीन जिन उपक्रमों को उत्पादन शुरू करने के तीन वर्ष बाद तक 10 प्रतिशत से अधिक आयातित घटकों अथवा वार्षिक उत्पादन के फैक्टरी पर (एक्स-फैक्टरी) मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक आयतित कच्चे मालों की आवश्यकता न पड़ती हो, उन्हें लाइसेंस जारी किये जाने की शर्तों में छूट दे दी गई है। मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा मीयादी ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने की नीति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा कर दी गई है। हाल के महीनों में लाइसेंस दिये जाने से संबंधित निर्णयों में भी कुछ तेजी लायी गई है। यह आशा की जाती है कि 1970-71 के दौरान आयातों के संबंध में जो काफी उदारता लाई गई है उसके कारण औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने और उद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के उद्यमों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो स्थापित किया गया है जिसका मुख्य कार्य अनुकूलतम कार्यक्षमता की परिस्थितियों के संदर्भ में विद्यमान लागत-संरचना का विश्लेषण और लागत घटाने के उपायों का निरूपण करना है। निर्यात के क्षेत्र में एक व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो निर्यातकों को विपणन, वित्तपोषण और उत्पाद-अनुकूलन समेत विस्तृत सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

10. लघु उद्योग के क्षेत्र में वाणिज्य बैंक अब लघु उद्योगों और अन्य छोटे उद्यमकर्ताओं की मीयादी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की ठोस नीति का पालन कर रहे हैं। अब वे ऋण की सुरक्षा के स्थान पर परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर जोर देने लगे हैं और लघु उद्योगों को दिए जानेवाले उनके अग्रिमों में तेजी से वृद्धि हुई है। इन बैंक अग्रिमों को सरलता से मुहैया करने के लिए

वित्तीय संस्थाओं द्वारा छोटे उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देने के प्रयोजन से एक ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक की परिकल्पना तथा मीयादी वित्त देनेवाली संस्थाओं द्वारा समन्वित दृष्टिकोण अपनाये जाने के फलस्वरूप यह आशा बंधी है कि पिछड़े जिलों तथा अन्य जिलों में भी औद्योगीकरण में पर्याप्त विविधता आएगी तथा उसके व्यापक प्रसार की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। अगले खंड में उल्लिखित उपायों द्वारा विकास बैंक इस प्रक्रिया में प्रमुख प्रेरक भूमिका निभाने की आशा करता है।

विकासमूलक भूमिका और कार्य

11. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी स्थापना के समय से देश के शिखर विकास बैंक तथा अन्य मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं के कार्यकलापों के समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता आ रहा है। 1970 के आरम्भ के बाद की अवधि ऐसी रही है जब बैंक अपने कार्यकलापों को ठोस आधार पर लाने तथा नए क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य कर सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलापों के नये दौर के बारे में कुछ कहने से पहले शिखर विकास बैंक के रूप में उसके कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करना समीचीन होगा।

I. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक : शिखर विकास और समन्वयकर्ता के रूप में उसकी भूमिका :

12. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विकासमूलक वित्तपोषण के क्षेत्र में शिखर विकास बैंक तथा सांस्थानिक कार्यकलापों के समन्वयकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए अनेक तंत्रों का निरूपण किया है।

13. देश के शिखर विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विविध मामलों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता भी मंजूर करनी पड़ती है। यह दुहरा दायित्व ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आता है जो टेकनालाजी की अनिवार्यताओं के कारण बहुत बड़े आकार की होती है तथा जिनके लिए भारी मात्रा में निवेश करना जरूरी होता है, उदाहरणार्थ 6 बड़ी उर्वरक परियोजनाएं, सीमेंट की दो प्रमुख विस्तार योजनाएं, चार पेट्रो-रसायन परियोजनाएं, एक मिश्र इस्पात परियोजना तथा दो एल्युमीनियम परियोजनाएं।

14. समन्वयकर्ता की भूमिका प्रमुख रूप से उस आंतर-संस्था की मासिक बैठक के जरिये निभायी जा रही है जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अध्यक्षता में भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनट ट्रस्ट आफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० भाग लेते हैं। इन बैठकों में ही परियोजनागत वित्तपोषण के क्षेत्र से सम्बन्धित स्थूल नीतियों पर विचार-विमर्श कर उन्हें समन्वित किया जाता है तथा बड़ी और मझौली परियोजनाओं के लिए सहायता संघ (कन्सौर्शियम) के आधार पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

15. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक ऋणों पर पुनर्वित्त देने तथा मशीनी बिलों का पुनर्भाजन करने की अपनी योजनाओं के माध्यम से देश भर में छोटी परियोजनाओं के लिए अनुपूरक साधनों के पूर्तिकर्ता तथा समन्वयकर्ता के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की इन योजनाओं से अनेक स्थानों का औद्योगीकरण करने में सुविधा हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपेक्षाकृत ऐसी छोटी परियोजनाओं के लिए भी प्रत्यक्ष सहायता देता रहा है जिनमें तकनीशन उद्यमकर्ताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। विकास बैंक ने विविध क्षेत्रों, उदाहरणार्थ वस्त्र उद्योग, उर्वरक, इलेक्ट्रानिक, हल्के इंजीनियरी उद्योग, इत्यादि में इन परियोजनाओं को सहायता दी है।

16. इंजीनियरी माल के निर्यात के मध्यावधिक और मीयादी वित्तपोषण के क्षेत्र में भी भारतीय औद्योगिक बैंक, बैंकों द्वारा दी गई सहायता पर पुनर्वित्त प्रदान करने तथा बैंकों की सहभोगिता से निर्यात का वित्तपोषण करने में प्रत्यक्ष योगदान देने की अपनी योजनाओं के द्वारा अपनी दुहरी भूमिका निभा रहा है। बैंकों तथा निर्यात-प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ निरंतर सक्रिय सम्पर्क बनाये रखें।

17. इसके अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगमों तथा औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी अन्य मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं के बांडों और शेयरों में अभिदान कर उनके वित्तीय ढांचे को पुख्ता बनाने में सहयोग देता है।

II. 1970 और 1971 : सुदृढ़ता लाने और नये क्षेत्रों में पहल की अवधि

18. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकास मूलक भूमिका और कार्यों में 1970 और 1971 के दो वर्षों का ऐतिहासिक महत्व है। यह अवधि सुदृढ़ता लाने तथा अन्वेषण करने की रही है। सुदृढ़ता लाने के एक अंग के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संगठन और कार्यकारी व्यवस्था को सरल और कारगर बनाया गया है तथा उनकी प्रणालियों और मानदंडों में जागरूकता लाई गई है। सुदृढ़ता लाने का कार्य भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विकास कार्यों से संबंधित है और यह एक ऐसा सर्वथा नवीन कार्य है जिसमें अनेक संभावनाएं निहित हैं। इस अवधि में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना का अभियोजन किया है।

क. संगठन एवं कार्यकारी व्यवस्था को सरल और उदार बनाना :

19. परियोजना मूल्यांकन किसी भी विकास बैंक का मूलभूत कार्य होता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल ही में इस क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं।

(i) **मूल्यांकन-व्यवस्था का पुनर्गठन :**

परियोजना मूल्यांकन की व्यवस्था को 6 परियोजना मूल्यांकन दलों में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक दल किसी विशिष्ट क्षेत्र के परियोजना-मूल्यांकन पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्रत्येक दल में एक टेक्नालाजी विज्ञ, एक अर्थशास्त्री और एक वित्तीय विश्लेषक होता है और इन विशेषज्ञों में से ही एक व्यक्ति उस दल का नेता होता है। नेतृत्व का स्वरूप किसी विशेष संदर्भ में आवश्यक कुशलता पर निर्भर करता है।

(ii) **आंकड़ों का संकलन एवं अध्ययन :**

परियोजनाओं का सार्थक एवं सोद्देश्य अध्ययन करने की दृष्टि से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों के संकलन और अध्ययन के लिए एक नया प्रोफार्मा तैयार किया गया है और इन आंकड़ों के आधार पर अध्ययन पूरे करने के लिए विकास बैंक के अनुसंधान कर्मचारी-वर्ग को सुगठित किया गया है।

(iii) **निर्यात वित्तपोषण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना :**

जो निर्यातक मीयादी वित्तपोषण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य बैंकों से निवेदन करते हैं उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने तथा उनके निर्यात वित्त के आवेदन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी दलों की नियुक्ति की गई है। इनके नाम हैं, अनौपचारिक परामर्श दल जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अन्य बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम और रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग और बैंक परिचालन एवं विकास विभाग शामिल हैं, तथा तदर्थ कार्यकारी दल जिस में विकास बैंक, संबंधित बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, तथा रिज़र्व बैंक के उक्त दोनों विभाग शामिल हैं। परामर्श दल निर्यात वित्त के क्षेत्र की व्यापक समस्याओं और नीतियों तथा इंजीनियरी माल और तकनीकी सेवाओं तथा विदेशों में मूलभूत (टर्नकी) कार्य करने और संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र की निर्यात संभावनाओं पर विचार-विमर्श करता है। परवर्ती संभावनाओं पर विचार-विमर्श करता है। परवर्ती कार्यकारी दल वाणिज्य बैंकों, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम, रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण तथा बैंक परिचालन और विकास विभागों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक जगह एकत्रित करता है ताकि किसी विशिष्ट निर्यात प्रस्ताव के लिए शीघ्र और समन्वित निर्णय लेने में सुविधा हो।

20. **समन्वय की भूमिका का प्रसार :** एक राज्य-स्तरीय आंतर-संस्थानिक दल के प्रवर्तन तथा राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों के समन्वयन के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य औद्योगिक विकास निगमों और राज्य औद्योगिक निवेश निगमों तथा कुछ ऐसी अन्य संस्थाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सुविधाओं और अनुशासन के अन्तर्गत लाया जाए, जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई हैं। अब तक केवल राज्य वित्त निगम और बैंक ही उक्त सुविधाओं और नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं। इसके अलावा, विकास बैंक ने जिन नए संवर्धन कार्यों का दायित्व संभाला है उनको निभाने में ये नई संस्थाएं काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

21. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल ही में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है जिसमें अखिल भारतीय मीयादी वित्तपोषक संस्थाएं तथा योजना आयोग, औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय और रिज़र्व बैंक प्रतिनिधि शामिल हैं। यह दल इन नयी संस्थाओं को विकास बैंक के तंत्र के साथ संबद्ध करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगा और इस प्रयोजना के लिए व्यावहारिक सिफारिशें करेगा।

ख. परियोजना चयन के मानदंडों और प्रणालियों में जागरूकता :

22. **परियोजना चयन के मानदंड :** सहायता के लिए किसी परियोजना का अनुमोदन करना वास्तव में एक कठिन समस्या है। कोई परियोजना अनेक दृष्टिकोणों अर्थात् तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय, संगठन और प्रबंध से व्यवहार्य हो सकती है। यद्यपि, परियोजना की व्यवहार्यता के ये पहलू उसके चयन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तथापि वे पर्याप्तता के मानदंड पर खरे नहीं उतरते। देश के विकास-लक्ष्यों के संदर्भ में किसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को ही उसका वास्तविक मानदंड माना जा सकता है।

23. इस क्षेत्र के उपलब्ध साहित्य तथा अन्य देशों के विकास बैंकों की कार्य-प्रणालियों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद इसके संबंध में कतिपय मानदंड निर्धारित किये गये हैं। वास्तव में विकासशील आर्थिक परिस्थितियों, विकास लक्ष्यों और सांख्यिकीय संभावनाओं के प्रकाश में इन मानदंडों का परिष्कार करने और उनको जागरूक बनाने की प्रक्रिया का कोई अंत नहीं हो सकता तथापि अब जो मानदंड बनाए गए हैं वे ऐसे हैं कि उनसे परिष्कार और जागरूकता लाने की प्रक्रिया का सूत्रपात होगा।

24. परियोजना चयन के ये मानदंड (क) किसी परियोजना के प्रति-लाभ की आंतरिक दर तथा (ख) उसमें निहित विदेशी मुद्रा की दर से संबंधित हैं। सिद्धांततः उक्त दो मानदंडों के आधार पर किसी परियोजना का चयन करना उस समय संभव होता है जब तक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारित साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो जाता, किन्तु व्यवहार में यह प्रक्रिया कारगर नहीं हो सकती क्योंकि उसका सीधा-सादा कारण यह है कि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी संस्था के पास अच्छी तरह नियोजित योजनाओं की कोई व्यापक सूची नहीं होती। अतएव परियोजना चयन की प्रक्रिया का काम उस समय शुरू होता है जब किसी परियोजना के लिए सांस्थानिक सहायता मांगी जाती है।

25. अतएव ऊपर दर्शाये गये दोनों मानदंडों के निर्धारण के लिए यह आवश्यक था कि मानक बनाए जायें। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर से संबद्ध विकास लक्ष्यों के संदर्भ में प्रति-लाभ की आंतरिक दर के लिए एक अस्थायी मानक निर्धारित किया गया है; अर्थात् जिन परियोजनाओं की वार्षिक प्रति-

लाभ दर स्थायी रूप से निर्धारित इस मानक के बराबर या उससे अधिक होगी वे सब भा० औ० विकास बैंक से सहायता पाने के योग्य मानी जाएंगी।

26. किन्तु वास्तविक आर्थिक चुनाव की दृष्टि से यह मानदंड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। किसी परियोजना की आंतरिक प्रतिलाभ की दर इतनी होने पर भी यह संभव है कि उस परियोजना के उत्पादों का इस देश में उत्पादन करने की अपेक्षा उनका आयात किया जाना देश के लिए अधिक लाभप्रद हो। ऐसे मामले में वह परियोजना स्पष्टतः आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगी और वह देश के हित की दृष्टि से निस्संदेह अयोग्य होगी। इस प्रकार योग्यता मानदंड को परियोजना में निहित विदेशी मुद्रा की दर से जोड़ा जाना चाहिए। निहित विदेशी मुद्रा की दर-अर्थात् एक अमेरिकी डालर के अर्जन-बचत की देशी लागत रिज़र्व बैंक की वर्तमान विनिमय दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

27. यह जरूरी है कि उपर्युक्त मानदंड लागू करने से पहले नीचे लिखी दो बातों को ध्यान में रखा जाए। पहली तो यह है कि कभी-कभी विकसित देशों में कुछ उत्पादों का निर्यात मूल्य उनके देशी मूल्य से बहुत कम होता है और दूसरी यह है कि किसी नये क्षेत्र में अनुभव से सीखना आवश्यक होता है। इन दो बातों के लिए प्राप्त सूचना के आधार पर फिलहाल अस्थायी रूप से एक तदर्थ मार्जन रखना पड़ेगा। इस प्रकार किसी परियोजना के चयन के लिए यह मानदंड होगा कि चुनी जाने वाली परियोजना की निहित विदेशी मुद्रा दर (प्रति अमेरिकी डालर रुपये में) अस्थायी रूप से निर्धारित मानक के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। इसका हिसाब लगाने के लिए आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर जैसी सभी अंतरण मदों को अलग कर देना चाहिए।

28. बहुधा एक परियोजना का किन्हीं वर्तमान अथवा नई परियोजनाओं से पारस्परिक घनिष्ट संबंध हो सकता है। ऐसे मामलों में आर्थिक मूल्यांकन के प्रयोजन से समूचे परियोजना समूह अर्थात् आपस में सबद्ध सारे परियोजनाओं का मूल्यांकन करना वांछनीय होगा। ऐसे मामलों में परियोजना चयन का मानदंड परियोजना समूह पर लागू होता है न कि किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं पर इस प्रकार के मूल्यांकन के अन्तर्गत किसी परियोजना के संभावित बाह्य प्रभाव अपने आप आ जाते हैं।

29. चयन के उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर अस्वीकृत किसी परियोजना अथवा परियोजना समूह का कार्यान्वयन न केवल तभी किया जाएगा जब इस बात की संभावना हो कि उसके ऐसे स्पष्ट बाह्य परिणाम अथवा उससे ऐसे अतिरिक्त आर्थिक लाभ होंगे जो व्यापक विकास उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों किन्तु विशिष्ट मानदंडों के संबंध में कोई कठोरता नहीं है और उनमें निरंतर परिष्कार और सुधार किया जा रहा है।

2—169GI/72

सहायता की प्रणालियों, क्रियाविधियों और योजनाओं का आंतरिक मूल्यांकन

30. जैसा कि किसी भी दूरदर्शी संस्था के साथ होता है, सहायता की स्वीकृति और वितरण से संबंधित योजनाओं, प्रणालियों, क्रियाविधियों और मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करने और उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा इस प्रकार की समीक्षा करने वाले आंतर-विभागीय दल से कर्मचारी वर्ग को विकास बैंक के कार्यकलापों के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाने की तथा संस्था के समग्र कार्यकलापों में सक्रिय रुचि लेने की प्रेरणा मिलेगी।

31. तदनुसार, चार दलों की नियुक्ति की गई है जो (क) सहायता की स्वीकृतियों और वितरणों के बीच के अंतर, (ख) आवेदन प्राप्त होने तथा सहायता की स्वीकृति के लिए उस पर अंतिम कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया के बीच के अंतराल, (ग) पुनर्वित्त योजना के परिचालन और (घ) बिल पुनर्भाजन योजना के परिचालन का अध्ययन करेंगे। इनमें से पहले दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उसने अपने रिपोर्ट में सहायता की स्वीकृतियों और उसके वितरण के बीच के अन्तर को कम करने के बहुमूल्य सुझाव दिये हैं; इसके अधिकांश सिफारिशों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। यह सम्भावना है कि शेष दल शीघ्र ही अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट दे देंगे।

ग. नई दिशाओं में पहल : विकास बैंक का संवर्धन कार्य

32. क्षेत्रीय कार्यालयों और समितियों की स्थापना : आलोच्य अवधि में विकास बैंक ने उन नए संवर्धन कार्यों का पता लगाना शुरू किया जो वह स्वयं कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए विकास बैंक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह देश में विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के साथ सक्रिय और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करे। अतएव, इस दिशा में पहले कदम के रूप में विकास बैंक ने तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जिनमें से एक पूर्वी क्षेत्र (कलकत्ता) एक दक्षिण क्षेत्र (मद्रास) और एक उत्तर क्षेत्र (नई दिल्ली) में खोला गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए कतिपय निर्धारित सीमाओं के भीतर आने वाले मामलों में दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए एक-एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का गठन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान (जिसे उत्तरी क्षेत्र में से निकाल लिया गया है) राज्यों तथा गोवा, दमण और दीव तथा दादरा और नगरहवेली के संघ शासित क्षेत्रों के लिए किया जायेगा।

33. पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण : अपेक्षाकृत पिछड़े हुए राज्यों में ठोस परियोजना की रूपरेखा निर्धारित करने के प्रयोजन से औद्योगिक संभावनाओं के आरम्भिक सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक निदेशन समिति बनाई गई है उसमें विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण

और निवेश निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम तथा रिज़र्व बैंक के औद्योगिक वित्त और सांख्यिकी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण असम, त्रिपुरा, जम्मू व काश्मीर, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नेफा और चण्डीगढ़ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है तथा आंध्र प्रदेश, और पिछड़े क्षेत्रों के रूप में निर्धारित दूसरे संघशासित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, उड़ीसा और त्रिपुरा के सर्वेक्षण दलों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं, अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

34. इसमें अगले कदम के लिए यह परिकल्पना की गई है कि इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप परियोजना की जो रूपरेखा सामने आए उन पर संबन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जाए। इस बारे में असम, बिहार उत्तरप्रदेश, जम्मू व काश्मीर, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों से शीघ्र ही विचार-विमर्श किये जाने वाले हैं। परन्तु असम में इससे सम्बन्धित विचार-विमर्श करने के पहले ही तीसरा कदम उठाया जा चुका है, अर्थात् कुछ गैर सरकारी तकनीकी परामर्श सेवाओं की सहभागिता में पता लगाई गई कतिपय परियोजनाओं की रूपरेखाओं की व्यवहार्यता से सम्बन्धित अध्ययन किया जा रहा है।

35. राज्य-स्तरीय आंतर सांस्थानिक दल : इस प्रक्रिया के अन्य उपाय, उद्यम-कर्ताओं का पता लगाने और उनकी खोज करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और वित्तीय संस्थाओं के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित है। विकास बैंक इन सारे कार्यों को अपने आप नहीं कर सकता। अतएव, इस प्रयोजना के लिए विकास बैंक के नेतृत्व में राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम/राज्य औद्योगिक निवेश निगम, राज्यों के 'अग्रणी' बैंकों, राज्य सरकारों के उद्योग विभागों और अखिल भारतीय मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा कृषि पुनर्वित्त निगम को परस्पर निकट लाकर उनका एक आंतर-सांस्थानिक दल बनाने की दिशा में कार्यवाही शुरू की गई है। उपर्युक्त कार्य की और अधिक सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य में संयुक्त रूप से प्रवर्तित और वित्तपोषित तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। औद्योगिक संभावनाओं के सर्वेक्षण और परियोजना की रूपरेखाएं निर्धारित करने का कार्य एकबारगी पूरा नहीं हो सकता उसे एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलाना होगा जो तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्रों (टी० सी० एम० सी०) की स्थापना शुरू की जा सकती है। प्रत्येक राज्य के संभाव्य उद्यम-कर्त्ताओं और प्रबन्धों के स्वरूप के संदर्भ में उद्यमकर्ता और प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तैयार किये जा सकते हैं और ये कार्य तथा परियोजना अध्ययन का कार्य आंतर-सांस्थानिक दल द्वारा प्रवर्तित अनुसंधान संस्थान को सौंपे जा सकते हैं।

36. विकास बैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन में जिन राज्यों ने इस सम्बन्ध में विकास बैंकों की सलाह मांगी थी उनके साथ इन रूपरेखाओं पर विचार-विमर्श किया गया था जिसके फलस्वरूप केरल तथा आंध्रप्रदेश दोनों ने ही इस प्रक्रिया का श्रीगणेश कर दिया है और यदि उनके प्रयोग में सफलता मिलने के आसार नजर आए तो यह सम्भव हो जाएगा कि दूसरे राज्यों में भी उसी प्रकार की कार्यवाही शुरू की जाए। वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में इस तरह की कार्यवाही करने का विचार है।

37. भारत में तकनीकी परामर्श सेवाओं की सूची : उद्योग के बहुत से क्षेत्रों में विस्तृत परियोजनाएं तैयार करने का कार्य काफी जटिल है और तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्रों अथवा संस्थाओं के तकनीकी कर्मचारियों के लिए यह संभव न होगा कि वे अपने आप यह सारा कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिए डिजाइन करने के कौशल का विकास करने की भी आवश्यकता है क्योंकि यह कौशल हमारे देश में दुर्लभ है और अब तक हमारे देश की अधिकांश बड़ी परियोजनाओं की डिजाइनें विदेशी तकनीकी जानकारी की सहायता से ही बनायी गई हैं इन दोनों दृष्टियों से अर्थात् (क) विस्तृत परियोजना-रिपोर्टें तैयार करने के क्षेत्र में संस्थाओं का कार्य सरल बनाने और (ख) देश में ऐसी कुशलताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र की गैर सरकारी परामर्श सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें विकास बैंकों के संवर्धन कार्यों से सम्बद्ध किया जाए। इस उद्देश्य से, विकास बैंक ने दूसरी मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करके इस देश में उपलब्ध तकनीकी परामर्श सेवाओं की एक सूची तैयार की है। प्राप्त अनुभव और सूचना के आधार पर इन सेवाओं की जांच करने के बाद विकास बैंक 'अग्रणी' बैंकों समेत सभी राज्य स्तरीय संस्थाओं को परीक्षा की गई उक्त सूची भेजेगा ताकि वे इन तकनीकी परामर्श सेवाओं का लाभ उठा सकें।

घ. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना का अभियोजन :

38. अनेक कारणों के फलस्वरूप बहुत से औद्योगिक कारखाने, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के कारखाने, बीमार हो गये हैं तथा कुछ कारखानों में तो काम ही बंद हो गया है। देश की अर्थ व्यवस्था में उनके महत्व तथा श्रम-शक्ति की भारी मात्रा को रोजगार दिलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इन कारखानों को फिर से स्थापित किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना के लिए पहल की है। बीमार कारखानों की समस्याओं के विशिष्ट स्वरूप के कारण यह आवश्यक हो गया था कि एक नई संस्था की स्थापना की जाए क्योंकि ये समस्याएं उन कारखानों की समस्याओं से बिलकुल भिन्न हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते। यदि इस प्रयोजना के लिए विशिष्ट संस्था की स्थापना न हुई होती तो विकास बैंक को अपने सीमित साधनों के उपयोग की

दिशा संवर्धन कार्यों से हटाकर इन कारखानों की ओर बदलनी पड़ती। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम इस प्रकार के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन कार्य में विशिष्ट अनुभव प्राप्त करके विकास मूलक वित्त के सांस्थानिक तंत्र को सुदृढ़ बनाएगा।

39. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अप्रैल 1971 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हुआ। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय कलकत्ता में है। यद्यपि निगम अपने चार्टर के अनुसार वित्तपोषण कार्यकलापों के साथ साथ विविध प्रकार के दूसरे कारोबार भी कर सकता है, उदाहरणतः औद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध तथा मूलभूत सुविधाओं का विकास, किन्तु फिलहाल वह उन औद्योगिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन की समस्याओं की ओर ही प्रमुखतः ध्यान देगा जो हाल ही में बंद हो गई हैं अथवा जिनके बंद होने का खतरा है, परन्तु जो उपयुक्त सहायता देकर कार्यक्रम बनायी जा सकती हों।

40. पुनर्निर्माण निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये है और उसकी इजरा पूंजी 10 करोड़ रुपये है जो विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक आफ इंडिया और 14 राष्ट्रीकृत बैंकों ने प्रदान की है, भारत सरकार 10 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देने के लिए सहमत हो गई है।

41. पुनर्निर्माण निगम का प्रबंध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसके दैनंदिन कार्य विकास बैंक द्वारा नियुक्त प्रबन्ध निदेशक के निरीक्षण में किये जाते हैं। निगम ने अप्रैल 1971 में कार्य करना शुरू किया है। अब तक उसे कुल 6.99 करोड़ रुपयों की सहायता के लिए 85 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जून 1971 के अन्त तक कुल 6 औद्योगिक कारखानों के लिए 1.05 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है जिनके अन्तर्गत वस्त्र और इंजीनियरी उद्योग के दो-दो तथा उत्खनन और ढलाई उद्योगों के एक-एक कारखाने आते हैं।

III. भावी कार्य

42. संवर्धन कार्यों का उत्तरोत्तर विस्तार : अगले कुछ वर्षों में विकास बैंक का प्रमुख कार्य उन नए संकल्पों से सम्बन्धित होगा जो उसने अपनी संवर्धन भूमिका और कार्यकलापों के संदर्भ में किये हैं। यह संवर्धन कार्य देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों और जिलों में औद्योगीकरण की एक व्यवहार्य किन्तु व्यापक प्रक्रिया शुरू करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतएव इस भूमिका को कारगर ढंग से निभाने की आवश्यकता है तथा जिन नये तंत्रों की परिकल्पना की गई है उनकी सभी राज्यों में स्थापना करनी होगी और उन्हें सुदृढ़ बनाना होगा। एक बार यदि यह प्रक्रिया आरम्भ हो जाए तो यह बहुत सी संभावनाओं से ओतप्रोत है तथा जिन चरणों में से इसे पूरा किया जाएगा उनमें से प्रत्येक चरण के साथ विकास बैंक को अपने कार्य के भावी चरण दृष्टिगोचर होंगे। यह नवीकरण की संचित प्रक्रिया है और इसकी एक बार ठोस क्रियाविधियों और सृजनात्मक कल्पना-शक्ति से तथा गतिशील नेतृत्व में शुरू किये जाने पर उसमें अपने आप गति आएगी।

43. निर्यात-वित्त : जिस एक और क्षेत्र पर विकास बैंक को ध्यान देना होगा वह है निर्यात वित्त; इस क्षेत्र में विकास बैंक अन्य बैंकों की सहभागिता में प्रमुख सहभागी के रूप में सामने आया है। ऐसे बहुत से नये कार्य हैं जो भा० औ० वि० बैंक को माल तथा तकनीकी सेवा के निर्यात में तेजी से वृद्धि करने और विदेशों को संयुक्त उद्यमों और मूलभूत परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करने पड़ेंगे।

44. प्रबंध परामर्श सेवा केन्द्र और उद्यमकर्ताओं/प्रबन्धकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किसी परियोजना का वित्तपोषण करते समय (क) उस परियोजना की आर्थिक क्षमता और (ख) उसके कुशल प्रबंध पर जोर देता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अब तक का यह अनुभव है कि बहुत सी परियोजनाओं के अन्यथा अर्थक्षम होते हुए भी उनसे प्रबंध दक्षता के अभाव में प्रत्याशित लाभ नहीं हो पाता। इसके साथ ही भा०औ०वि० बैंक के संवर्धन कार्यों के परिणाम स्वरूप पिछड़े क्षेत्रों या जिलों में नयी परियोजनाओं के लिए उद्यमकर्ताओं/प्रबंधकों का पता लगाने के लिए जो खोज की जाती है उसमें भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के हल करने के लिए, इस क्षेत्र में भा० औ० वि० बैंक को अन्य संस्थाओं के सहयोग से दो स्तरों पर अर्थात् अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर पर एक प्रबंध परामर्श सेवा केन्द्र की स्थापना करनी पड़ेगी। इस संबंध में, संभाव्य उद्यमकर्ताओं/प्रबंधकों के लिए इस क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान संस्थाओं और सेवाओं के परामर्श से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा। यह कार्यक्रम इस तरह आयोजित करना होगा कि जिससे वह प्रत्येक क्षेत्र और हर प्रकार के संभाव्य उद्यमकर्ताओं/प्रबंधकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलाप : 1970-71

45. समग्र स्थिति : जहां तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलापों का संबंध सहायता की राशियों की स्वीकृतियों और वितरणों से है उनमें 1970-71 में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना से लेकर अब तक के कार्यकलापों की प्रगति का विवरण सारणी 2 में दिया गया है। 1970-71 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अधीन दी गई सहायता का ब्यौरा सारणी 3 में दिया गया है। [अनुबंध 1(ख) भी देखिये]

सारणी 2—भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों की प्रवृत्तियां : 1964-65 से 1970-71 तक

(करोड़ रुपयों में)

जुलाई–जून	स्वीकृत राशी*	पिछले वर्ष की तुलना में हुआ प्रतिशत परिवर्तन	नकदी वितरण	पिछले वर्ष की तुलना में हुआ प्रतिशत परिवर्तन
1964–65	44.5		23.9	
1965–66	62.5	+40.4	51.1	+113.8
1966–67	59.3	—5.1	59.3	+16.0
1967–68	39.9	—32.7	44.7	—24.6
1968–69	63.7	+59.6	48.7	+8.9
1969–70	65.2	+2.3	52.3	+7.4
1970–71	131.1	+101.1	78.4	+49.9

*गारंटियों को छोड़कर

सारणी 3—1970-71 और 1969-70 (जुलाई-जून) के दौरान स्वीकृत (प्रभावी) और वितरित सहायता

(करोड़ रुपयों में)

सहायता के प्रकार	स्वीकृत सहायता				वितरित सहायता				
	1970–71		1969–70		जुलाई 1964 से जून 1971 तक		1969–70	1970–71	जुलाई 1964 से जून 1971 तक
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर) . .	26	43.2	16	7.6	112	148.1	4.9	10.9	89.6
2. औद्योगिक संस्थानों के शेयरों, डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान .	14	5.6	15	6.1	103	28.5	3.7	2.2	19.6
3. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त .	1483	25.6	860	14.3	3188	123.3	21.2	12.5	118.1
4. बिलों का पुनर्भाजन . . .	152	28.5	129	24.1	209	89.9	24.3	20.6	77.0
1 से 4 तक का जोड़ . .	1675	102.9	1020	52.2	3612	389.8	54.2	46.2	304.4
5. निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष ऋण . .	16	11.3	14	11.2	32	29.1	12.0	2.9	14.9
6. निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त . .	18	13.7	5	1.3	45	24.0	9.9	2.7	16.6
1 से 6 तक का जोड़ . .	1709	128.0	1039	64.7	3689	442.9	76.0	51.8	335.9
7. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में वित्तीय अभिदान* . . .	5	3.1	1	0.5	17	23.3	2.4	0.5	22.6
1 से 7 तक का जोड़ . .	1714	131.1	1040	65.2	3706	466.2	78.4	52.3	358.4
8. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियां . . .	2	2.6	2	2.5	14	29.3	—	0.1@	19.1@
9. निर्यात गारंटियां . . .	2	1.1	—	—	3	1.7	1.2@	0.3@	1.6@

टिप्पणी : (1) मद 4 के संदर्भ में आवेदनों की संख्या उत्पादकों की संख्या तथा मद 7 के संदर्भ में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की संख्या को दर्शाती है ।

(2) यह संभव है कि इस सारणी तथा बाद की सारणियों/अनुबन्धों के आंकड़ों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए क्योंकि उन्हें पूर्णांकित कर दिया गया है ।

*इन आंकड़ों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के खरीदे गए शेयर शामिल नहीं हैं ।

@ ये आंकड़े निष्पादित की गयी गारंटियों के हैं ।

46. भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर अब तक की अवधि में उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता के विन्यास में कुछ बदलावट आई है और अब वह औद्योगिक संस्थाओं को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता (निर्यातों के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर) की अपेक्षा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से तथा बैंक की सहभागिता में निर्यातों के लिए अधिक दी जाती है। भा० औ० वि० बैंक पुनर्वित्त, पुनर्भाजन और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बाडों और शेयरों में अभिदान करके पर्याप्त मात्रा में जो सहायता प्रदान कर रहा है वह इस क्षेत्र में उसके शिखर संस्था के रूप में बढ़ते हुए दायित्व के महत्व को स्पष्ट करती है। भा० औ० वि० बैंक उत्प्रेरक एजेंट की जो भूमिका अदा कर रहा है उसका महत्व भविष्य में और भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसने पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और उसके लिए वित्तीय सहायता देने में पहल की है।

47. 1970-71 के मुख्य उल्लेखनीय कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :—

स्वीकृत और वितरित की गयी सहायता :

(i) इस वर्ष 131.1 करोड़ रुपयों की कुल स्वीकृतियां दी गईं और उनकी सहायता राशि 1969-70 की स्वीकृतियों के 65.2 करोड़ रुपयों के पिछले शिखर स्तर की अपेक्षा दुगुनी थी। जिन आवेदन-पत्रों पर सहायता की स्वीकृति दी गई उनकी संख्या इस वर्ष 1969-70 के 1040 आवेदन-पत्रों से बढ़कर 1714 हो गई है।

(ii) औद्योगिक संस्थाओं को (ऋणों, हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटियों के रूप में) दी गयी प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात ऋणों को छोड़कर) की राशि में दुगुनी से अधिक वृद्धि हुई है अर्थात् उसकी राशि पिछले वर्ष के 16.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर इस वर्ष 51.4 करोड़ रुपये हो गयी है।

(iii) निर्यात के लिए दी गई जिस सहायता में निर्यातकों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण और निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त दोनों ही शामिल हैं, उसकी राशि दुगुने से अधिक हो गयी है।

(iv) औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के अधीन स्वीकृतियों की जो राशि भा० औ० वि० बैंक के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों के 19—20 करोड़ रुपयों की श्रेणी से घटकर 1968-70 में 13—14 करोड़ रुपये हो गयी थी, वह बढ़कर पिछले स्तर को पार कर गई और 1970-71 में बढ़कर 25.6 करोड़ रुपयों के शिखर स्तर पर पहुंच गयी, इस प्रकार उसमें 1969-70 के स्तर की तुलना में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(v) पुनर्भाजन के रूप में दी गयी सहायता 1969-70 की अपेक्षा लगभग 18 प्रतिशत अधिक थी।

(vi) 78.4 करोड़ रुपयों के जो कुल वितरण किये गये उनकी राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक थी और यह राशि 1966-67 के 59.3 करोड़ रुपयों के शिखर स्तर से 32 प्रतिशत अधिक थी। वितरणों में हुई अधिकांश वृद्धि के निर्यात को दी गयी सहायता और औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के कारण हुई है परन्तु प्रत्यक्ष सहायता (ऋण और हामीदारी) के वितरणों की मात्रा में इस वर्ष कमी हुई है। इसका कारण यह है कि सहायता के मामलों की अधिकांश प्रतिशत के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटी व्यापारिक संस्थाओं को ऋण वितरित किये गये और ऐसी अनेक नई और बड़ी परियोजनाओं को ऋणों की स्वीकृतियां दी गई जिनके लिये उस समय बड़ी मात्रा में निधियों की जरूरत पड़ेगी जब इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में तेजी आएगी।

(vii) इसके पहले दिये गये ऋणों की वापसी अदायगी तथा निवेशों की बिक्री से कुल 37.6 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त होने के फलस्वरूप 1970-71 में सहायता के वितरण के निमित्त जो शुद्ध निधियां बाहर गयीं उनकी वास्तविक राशि 40.8 करोड़ रुपये थी जो 1969-70 के 21.5 करोड़ रुपयों की राशि की तुलना में काफी अधिक थी।

48. भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर 1970-71 के अंत तक उसके द्वारा वितरित सहायता की प्रवृत्तियां अनुबंध-I (ग्र) में दर्शायी गई हैं।

49. **भा० औ० वि० बैंक की ब्याज दरों का विन्यास :**

यहां भा० औ० वि० बैंक की ब्याज दरों के विन्यास का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें आलोच्य वर्ष में परिवर्तन किया गया है। मीयादी ऋणों पर भा० औ० वि० बैंक की जो 8 प्रतिशत ब्याज दर मार्च 1965 से लेकर अक्तूबर 1970 तक अपरिवर्तित बनी रही, उसे अक्तूबर 1970 में ½ प्रतिशत बढ़ाकर 8½ प्रतिशत (प्रभावी) कर दिया गया। बैंक दर में की गई 1 प्रतिशत की जो वृद्धि 9 जनवरी 1971 से लागू हुई उसके परिणामस्वरूप मीयादी ऋणों की ब्याज दर जहां 8½ प्रतिशत ही बनी रही, वहां 19 जनवरी 1971 से कतिपय अन्य ब्याज दरों में ½ प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। ब्याज दरों में किये गये इस परिवर्तन का स्वरूप सुधार कार्य जैसा ही था। ब्याज दर के विन्यास में परिवर्तन करते समय यह सावधानी बरती गई थी कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक यूनिटों के लिये दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों, पुनर्वित्त और मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त पर ली जाने वाली ब्याज की रियायती दरों में कोई परिवर्तन न किया जाए और उन्हें ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। 1 जनवरी 1971 में बैंक दर में वृद्धि किये जाने से पहले की भा० औ० वि० बैंक की ब्याज दरों का विन्यास और जून 1971 के अंत में किये गये संशोधन के पश्चात् लागू ब्याज दरों का विन्यास सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4—भा० औ० वि० बैंक की ब्याज दरों का विन्यास

	बैंक दर में वृद्धि होने से पहले की प्रचलित दरें		19 जनवरी 1971 से प्रभावी दर	
	भा० औ० वि० बैंक की दर	प्राथमिक उधारदाताओं से ली जाने वाली दर की उच्चतम सीमा	भा० औ० वि० बैंक की दर	प्राथमिक उधारदाताओं से ली जाने वाली दर की उच्चतम सीमा
1. औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात ऋणों को छोड़कर)				
(क) सामान्य दर	8.50*		8.50[b]	
(ख) पिछड़े क्षेत्रों के यूनिटों को रियायती दर	7.00		7.00 (कोई परिवर्तन नहीं)	
2. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित				
(क) सामान्य दर पर	6.00	कोई उच्चतम सीमा नहीं है	6.75 7.00	10.25 10.50
(ख) रियायती दर पर	5.50	8.25	6.00	8.75
(ग) ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों के लिए विशेष दर	4.50	8.00	5.00	8.50
(घ) पिछड़े क्षेत्रों के यूनिटों के लिए विशेष दर	3.50	6.00	3.50 (कोई परिवर्तन नहीं)	7.00
3. मशीनों के बिलों का पुनर्भाजन बिलों/वचन पत्रों की अवशिष्ट अवधि				
(क) 6–36 महीने	5.50	6.50	6.00	7.00
(ख) 36 महीनों से अधिक और 60 महीनों तक	5.00	6.00	5.50	6.50
(ग) 60 महीनों से अधिक और 84 महीनों तक	4.50	5.50	5.00	6.00
4. निर्यात ऋण				
(क) मध्यावधि निर्यात ऋणों पर पुनर्वित्त	4.50	6.00	4.50 (कोई परिवर्तन नहीं)	6.00
(ख) निर्यात वित्तपोषण में सहभागिता	ऋण के भा० औ० वि० बैंक के अंश पर ऐसी दर ली जाती है कि सहभागी बैंक की दर को हिसाब में लेने पर निर्यातक से संपूर्ण ऋण पर ली जाने वाली औसत दर सामान्यतः 5.5 प्रतिशत हो ।			

*अक्तूबर 1970 में प्रत्यक्ष ऋण की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत (प्रभावी) कर दी गयी है।

50. भा० औ० वि० बैंक के 1970-71 के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता संबंधी कार्यकलापों की ब्यौरेवार समीक्षा नीचे दी गई है ।

औद्योगिक संस्थाओं को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात ऋणों को छोड़कर) :

51. **परिचालन नीतियां** : प्रत्यक्ष सहायता के संबंध में भा० औ० वि० बैंक ने अपनी परिचालन नीतियों में हाल ही में जो विकास किया है उनकी रूपरेखा पहले ही दी जा चुकी है । भारत सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति की जांच समिति की सिफारिशों के अनुसरण में नीति सम्बन्धी यह प्रधान निर्णय लिया कि भा० औ० वि० बैंक और अन्य अखिल भारतीय सीयादी वित्तपोषक संस्थाओं ने औद्योगिक सस्थाओं को जो सहायता दी हो उसके उपयुक्त भाग को ईक्विटी शेयरों में बदल दिया जाए । इस निर्णय को अमल में लाने तथा वित्तीय संस्थाओं के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने की दृष्टि से भारत सरकार ने इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये है । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सहायता को ईक्विटी शेयरों में बदलने का विकल्प ऐसे सभी मामलों में मांगा जाएगा जिनमें वित्तीय सहायता की राशि 50 लाख रुपयों से अधिक हो । जिन मामलों में वित्तीय सहायता की राशि 25 लाख रुपयों से अधिक हो, परन्तु 50 लाख रुपयों से कम हो उनमें संस्थाओं को यह विकल्प होगा कि वे ईक्विटी में बदलने की शर्त लगाये या न लगायें । 25 लाख रुपयों तक की सहायता वाले मामलों पर सामान्यतः ईक्विटी में बदले जाने की शर्त लागू नहीं होगी ।

52. सरकार औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति की जांच समिति से इस बात से सहमत है कि जिन औद्योगिक संस्थाओं ने मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त की हो उनके प्रबन्ध में उक्त वित्तपोषक संस्थाओं को सक्रिय सहभागी बनना चाहिए। उक्त संस्थाओं के बोर्डों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा चुने गये निदेशकों को नामित कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। भा० औ० वि० बैंक अन्य मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं के परामर्श से ऐसे निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की एक नामिका बना रहा है। ऋणों के एक अंश को ईक्विटी शेयरों में बदलने और जिन संस्थाओं को सहायता दी जा रही है उनके बोर्डों में निदेशक नामित करने के निर्णय भा० औ० वि० बैंक के तत्वावधान में मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लिये जाएंगे।

53 सहायता दी गई परियोजनाओं का स्वरूप : 1970-71 के दौरान भा० औ० वि० बैंक ने जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी है उनमें से भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि० (आइ एफ एफ को०) के उर्वरकों की अनेक इकाइयों का समूह है जो भा० औ० वि० बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी क्षेत्र की पहली उर्वरक-परियोजना है। भा० औ० वि० बैंक ने आलोच्य वर्ष में ओड क्षेत्र की जिस दूसरी उल्लेखनीय परियोजना के लिए सहायता मंजूर की है वह गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी का नायलान के सूत के निर्माण के लिए आवश्यक मूलभूत कच्ची सामग्री अर्थात् कंप्रोलक्टम का निर्माण करने वाला नया संयंत्र लगाने से संबंधित है। इस कंप्रोलक्टम का अब तक आयात किया जाता था और उसका देश में पहली बार निर्माण किया जाएगा। इस कंपनी के उर्वरक संयंत्र को भा० औ० वि० बैंक से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है भा० औ० वि० बैंक से इस वर्ष सहायता प्राप्त ओड क्षेत्र की दूसरी परियोजना कृषि-ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले एस्कोर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड की है। यह परियोजना कुछ सीमा तक ऊंची श्रेणी के ट्रैक्टरों (46 अश्वशक्ति) की कमी को पूरी करेगी। बिहार एलाय स्टील लि० को मिश्र धातु के निर्माण संबंधी मदों, औजारों और उच्च गतिवाले इस्पात के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता मंजूर की गई है। ओड क्षेत्र की यह परियोजना औद्योगिक रूप से एक कम विकसित राज्य में चालू की जा रही है। भा० औ० वि० बैंक ने एल्यूमीनियम उद्योग को भी बड़ी मात्रा में सहायता मंजूर की है और जिन परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर की गई है वे इस प्रकार हैं—(i) एक कम विकसित राज्य के पिछड़े हुए जिले में भारतीय एल्यूमीनियम निगम का एकीकृत एल्यूमीनियम संयंत्र और (i) मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी की विस्तार परियोजना/कागज और कागज के बोर्डों के निर्माण के लिए सरकार के त्वरित (क्रेण) कार्यक्रम के संदर्भ में भा०औ०वि०बैंक ने टीटागढ़ पेपर मिल्स कं० लि० की क्षमता में विस्तार करने के लिए भी सहायता प्रदान की है।

54. इनके अलावा भा० औ० वि० बैंक ने अनेक ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है जिनमें लागत के अधिक हो जाने, वित्तीय अभाव, पुनर्गठन बन्द यूनिटों की पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण जैसी विशेष स्थितियों में वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। जिन परियोजनाओं को इस प्रकार सहायता प्रदान की गई, वे हैं :—(i) कलकत्ता के निकट रचनात्मक और यांत्रिकी इंजीनियर उत्पादनों की गढ़ाई के लिए ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी का संयन्त्र, (ii) आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े जिले में श्री वेंकटाचलपति मिल की कताई यूनिट, (iii) पी०वी०सी० रेजिन के निर्माण के लिए प्लास्टिक रेजिन्स एण्ड केमिकल्स का नया संयन्त्र, (iv) हल्के लोहे के स्पन पाइप बनाने के लिए शक्ति पाइप्स का संयन्त्र, (v) स्टेंडर्ड मोटर्स का मोटरगाड़ियों के निर्माण के लिए संयन्त्र और (vi) तेल इंजनों और शक्तिचालित हलों के निर्माण के लिए कृषि इंजनों का संयंत्र।

55. भा०औ०वि० बैंक ने तकनीशनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति जारी रखी। भा०औ०वि० बैंक ने किसी भी विदेशी सहभागिता के बिना महत्वपूर्ण लौह मिश्र धातुओं का निर्माण करने के उद्देश्य से तकनीशन उद्यमकर्ताओं द्वारा शुरू की गई मनबेल एलायज कम्पनी आफ इण्डिया लि० नामक कम्पनी के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करने में पहल की है। तकनीशनों द्वारा प्रायोजित एक अन्य परियोजना अर्थात् टुबट्रोन कास्टिंग लि० के ढलाईघर की स्थापना का भा० औ० वि० बैंक ने वित्तपोषण किया था। टंगस्टन तन्तु तार के लिए निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना करने के हेतु एक मध्यमवर्गीय उद्यमकर्ता द्वारा प्रवर्तित एक नयी कम्पनी को भी भा० औ०वि० बैंक से आलोच्य वर्ष में सहायता प्राप्त हुई है।

56. सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता : 1970-71 के दौरान भारतीय औ०वि० बैंक ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे कुछ उपक्रमों को भी वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है जिन्होंने उससे ऐसी सहायता के लिए प्रार्थना की थी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में बैंक के कार्यकलापों के विवरण नीचे दिये गए हैं :

	उत्पाद	स्थान	स्वीकृत सहायता	
1. इंडो-निप्पोन प्रिसीजन बियरिंग्स लि०	बाल बियरिंग्स, गुण्डाकार रोलर और बेलनाकार रोलर बियरिंग्स	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	50 लाख रुपयों के ऋण	आंध्रप्रदेश औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्थापित नया कारखाना
2. ट्रैवको केबल कम्पनी लि०	शक्तिचालित केबल, कागज विसंवाहित दूर संचार केबल	इरिम्पनम (केरल)	50 लाख रुपयों के ऋण	विशाखन योजना
3. एन० जी० ई० एफ० लि०	बिजली के उपकरण—बिजली परिवर्तक, मोटरें, स्विचगियर और स्विच बोर्ड	बंगलूर (मैसूर)	100 लाख रुपयों के ऋण	विशाखन और संतुलन योजना

57. **सहायता का परिमाण** : सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के यूनिटों को भा० औ० वि० बैंक द्वारा 1970-71 के दौरान स्वीकृत प्रत्यक्ष सहायता के ब्यौरे सारणी 5 में दर्शाए गए हैं। जिन औद्योगिक प्रायोजनाओं को इस वर्ष के दौरान सहायता की स्वीकृति दी गई है उनकी सूची अनुबन्ध II में दी गई है।

58. **सहायता का मात्रावार वर्गीकरण** : 1970-71 के दौरान और भा०औ०वि० बैंक की स्थापना से लेकर अब तक उसके द्वारा दी गई सहायता का मात्रावार वर्गीकरण सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 5—1970-71 और 1969-70 के दौरान स्वीकृत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	परियोजनाओं की संख्या		स्वीकृत सहायता							
			ऋण		हामीदारी		गारंटी		जोड़	
	1970-71	1969-70	1970-71	1969-70	1970-71	1969-70	1970-71	1969-70	1970-71	1969-70
1. नयी परियोजनाओं को सहायता	9	11	21.3	4.3	2.7	5.4	0.9	0.1	24.9	9.8
2. विस्तार/विणाख्यन/अभिनवीकरण की योजनाओं के लिए सहायता	9	4	18.6	1.2	1.0	0.1	1.7	2.4	21.3	3.7
3. औद्योगिक संस्थाओं को पूरक* सहायता	15	7	3.3	2.1	1.2	0.3	—	—	4.5	2.4
4. सहायता प्राप्त संस्थाओं के क्रयाधिकार शेयरों में अभिदान	—	—	—	—	0.7	0.4	—	—	0.7	0.4
जोड़	33	22	43.2	7.6	5.6	6.1	2.6	2.5	51.4	16.3

*यह सहायता (1) क्रियान्वयन में विलंब के कारण परियोजना की बढ़ी हुई लागत, मशीनों और निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि, अनुमानित नकदी स्रोतों में कमी आदि को पूरा करने, (2) जिन कंपनियों ने अचल आस्तियों के अभिग्रहण के लिए कार्यकर पूंजी की निधियों का उपयोग कर लिया है उनके नकदी स्रोतों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने, (3) परियोजनाओं को सक्षम बनाने के लिए संतुलन उपकरणों को खरीदने और (4) वित्तीय पुनर्गठन आदि के लिए दी गई है।

सारणी 6—स्वीकृत प्रत्यक्ष सहायता का मात्रावार विभाजन

सहायता की मात्रा	1969–70		1970–71		जुलाई 1964 से जून 1971 तक	
	परियोजनाओं की संख्या	कुल सहायता में प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	कुल सहायता में प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	कुल सहायता में प्रतिशत
5 लाख रुपयों तक	2	0.6	1	0.2	19	0.4
5 लाख रुपये—25 लाख रुपये	8	9.7	12	3.5	40	2.7
25 लाख रुपये—50 लाख रुपये	3	7.4	8	6.9	23	4.6
50 लाख रुपये—100 लाख रुपये	5	20.4	3	5.4	19	7.1
100 लाख रुपये—200 लाख रुपये	1	8.0	1	2.8	14	9.4
200 लाख रुपये—500 लाख रुपये	3	53.9	5	37.6	20	33.1
500 लाख रुपये और उससे अधिक	—	—	3	43.6	9	42.7
जोड़	22	100.0	33	100.0	144	100.0
(सहायता की राशि: करोड़ रुपये)		(16.3)		(51.4)		(205.8)

59. परियोजनाओं का पर्यवेक्षण : परियोजना के पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित भा० औ० वि० बैंक के कार्य का लक्ष्य यह होता है कि भा० औ०वि० बैंक ने जिन संस्थाओं को सहायता दी है उनकी परियोजनाओं की क्रियान्विति की प्रगति का समय समय पर पता लगाया जाए और प्रक्षेपित तथा वास्तविक काम के बीच यदि कोई अन्तर हो तो उनके कारण निश्चित किए जाएं। सहायता प्राप्त यूनिटों से निर्धारित फर्मों में आवधिक प्रगति रिपोर्ट मगाई जाती है। प्रगति रिपोर्ट की जांच-पड़ताल करने के अलावा, सहायता प्राप्त संस्थाओं के लेखा परीक्षित तुलनपत्रों का भी उनकी अद्यतन वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विश्लेषण किया जाता है। प्रगति रिपोर्टों का मत्यापन करने की दृष्टि से परियोजनाओं स्थलों का आवधिक मुआइना किया जाता है और सहायता प्राप्त संस्थाओं के मामलों का परीक्षण भी किया जाता है। 1970-71 में 47 संस्थाओं के ऐसे मुआइने और परीक्षण किए गए हैं जबकि इसके मुकाबले 1969-70 में 32 संस्थाओं के उक्त मुआइने और परीक्षण किये गए थे। क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आनेवाली संस्थाओं के परीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए हैं।

60. परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम यह है कि सहायता दी गई संस्थाओं के निदेशक बोर्डों में भा० औ०वि० बैंक के नामित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। भा० औ०वि० बैंक विविध रूपों में दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता की स्वीकृति से पहले शर्त के रूप में अनिवार्यतः अपना यह अधिकार रखता है कि वह सहायता दी गई संस्था के बोर्ड में अपना कम से कम एक निदेशक नामित करेगा। यद्यपि प्रत्यक्ष सहायता के सभी मामलों में यह अधिकार सुरक्षित रखा जाता है कि तथापि इसका प्रयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देख कर केवल चयनात्मक आधार पर ही किया जाता है। भा०औ०वि० बैंक ने अब तक सहायता दी गई 30 संस्थाओं के बोर्डों में अपने निदेशक नामित किए हैं; आलोचय वर्ष में सहायता दी गई 15 संस्थाओं के बोर्डों में निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस क्षेत्र की नवीनतम नीति के अनुसार भारत सरकार ने यह परिकल्पना की है कि जिन औद्योगिक संस्थाओं की मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त होती है उनके प्रबन्ध में उक्त वित्तपोषक संस्थाएं सक्रिय रूप से भाग लें। तदनुसार जैसा कि इसके पहले उल्लेख किया जा चुका है, भा०औ०वि० बैंक ने जिन व्यापारिक संस्थाओं को अन्य वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा सहायता दी गई उनके बोर्डों में वित्तपोषक के परामर्श से उनके निदेशक नामित करने के लिए अच्छी प्रतिष्ठावाले योग्य व्यक्तियों की एक नामिका तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया दिया है।

निर्यात सहायता

61. देश के निर्यात सम्बन्धी प्रयत्नों में भा०औ०वि० बैंक के योगदान का स्वरूप इस प्रकार है (i) पूंजीगत और अन्य इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के निर्यातकों को योग्य बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मध्यावधि निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना और (ii) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए अनुमोदित वाणिज्य बैंकों की सहभागिता से प्रत्यक्ष ऋण और गारंटियां देना। इन दो योजनाओं के अधीन बैंक द्वारा हाल के वर्षों में किए गए कार्यकलापों के परिणाम सारणी 7 में संक्षेप में दर्शाए गए हैं। इससे पूंजीगत और इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने में भा०औ०वि० बैंक की विकासमान भूमिका परिलक्षित होती है। भा०औ०वि० बैंक ने निर्यातकों द्वारा सौदे के दाम लगाए जाने और आयातकों से सौदा किये जाने में काफी सहायता की है। वह बैंकों, निर्यातकों, रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, निर्यात ऋण और गारंटी निगम और विदेश स्थित कतिपय विशिष्ट संस्थाओं के साथ निकट तथा सतत संपर्क बनाए रखता है।

सारणी 7—निर्यात के लिए भा० औ० वि० बैंक की सहायता

(करोड़ रुपए)

	1969-70	1970-71	जुलाई 1964 में हुई स्थापना से लेकर जून 1971 तक
प्रत्यक्ष निर्यात ऋण			
स्वीकृतियां . .	11.2	11.3	29.1
वितरण . .	2.9	12.0	14.9
निर्यात ऋण का पुनर्वित्त			
स्वीकृतियां . .	1.3	13.7	24.0
वितरण . .	2.7	9.9	16.6
गारंटियां			
स्वीकृतियां . .	—	1.1	1.7
निष्पादित गारंटियां .	0.3	1.2	1.6
कुल निर्यात सहायता			
स्वीकृतियां . .	12.5	26.1	54.8
नकदी वितरण और निष्पादित गारंटियां . .	5.9	23.1	33.1

62. अब तक विभिन्न प्रकार के जिस इंजीनियरी माल के निर्यात का वित्तपोषण किया गया है, उनमें पारेषण लाइन टावरें और संवाहक वस्त्र उद्योग की मशीनें, इस्पात की रेलें, छड़ें और रेल परिपथ के उपकरण, डीजल इंजन, मोटरगाड़ियां और उनके पुर्जे तथा रेल वैगन शामिल हैं। भा०औ०वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 के अन्त तक उसके द्वारा प्रदान की की गई निर्यात सहायता का देशावार पण्यवार वर्गीकरण अनुबन्ध III में दिया गया है। जिन औद्योगिक संस्थाओं को आलोचय वर्ष में प्रत्यक्ष निर्यात वित्त की स्वीकृतियां दी गई हैं, उनकी सूची अनुबन्ध IV में दी गई है।

63. इसके पूर्व यह उल्लेख किया जा चुका है कि दो प्रमुख दलों अर्थात् अनौपचारिक परामर्श दल और तदर्थ कार्यकारी दल का गठन करके निर्यात वित्त की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। इन दलों ने पहले ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। निर्यात की वित्तपोषक योजनाओं का काफी प्रचार भी किया जा चुका है आस्थगित अदायगी की शर्तों पर निर्यातों का वित्तपोषण किये जाने की पद्धतियों पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में बैंकरों की विचार गोष्ठियां भी हो चुकी हैं।

बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त सहायता

64. भा०औ०वि० बैंक के कार्यकलापों का एक प्रमुख पहलू यह है कि वह सारे देश में फैले छोटे और मझोले आकार वाले उद्योगों को बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान किए गए औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। हाल ही के वर्षों में भा०औ०वि० बैंक ने पुनर्वित्त सुविधाओं के क्षेत्र को बढ़ाने और उसकी लागत को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि उद्योग के इन क्षेत्रों को अधिक मात्रा में निधियां प्राप्त हो सकें। भा० औ०वि० बैंक पुनर्वित्त योजना के अधीन बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को ब्याज की रियायती दर पर भी पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है ताकि उन्हें पिछड़े हुए क्षेत्रों के छोटे और मझोले उद्यमकर्ताओं को आसान शर्तों पर सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 1970-71 के भा०औ०वि० बैंक ने 2 लाख रुपयों तक के लिए ऋणों के संबंध में राज्य वित्तीय निगमों को दिए जाने वाले पुनर्वित्त की स्वीकृति और वितरण के लिए लागू पुनर्वित्त संबंधी क्रिया विधि को उदार बना दिया है और वह प्रायः स्वचालित हो गई है।

65. पुनर्वित्त सहायता की मात्रा : औद्योगिक ऋणों के संबन्ध में दिए जाने वाले पुनर्वित्त की योजना के अन्तर्गत भा०औ०वि० बैंक के कार्यकलापों में 1970-71 में आवेदन-पत्रों की संख्या और स्वीकृत सहायता दोनों ही दृष्टियों से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; आवेदन-पत्रों की संख्या 860 से बढ़कर 1483 हो गयी है और स्वीकृत सहायता की राशि 14.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 25.6 करोड़ रुपए हो गयी है (सारणी 8 देखें)

सारणी 8—औद्योगिक ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1970-71 (जुलाई-जून)		1969-70 (जुलाई-जून)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. प्राप्त आवेदन-पत्र	1968	39.6	1231	23.7
2. स्वीकृत आवेदन-पत्र*	1552	26.2	992	16.2
3. (अवधि के अन्त में) विचाराधीन आवेदन-पत्र	378	14.7	306	14.3
4. कुल प्रभावी स्वीकृतियां	1483	25.6	860	14.3
5. वितरित स्वीकृतियां		21.2		12.5
6. पुनर्वित्त की वापसी अदायगी		15.1		14.0
7. अस्वीकृत/वापस किये गये/लौटाये गये आवेदन-पत्र	344	13.1	89	5.1
8. (अवधि के अन्त में) बकाया राशि		66.3		60.1
9. (अवधि के अन्त में) अवितरित राशि		16.4		14.4

*कुल स्वीकृतियां

66. सहायता की राशि का मात्रावार वर्गीकरण : 1970-71 के दौरान मंजूर की गई पुनर्वित्त सहायता का मात्रावार वर्गीकरण सारणी 9 में दिया गया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता का लगभग तीन चौथाई भाग 10 लाख रुपयों से कम राशि के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के लिए दिया गया है जब कि 1969-70 में इसका भाग 60 प्रतिशत था।

सारणी 9—1970-71 के दौरान मंजूर किये गये* औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त का मात्रावार वर्गीकरण

(कुल राशि से प्रतिशत)

पुनर्वित्त सहायता की राशि	1970-71	1969-70
1 लाख रुपयों से कम	18.8	22.8
1 लाख रुपयों से 2 लाख रुपयों तक	12.4	7.6
2 लाख रुपयों से 5 लाख रुपयों तक	23.6	12.0
5 लाख रुपयों से 10 लाख रुपयों तक	18.1	16.1
10 लाख रुपयों से 25 लाख रुपयों तक	11.4	21.0
25 लाख रुपयों से 50 लाख रुपयों तक	12.6	16.8
50 लाख रुपयों से 100 लाख रुपयों तक	3.1	3.7
	100.0	100.0
(सहायता की राशि: करोड़ रुपए)	(26.2)	(16.2)

*कुल स्वीकृतियां

67. **लघु उद्योग के क्षेत्र को सहायता** : अधिकांश स्वीकृत आवेदन-पत्र लघु औद्योगिक यूनिटों और छोटे सड़क परिवहन चालकों से प्राप्त हुए हैं। इन पर स्वीकृत सहायता की राशि 1968-69 में प्राप्त 199 आवेदन-पत्रों पर स्वीकृत 2.6 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1969-70 में 790 आवेदन-पत्रों पर 6.1 करोड़ रुपये हो गयी और यह 1970-71 में और बढ़कर 1388 आवेदन-पत्रों पर 14.8 करोड़ रुपये हो गयी है। जैसा कि सारणी 10 में दिखाया गया है पिछले तीन वर्षों में इस सहायता के वितरण में अपेक्षाकृत अधिक भौगोलिक विस्तार भी हुआ है।

सारणी 10—लघु उद्योगों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये ऋणों का पुनर्वित्त

	1968-69	1969-70	1970-71
क. लघु उद्योग			
पुनर्वित्त के अन्तर्गत आने वाले जिले	72	95	153
स्वीकृत पुनर्वित्त			
आवेदन-पत्रों की संख्या	182	234	735
राशि (लाख रुपए)	259	353	1167
ख. छोटे सड़क परिवहन चालक			
पुनर्वित्त के अन्तर्गत आने वाले जिले	7	39	96
स्वीकृत पुनर्वित्त			
आवेदन-पत्रों की संख्या	17	556	653
राशि (लाख रुपए)	5	255	316
ग. कुल स्वीकृत पुनर्वित्त (क+ख).			
आवेदन-पत्रों की संख्या	199	790	1388
राशि (लाख रुपए)	264	608	1483

68. **पुनर्वित्त सहायता का संस्थावार विभाजन** : सारणी 11 में पुनर्वित्त सहायता का जो संस्थावार विभाजन दर्शाया गया है उससे भा०औ०वि० बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित किए गए कुल पुनर्वित्त में राज्य वित्तीय निगम को दिए गए पुनर्वित्त की बढ़ती हुई मात्रा का पता लगता है।

सारणी 11—औद्योगिक ऋणों के लिए दिये गये पुनर्वित्त का संस्थावार विभाजन

(करोड़ रुपयों में)

	1970-71		1969-70	
	स्वीकृत राशि*	वितरित राशि	स्वीकृत राशि*	वितरित राशि
वाणिज्य बैंक	7.5	5.6	5.8	6.0
	(28.6)	(26.4)	(35.8)	(48.0)
राज्य सहकारी बैंक	0.3	0.3	—	—
	(1.2)	(1.4)		
राज्य वित्तीय निगम	18.4	15.3	10.4	6.5
	(70.2)	(72.2)	(64.2)	(52.0)
	26.2	21.2	16.2	12.5

*कुल स्वीकृतियां।

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत हैं।

पुनर्भांजन सहायता

69. भा०औ०वि० बैंक ने आस्थगित अदायगी के आधार पर संभाव्य खरीदार उपभोक्ताओं को देशी मशीनों की बिक्री में सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से मशीन बिलों के पुनर्भांजन की एक योजना अप्रैल, 1965 में शुरू की थी। उक्त योजना के अन्तर्गत सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। आस्थगित अदायगी की अवधि सामान्यतः 5 वर्षों तक और अपवादात्मक मामलों में 7 वर्षों तक रहती है। भा०औ०वि० बैंक की जिस पुनर्भांजन दर में जनवरी 1971 से 1/2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, वह अब तक बिलों की शेष अवधि के आधार पर 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच परिवर्तित होती रहती है। इन बिलों का भांजन करने वाले बैंकों को इन दरों से 1 प्रतिशत की अनधिक दर से भांजन लेने की अनुमति है। खरीदार को (गारंटी कमीशन और स्टाम्प शुल्क को छोड़कर) मशीन की अंतिम लागत पर 8.3 और 9.2 प्रतिशत के बीच की दर पर ब्याज अदा करना पड़ता है।

70. **इस योजना का निर्यात पर लागू होना** : इस योजना के अधीन प्राप्त सुविधाएं देशी मशीनों के ऐसे खरीदारों को दी जाती हैं जो विदेशी कम्पनियों के ईक्विटी शेयरों के विदेशी आवंटन के बदले देशी मशीनें निर्यात करना चाहते हैं। 1970-71 के दौरान भा०औ०वि० बैंक ने थाईलैण्ड को किए गए इस्पात रोलिंग मिल मशीनों के निर्यात से सम्बन्धित एक ऐसे सौदे से प्रोद्भूत 21.5 लाख रुपयों के बिल का पुनर्भांजन किया है। भा० औ० वि० बैंक द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि किसी वर्ष* दौरान इस योजना के अधीन दी जाने वाली जो उच्चतम सीमा थी उसे सड़क परिवहन निगमों जैसे सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर 50 लाख रुपयों से बढ़ कर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

71. **पुनर्भांजन सहायता का स्वरूप और परिमाण** : उक्त योजना, जो कि परिचालन की दृष्टि से लगभग स्वचालित है, लोकप्रिय सिद्ध हुई है। उक्त योजना छोटे और मझौले उद्योगों के उपकरणों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है। योजना के अधीन स्वीकृत सहायता की राशि 1965-66 में 2.2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1968-69 में 15.5 करोड़ रुपए, 1969-70 में 24.1 करोड़ रुपए और 1970-71 में 28.5 करोड़ रुपए हो गयी है। जून 1971 के अन्त तक प्रदान की गयी सहायता की कुल राशि 89.9 करोड़ रुपए थी जिससे कुल मिलकर 209 मशीन-निर्माता और 1059 मशीनों के खरीदार उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के खरीदार उपभोक्ताओं को प्रदान की गयी पुनर्भांजन सहायता की राशि जून 1971 के अन्त तक 5.5 करोड़ रुपए थी। मशीनों के खरीदार उपभोक्ता का उद्योगवार विभाजन सारणी 12 में दिया गया है। उससे यह पता लगेगा कि 1970-71 के दौरान इंजीनियरी परिवहन, बिजली की मशीनों और खनन उद्योगों के अधीन आने-वाली मशीनों के खरीदार उपभोक्ताओं के हिस्से में वृद्धि हुई है।

*यह सीमा अक्तूबर से सितम्बर तक के वर्ष के लिए लागू है।

सारणी 12—1970-71 और 1965-71 के दौरान प्रदान की गयी पुनर्भांजन सहायता का उद्योगवार विभाजन

(कुल सहायता में प्रतिशत)

खरीदार-उपभोक्ता उद्योग	पुनर्भांजित बिल (मुखांकित मूल्य)		
	1969-70	1970-71	अप्रैल 1965 से जून 1971 तक
1. कृषि आधारित उद्योग	1.0	0.7	0.5
2. सीमेंट	3.8	1.0	2.0
3. वस्त्र उद्योग (जूट को छोड़कर)	56.0	52.0	59.4
4. जूट	3.1	1.7	3.7
5. खनन	0.7	4.8	2.8
6. कागज	2.2	0.1	1.6
7. चीनी	4.8	3.3	6.1
8. तेल (विलायक निस्सारण संयन्त्र)	4.1	4.3	3.1
9. बिजली की मशीनें	2.7	5.8	2.6
10. शीशा	0.2	0.3	0.2
11. फिल्म	0.2	0.2	0.1
12. परिवहन (मोटरगाड़ी इंजीनियरी को मिलाकर)	4.3	5.1	2.8
13. इंजीनियरी	12.1	17.2	12.2
14. अन्य	4.8	3.5	2.9
जोड़ (सहायता की राशि करोड़ रुपयों में)	100.0 (24.1)	100.0 (28.5)	100.0 (89.9)

72. भांजन करने वाले बैंकों को क्रियाविधि संबंधी विवरणों से परिचित कराने और योजना की क्रियान्विति में उन्हें प्राप्त अनुभव को बांटने से के उद्देश्य से भा०औ०वि० बैंक ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में चार गोष्टियां आयोजित की थीं।

अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों मे अभिदान

73. 1970-71 के दौरान भा०औ०वि० बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं को अनुपूरक स्त्रोतों के पूर्तिकार के रूप में महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी बंगाल के राज्य वित्तीय निगमों द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त शेयर पूंजी के निजी इजरों मे 60 लाख रुपयों का अभिदान किया क्योंकि आलोच्य वर्ष में किसी भी राज्य वित्तीय निगम द्वारा शेयर पूंजी के शेयर जनता को नही बेचे गए। यद्यपि राज्य वित्तीय निगमों ने कुल 12.1 करोड़ रुपयों की राशि के बॉड बाजार में जारी किये, फिर भी इनमें आवश्यकता से अधिक अभिदान होने के कारण भा० औ० वि० बैंक को इन इजरों में अभिदान करने का मौका ही नही मिला। भा० औ० वि० बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक राज्य वित्तीय निगमों के बाण्ड इजरों में 5.2 करोड़ रुपए (मुखांकित मूल्य) और शेयर पूंजी के इजरों में 1.8 करोड़ रुपए का अभिदान किया है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के विशेष डिबेंचरों में भा०औ०वि० बैंक के अभिदान की राशि 1970-71 में 1.8 करोड़ रुपए थी। इसमें भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के सरकारी और विशेष डिबेंचरों में भा० औ० वि० बैंक अभिदान की कुल राशि जून 1971 के अन्त में बढ़कर 15.7 करोड़ रुपए हो गयी है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना होने पर भा०औ०वि० बैंक ने उसकी चुकता पूंजी के 2.5 करोड़ रुपयों के 50 प्रतिशत× का अंशदान किया है।

समग्र सहायता का उद्योगवार विभाजन

74. 1970-71 के दौरान और भा०औ०वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 के अन्त तक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दी गई कुल सहायता का उद्योगवार विवरण सारणी 13 में दर्शाया गया है। (अनुबन्ध V भी देखें) इस वर्ष स्वीकृत सहायता का अधिकांश भाग उर्वरकों और रसायनों (पैट्रो-रसायनों को मिलाकर), मूल धातु उद्योगों और मशीनों के निर्माताओं को दिया गया है।

सहायता का राज्यवार वितरण

75. भा०औ०वि० बैंक द्वारा 1970-71 में और उसकी स्थापना से लेकर जून 1971 के अन्त तक प्रदान की गयी कुल सहायता का राज्यवार वितरण अनुबंध VI और VII में दर्शाया गया है। पांडे समिति द्वारा जिन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों* को अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया है, उनको बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता की राशि जुलाई 1964 से जून 1971 तक की अवधि में स्वीकृत कुल सहायता का मोटे तौर पर 25 प्रतिशत थी।

×इसमें भा० औ० वि० बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ओर से किया गया 5 प्रतिशत का अभिदान शामिल नहीं है क्योंकि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम का संशोधन विचाराधीन है और उक्त अधिनियम के अनुसार फिलहाल ऐसा अभिदान करने की अनुमति नहीं है।

*अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड के राज्य और चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर सभी संघशासित क्षेत्र।

सारणी 13-1970-71 के दौरान और जुलाई 1964 में हुई स्थापना से लेकर जून 1971 तक स्वीकृत और वितरित सहायता* का उद्योगवार वर्गीकरण

(कुल सहायता में प्रतिशत)

उद्योग	1970-71		जुलाई 1964—जून 1971	
	स्वीकृतियां	वितरण	स्वीकृतियां	वितरण
1. पेय पदार्थों को छोड़कर खाद्य पदार्थ के निर्माता	2.6	3.8	2.1	2.3
2. वस्त्र (जूट सहित)	2.7	4.3	9.6	11.7
3. कागज और कागज की चीजें	3.3	1.5	3.2	2.4
4. उर्वरकों को छोड़कर मूल औद्योगिक रसायन	6.2	4.2	8.1	8.6
5. अन्य रसायन और रासायनिक पदार्थ	6.4	2.7	5.3	4.6
6. उर्वरक	8.6	2.3	11.2	11.2
7. सीमेंट	—	—	3.0	3.5
8. मूल धातु के उद्योग	22.7	13.5	13.9	9.1
9. बिजली की मशीनों को छोड़कर मशीनों का निर्माण	32.9	45.2	29.2	31.6
10. बिजली की मशीनों और उपकरणों आदि का निर्माण	5.4	8.8	6.4	6.1
11. सेवाएं	2.6	4.1	1.7	1.8
(इनमें से सड़क परिवहन के लिए)	(2.5)	(3.9)	(1.3)	(1.3)
12. अन्य उद्योग	6.6	9.6	6.3	7.1
जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0
(सहायता की राशि करोड़ रुपयों में)	(128.0)	(76.0)	(442.9)	(335.9)

* उनमें औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण, निर्यातों के लिए दिये गये ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान, पुनर्वित्त और पुनर्भंजन सहायता शामिल है ।

संभावनाएं और भविष्य : 1971-72

76. **1971-72 की संभावनाएं और भविष्य :** ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जबकि वह अनेक व्यापक क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि कर सकती है। पिछले चार वर्षों के अनुभव से यह पता लगता है कि यदि मौसम की स्थिति सामान्य बनी रही तो अगले वर्ष अनाज का उत्पादन कम-से-कम 5 प्रतिशत बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र के निवेशों में हुई वृद्धि और निजी क्षेत्र के निवेशों में की जाने वाली प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की दर के भी बढ़ने की संभावना है । वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता देने के महत्व में परिवर्तन हुआ है और अब पिछड़े हुए जिलों तथा क्षेत्रों में और सामान्यतः लघु क्षेत्र को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है; साथ ही, केन्द्रीय और राज्य सरकारें यह प्रयत्न कर रहीं है कि रोजगार के अवसरों का निर्माण किया जाए और कृषि, कृषि आधारित उद्योग और लघु क्षेत्र से संबद्ध विविध क्षेत्रों के कार्य में सुधार किया जाए। इन उपायों और भा०औ० वि० बैंक द्वारा अपनायी गयी संवर्धन भूमिका का रोजगार की स्थिति पर उत्तरोत्तर अच्छा प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसा लगता है कि निर्यात के वातावरण में सुधार हुआ है और विदेशी सहायता की संभावनाएं भी बहुत कुछ बढ़ गयी है।

77. इस बहुमुखी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किए जाने और यह मान लेने पर कि विकास के प्रमुख उद्देश्य को रचनात्मक भावना से पूरा करने के लिए नियंत्रण तंत्र का कल्पना-पूर्वक प्रयोग किया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने में अगले वर्ष और तेजी आने की संभावना है। परन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय राजनितिक स्थिति के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है; कोई भी इस बारे निश्चित वक्तव्य देने का खतरा मोल नहीं ले सकता कि यह अज्ञात परिवर्तनीय तत्व किस तरह पेश आएगा और आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगा। इसके अलावा, एक और तत्व की उपेक्षा नही की जा सकती जिसका विकास की गति से संबंध है अर्थात् पूर्वी बंगाल से आए हुए अभागे शरणार्थियों को अन्न, आवास तथा जीवन की अन्य न्यूनतम जरूरतें प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता के कारण हमारे अपने वित्तीय साधनों पर पड़ा हुआ दबाव।

78. बहरहाल, 1970-71 में मंजूर की गई सहायता और सहायता के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या और उनकी रकम के आधार पर निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि स्वीकृतियों और वितरणों से सम्बन्धित भा०औ०वि० बैंक के कार्यकलापों में और वृद्धि होगी। अस्थायी अनुमानों के अनुसार

वितरणों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह स्वाभाविक है कि भा०औ०वि० बैंक की संवर्धन नीतियों का पूरा प्रभाव कुछ वर्षों के बाद ही दिखाई देगा। इसके बावजूद यह हो सकता है कि इन नये उपायों के फलस्वरूप कतिपय राज्यों में ऐसी व्यवहार्य प्रायोजनाएं बन सकें जो निकट भविष्य में कार्यान्वित किये जाने लायक हों। यदि अगले वर्ष इस क्षेत्र में कुछ सफलता मिली तो भा०औ०वि० बैंक के कार्यकलापों में वस्तुतः अपेक्षा से अधिक तेज गति से वृद्धि होगी।

79. **विचाराधीन आवेदन-पत्र** : जून 1971 के अन्त तक सहायता के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विचाराधीन आवेदन-पत्रों का सारांश सारणी 14 में दिया गया है। प्रत्यक्ष सहायता और निर्यातों के आवेदन-पत्रों पर दी गई सहायता की राशियों के आंकड़े (बैंकों सहित) सभी मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं की सहायता की राशियों के हैं; प्रत्यक्ष सहायता में भा०औ०वि० बैंक का हिस्सा कुल सहायता का लगभग 40 प्रतिशत और निर्यात की वित्तीय सहायता में 50 प्रतिशत है।

सारणी 14—**जून 1971 के अन्त तक विचाराधीन आवेदन-पत्रों का सारांश**

सहायता का प्रकार	आवेदन-पत्रों की संख्या	मांगी गयी सहायता की राशि (रुपए करोड़ों में)
(1)	(2)	(3)
1. औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता		
ऋण . . .	38*	135.0
हामीदारी . .	22*	41.1
गारंटी . .	2*	0.2
2. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त . .	378÷	4.7
3. निर्यात के लिए सहायता .	19‡	84.9
4. पुनर्भांजन सहायता .	—	1.2
जोड़ . .	—	277.1

*अनेक मामलों में, जो सहायता मांगी गई है वह (बैंकों को मिलाकर) अन्य मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं की भागीदारी में दी गई है और इस बारे में अब तक कोई संकेत नहीं मिल सका है कि इसमें भा०औ०वि० बैंक का कितना हिस्सा होगा।

÷इसमें छोटी इकाईयों और छोटे सड़क परिवहन चालकों से प्राप्त 242 आवेदन-पत्र शामिल हैं; विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या 1970-71 में पुनर्वित्त के लिए प्राप्त कुल आवेदन-पत्रों की लगभग 19 प्रतिशत थी।

‡इसमें 81.4 करोड़ रुपयों के मूल्य के इंजीनियरी माल और सेवाओं के निर्यात से संबन्धित ऐसे 9 मामले शामिल हैं जिनके संबंध में बैंक ने सिद्धांततः प्रत्यक्ष निर्यात सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया है।

भा०औ०वि० बैंक की सहायता : 1971-72 की भावी रूपरेखा :

80. भा०औ०वि० बैंक द्वारा 1970-71 और उसके पहले के वर्षों में स्वीकृत सहायता, स्वीकृत किंतु वितरित न की गई सहायता, सहायता के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्रों आदि के आधार पर बैंक द्वारा 1971-72 (जुलाई-जून) में स्वीकृत और वितरित सहायता का स्थूल संकेत सारणी 15 में दिया गया है।

सारणी 15—1971-72 (जुलाई-जून) में स्वीकृत और वितरित की गई सहायता का अनुमान

(रु० करोड़ों में)

	1970-71 (वास्तविक)		1971-72 (अनुमान)	
	स्वीकृतियां	नकदी वितरण	स्वीकृतियां	नकदी वितरण
1. ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	43.2	4.9	55.0	18.0
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	5.6	3.7	10.0	4.0
3. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	25.6	21.2	30.0	24.0
4. मशीनों के बिलों का पुनर्भांजन	28.5	24.3	30.0	25.0
5. निर्यात ऋण :				
निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष ऋण	11.3	12.0	22.0	15.0
निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त	13.7	9.9	16.0	11.0
6. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान . .	3.1*	2.4*	4.4‡	4.4‡
	131.1	78.4	167.4	101.4

*इसमें भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के शेयरों की खरीद (1.37 करोड़ रुपये) शामिल नहीं है।

‡इसमें भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (2.75 करोड़ रुपये) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (0.8 करोड़ रुपये) के शेयरों की खरीद का अनुमान शामिल नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की निधियों के स्त्रोत और उनका उपयोग

81 **निधियों के स्त्रोत** : 1964-65 से लेकर अब तक के प्रत्येक वर्ष के निधियों के स्त्रोतों और उनके उपयोग से सम्बन्धित ब्यौरेवार आंक अनुबन्ध VIII में दिए गए हैं। सारणी 16 में भा०औ०वि०बैंक की निधियों के प्रमुख के स्त्रोत और पिछले दो वर्षों में तथा बैंक की स्थापना से लेकर जून 1771 के अन्त तक की अवधि में उनके परिचालन साधनों में उनका अंशदान दर्शाया गया है; इनमें 1971-72 के लिए अस्थायी अनुमानों का संकेत भी किया गया है।

सारणी—16—निधियों के प्रमुख स्त्रोत

(रुपये करोड़ों में)

	1969-70	1970-71	स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक	1971-72 अनुमान
1. चुकता पूंजी और रक्षित/ अधिशेष निधियों में वृद्धि	4.3 (6.0)	13.6 (14.1)	48.2 (12.1)	14.0 (11.5)
2. सरकार से लिये गये उधार	—	—	145.0* (36.4)	—
3. रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार	20.0 (27.8)	28.8 (29.8)	55.0 (13.8)	30.0 (24.7)
4. डिबेंचरों के रूप में लिये गये उधार	—	—	—	15.0 (12.3)
5. सहायता की अदायगी	27.9 (38.9)	36.9 (38.2)	137.0 (34.4)	49.0 (40.3)
6. निवेशों की बिक्री	2.4 (3.3)	0.3 (0.3)	2.7 (0.7)	1.0 (0.8)
जोड़ (इनमें नकदी/चल साधन और अन्य मदें शामिल हैं)।	71.8 (100.0)	96.6 (100.0)	398.2 (100.0)	121.7 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।

*इनमें भारतीय पुनर्वित्त निगम द्वारा जुलाई, 1964 और अगस्त 1964 के बीच उधार लिये गये 1 करोड़ रुपये शामिल हैं परन्तु उक्त निगम द्वारा जून 1964 के अन्त तक उधार लिये गये 32.5 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

82. भा०औ०वि० बैंक की सारी की सारी चुकता पूंजी के लिए रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने अभिदान किया है। जनवरी 1971 में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 10 करोड़ रुपयों का और अभिदान किये जाने पर 1970-71 में उक्त पूंजी बढ़कर 30 करोड़ हो गयी है। इस वर्ष सामान्य निधि या विकास सहायता निधि के लिए भारत सरकार से कोई उधार नही लिया गया। भारत सरकार को 2.7 करोड़ रुपयों की वापसी अदायगी करने के बाद जून 1971 के अंत में सरकार से लिए गये उधारों की बकाया राशि 146.7 करोड़ रुपए रह गयी थी। (इस राशि में विकास सहायता निधि के 26.4 करोड़ रुपये शामिल नहीं है)। रिजर्व बैंक की दीर्घकालीन क्रियाएं निधि में से लिए गए उधारों की राशि 28.8 करोड़ रुपए थी। इस निधि में से लिए गये उक्त उधारों की कूल राशि जून 1971 के अंत में 55.0 करोड़ रुपए हो गयी है।

83. अब तक निधियों के दो प्रमुख स्त्रोत (i) केन्द्रीय सरकार से लिए जाने वाले उधार और (ii) रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से लिए जाने वाले उधार रहे हैं। जिन संस्थाओं को बैंक द्वारा सहायता दी गयी थी उनके द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी किये जाने के फलस्वरूप भा०औ०वि० बैंक अपने परिचालन के कुछ प्रारंभिक वर्षों के बाद एक परिक्रामी निधि का निर्माण करने में समर्थ हो सका है और हाल के वर्षों में यह निधि एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गयी है। केवल गैर सरकारी बचतों द्वारा वास्तव में जिस स्तर तक वित्तपोषण किया जा सकता था उस स्तर से गैर सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले निवेशों को ऊपर ले जाने में भा०औ०वि० बैंक ने सफलता पाई है और इसका कारण उसके कार्यकलाप हैं। बैंक ने अब तक विदेशों से कोई राशि उधार नहीं ली है।

84. यदि हर तरह से सोचा जाए तो भा० औ० वि० बैंक को अब तक वित्तीय साधनों की कोई कमी महसूस नहीं हुई है। परंतु सरकार के बजट में दर्शाई गई तंगी की स्थिति के कारण सरकार ने 1969-70 से निधियां देना बंद कर दिया है। आंतरिक रूप से नकद राशियां जुटाने और पहले दिये गये ऋणों की वापसी अदायगी के अलावा अब रिजर्व बैंक आफ इंडिया भा० औ० वि० बैंक की निधियों का एकमात्र स्रोत रह गया है और उससे मुख्यतः दीर्घकालीन क्रियाएं निधि के जरिए ही निधियां प्राप्त होती हैं। इस निधि के अंतर्गत उपयोग न की गयी बकाया राशि अभी हाल तक तक 40 करोड़ रुपये थी और रिजर्व बैंक द्वारा उक्त निधियों में किये जानेवाले अन्तरण के कारण उक्त राशि बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गयी है। साथ ही, निवेश सम्बन्धी वातावरण में साधारण सुधार हुआ है और 1971-72 और उसके बाद के वर्षों में निवेशों में तेजी से वृद्धि होने की सम्भावना है। इस प्रकार, यह सम्भव है कि भा० औ० वि० बैंक को वित्तीय साधनों की कमी का अनुभव करना पड़े जिसका उसे अब तक अनुभव नहीं हुआ।

85. अपने कार्यकलाप के प्रयोजनों की दृष्टि से भा०औ०वि० बैंक को पर्याप्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए नये और विविध स्रोतों से निधियां प्राप्त करनी होंगी। उदाहरण के तौर पर वह जनता से जमा राशियों के रूप में या डिबेंचर जारी करके बाजार से प्राप्त किये जाने वाले ऋणों के रूप में निजी क्षेत्र से वित्तीय साधन जुटा सकता है। भा० औ० वि० बैंक ने जिन संस्थाओं को सहायता दी है और जो अब अपने काम-काज के कारण लाभदायक स्थिति पर पहुंच गयी है, उनको वह अपने बाण्डों में अभिदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आखिरकार यदि भा०औ० वि० बैंक से यथासमय और उदार सहायता न मिलती तो ये संस्थाएं समृद्ध न बन पाती, अतः इन संस्थाओं का यह नैतिक दायित्व समझा जाना चाहिए कि वे विकास के वित्तपोषण-कार्यक्रम में भा० औ० वि० बैंक की सहायता करें। भा०औ०वि० बैंक ने वास्तव में 1971-72 में पहली बार बाजार में प्रवेश करने का इरादा किया है। निधियों के जिन कतिपय अन्य संभाव्य स्रोतों का सहारा लिया जा सकता है वे मशीनों से सम्बन्धित बिलों का रिजर्व बैंक से और निर्यात बिलों का रिजर्व बैंक/विदेशी बैंकों से पुनर्भाजन करके निधियां प्राप्त करना और विश्व बैंक जैसी अंतर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना है।

86. निधियों का उपयोग : भा०औ०वि० बैंक द्वारा विविध शीर्षों के अधीन दी गयी सहायता के स्वरूप की ब्यौरेवार चर्चा इसके पहले की जा चुकी है। सारणी 17 में निधियों के उपयोग का सारांश दिया गया है। भा०औ०वि० बैंक द्वारा मीयादी वित्तपोषण संस्थाओं (बैंकों को मिलाकर) को जो भारी राशियां दी गई हैं, वे भा०औ० वि० बैंक द्वारा शिखर संस्था के रूप में निभायी गयी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की परिचायक है।

सारणी 17—निधियों के प्रमुख उपयोग

(रु० करोड़ों में)

	1969-70	1970-71	स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक	1971-72 (अनुमान)
1. भा० औ० वि० बैंक द्वारा औद्योगिक इकाइयों को और निर्यातों के लिए निधियों की प्रत्यक्ष पूर्ति	16.0 (22.3)	20.6 (21.3)	124.1 (31.2)	37.0 30.4
2. अन्य मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं और बैंकों को उनके द्वारा उद्योग और निर्यातों को दी जानेवाली सहायता के लिए उनकी निधियों की अनुपूर्ति	39.8 (55.4)	63.4 (65.6)	253.0 (63.5)	73.0 (60.0)
3. अन्य (इनमें सरकार से लिये गये उधारों की वापसी अदायगी, चल वित्तीय साधन सहित नकदी बकाया, आदि शामिल हैं)	16.0 (22.3)	12.7 (13.1)	21.1 (5.3)	11.7 (9.6)
जोड़	71.8 (100.0)	96.6 (100.0)	398.2 (100.0)	121.7 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।

मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं के कार्यकलापों की प्रवृत्तियां

87. इस खण्ड में 1970-71 (अप्रैल-मार्च) के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशों की वृद्धि की दर को फिर से पूर्व स्तर पर लाने में जिन अखिल भारतीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों की प्रमुख मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं ने योगदान दिया है, उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस कार्य की समीक्षा करते समय भा०औ०वि० बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राज्य वित्तीय निगमों के कार्य-कलापों को भी ध्यान में रखा गया है।

88. **वितरित सहायता की प्रवृत्तियां** : संस्थानिक सहायता के वितरणों में 1964-65 से लेकर अब तक पायी गयी प्रवृत्ति सारणी 18 में दर्शायी गयी है ताकि उससे गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग में किये जाने वाले निवेशों का वित्तपोषण करने में मीयादी वित्त-पोषक संस्थाओं की वर्तमान भूमिका का संकेत मिल सके।

सारणी 18—मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा सहायता का वितरण—1964-65 से 1970-71 (अप्रैल-मार्च)

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	वितरित रुपया सहायता	वितरित विदेशी मुद्रा ऋण	कुल वितरित सहायता	पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत परि-वर्तन
1964-65	60.8	10.5	71.3	
1965-66	82.9	22.9	105.8	+48.4
1966-67	104.0	21.5	125.6	+18.7
1967-68	90.8	14.2	105.0	—16.4
1968-69	74.8	11.1	85.8	—18.3
1969-60	102.6	13.7	116.3	+35.5
1970-71	124.3	24.1	148.4	+27.6

1967–69 के दो वर्षों में निवेश संबंधी प्रवृत्ति में जो शिथिलता पायी गयी है वह उक्त अवधि के दौरान उद्योग को प्रभावित करने वाली मंदी की द्योतक है। यह बात उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों में आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है वह तेज भी रहा है और तीव्र भी। 1969-70 में संस्थानिक वितरणों की राशि उसके पहले के वर्ष के घटे हुए स्तर की अपेक्षा 35.5 प्रतिशत अधिक थी और यद्यपि 1970-71 में पाई गई प्रतिशत में वृद्धि (27.6 प्रतिशत) 1969-70 की अपेक्षा कम थी। फिर भी वास्तविक आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है अर्थात् वितरणों की राशि 116.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 148.4 करोड़ रुपये हो गयी है जो कि हाल के वर्षों का उच्चतम स्तर है। संबंधित संस्थाओं द्वारा 1970-71 में दी गई सहायता के आंकड़े अनुबंध IX (क) और IX (ख) में दर्शाए गये हैं।

89. **स्वीकृत सहायता की प्रवृत्तियां** : 1970-71 में स्वीकृत सहायता की मात्रा के आंकड़े निवेश के वातावरण और निवेश में हुई पर्याप्त वृद्धि के लिए सुविधा पहुंचाने की इन संस्थाओं की इस भूमिका का संकेत करते हैं जिसके 1971-72 में उभर कर सामने आने की संभावना है (सारणी 19)। इस स्वीकृतियों के आकड़ों से यह पता लगता है कि उनमें 1969-70 के स्तर की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में यह प्रतिशत और भी अधिक था जो इस बात का द्योतक है कि ऐसे जटिल (सोफिस्टीकेटेड) उद्योगों के निवेशों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है जो स्वभावतः आयात को बढ़ाने वाले हैं।

90. **निधियों के स्त्रोत और उपयोग** : 1970-71 के लिए मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं की निधियों के स्त्रोत और उनके उपयोग संबंधी आंकड़े अनुबंध X में दिय गये हैं।

सारणी 19—1969-70 और 1970-71 (अप्रैल-मार्च) में मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता

(रु० करोड़ों में)

		1969-70	1970-71	प्रतिशत वृद्धि/कमी
रुपया ऋण ..	स्वीकृतियाँ	119.8	180.9	51.0
	वितरण	91.8	112.2	22.2
शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान ..	स्वीकृतियाँ	18.5	17.9	—3.2
	वितरण	10.8	12.1	12.0
विदेशी मुद्रा ऋण ..	स्वीकृतियाँ	15.5	33.8	118.1
	वितरण	13.7	24.1	75.9
जोड़ ..	स्वीकृतियाँ	153.9	232.6	51.2
	वितरण	116.3	148.4	27.6

विकास सहायता निधि के लेन देन*

91. भा०औ०वि० बैंक द्वारा जून 1969 के अन्त तक की अवधि में विकास सहायता निधि से तीन परियोजनाओं को कुल 33.2 करोड़ रुपयों की सहायता की स्वीकृति दी गई थी; इस सहायता में 5.1 करोड़ रुपयों की आस्थगित अदायगी गारंटी के अलावा, 25.4 करोड़ रुपयों के ऋण और 2.7 करोड़ रुपयों की हामीदारी सहायता शामिल है। इसमें 1968-69 में गेडे लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड को इस निधि में से स्वीकृत 35 लाख रुपयों का ऋण शामिल है। भा० औ०वि० बैंक ने, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन, 1970-71 में विकास सहायता निधि में से गेडे लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड को 36 लाख रुपयों की अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति दी है जो उक्त कम्पनी के ईक्विटी शेयरों में अभिदान के रूप में दी गई है। इस प्रकार, विकास सहायता निधि में से उक्त कम्पनी को स्वीकृत सहायता की कुल राशि 71 लाख हो गई है। उक्त कंपनी को, अन्य बातों के साथ-साथ देश में ही प्राप्त किये जाने वाले एक विशिष्ट संतुलन उपकरण की लागत और आयात किये जाने वाले सांचों की लागत का वित्तपोषण करने के लिए तथा बढ़े हुए उत्पादन के लिए अतिरिक्त कार्यकर पूंजी की सीमान्त रकम की व्यवस्था करने के लिए अधिक सहायता देना आवश्यक समझा गया है।

92. 1970-71 में विकास सहायता निधि में से सहायता का वितरण नहीं किया गया; अतः बैंक की स्थापना से लेकर अब तक की अवधि में उक्त निधि में से किये गए वितरणों की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह 27.9 करोड़ रुपए ही बनी रही; तथा न ही, केन्द्रीय सरकार से भी कोई और राशि उधार ली गयी। इस वर्ष भा०औ०वि० बैंक ने सरकार को कुल 95.15 लाख रुपयों की वापसी अदायगी की है; इस राशि में, बैंक द्वारा 1964-65 में लिए गये। लाख रुपयों के ऋण की दूसरी किश्त (रु० 8.348) और 1965-66 में दिए गये 12.24 करोड़ रुपयों के ऋण की पहली किश्त (रु० 95.07 लाख) शामिल हैं। 30 जून 1971 को उक्त निधि के लिए सरकार से लिए गये ऋणों की बकाया राशि 26.40 करोड़ रुपये थी। विकास सहायता निधि के प्रशासन व्यय के लिए सामान्य निधि को 4.8 लाख रुपयों की राशि का अंतरण करने के बाद 1970-71 में उक्त निधि के लाभ की राशि 98 लाख रुपये (1969-70 में 78 लाख रुपये) थी।

* इस निधि की स्थापना भा. औ. वि बैंक अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मार्च 1965 में हुई थी और इसे बैंक की सामान्य विधि से अलग रखा जाता है ताकि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उन विशेष रूप से योग्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा सके जिनको बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से उनके सामान्य कारोबार के दौरान वित्तीय सहायता मिलने की संभावना नहीं है।

भा० औ० वि० बैंक के सचिवालय के कार्यकलाप

93. निदेशक बोर्ड : भा० औ० वि० बैंक के निदेशकों का बोर्ड रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के समान ही है। भार सरकार द्वारा सर्वश्री वी० वी० चारी और एस० एस० शिरालकर क्रमशः 17 नवम्बर, और 18 दिसम्बर, 1970 से पांच वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के उप-गवर्नर के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतः उक्त तारीखों से वे भा० औ० वि० बैंक के निदेशक हो गये हैं। 20 नवम्बर, 1970 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा भा० औ० वि० बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर डा० आर० के० हजारी के बदले श्री वी० वी० चारी को नामित किया गया। डा० हजारी 4 मई, 1970 से उपाध्यक्ष के रूप में अस्थायी प्रभार संभाले हुए थे। डा० हजारी ने भा० औ० वि० बैंक की जो बहुमूल्य सेवा की है उसके लिए बोर्ड उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

94. 14 जनवरी, 1971 को दो निदेशक, अर्थात श्री सी० पी० एन० सिंह और प्रो० एम० मुजीब अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए। उक्त सेवा निवृत्त निदेशकों ने बोर्ड की जो बहुमूल्य सेवा की हैं उसके लिए बोर्ड उनका आभारी है।

95. इस वर्ष निदेशक बोर्ड की सात बैठकें हुईं जिनमें से चार बैठकें बम्बई में और मद्रास, कलकत्ता, और नई दिल्ली में एक-एक बैठक हुई।

96. कार्यकारिणी समिति : बोर्ड द्वारा गठित जिस कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य आठ निदेशक शामिल हैं उसकी बारह बैठकें हुए हैं। इनमें से मद्रास, कलकत्ता और नई दिल्ली में एक-एक बैठक और शेष 9 बैठकें बम्बई में हुई।

97. तदर्थ सलाहकार समिति : पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी भा० औ० वि० बैंक विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में सलाह लेने के लिए तकनीकी सलाहकारों और परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाता रहा। इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर **तदर्थ सलाहकार समितियों** का गठन किया गया है। तदर्थ सलाहकार समितियों की कुल ग्यारह बैठकें हुई हैं। निदेशक बोर्ड सलाहकारों और विशेषज्ञों की बहुमूल्य सहायता और सलाह के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

98. आंतरिक संगठन : पिछली रिपोर्ट में कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालय को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने तथा उस के द्वारा सहायता की स्वीकृति से सम्बन्धित निर्णय लिए जाने के लिए जुलाई 1970 में उक्त कार्यालय के लिए एक क्षेत्रीय समिति के गठन का उल्लेख किया गया था। उसके बाद बैंक ने दो और क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है जिनमें से एक उत्तरी क्षेत्र के लिए और दूसरी दक्षिणी क्षेत्र के लिए है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा।

99. कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (और पश्चिमी क्षेत्र के लिए बम्बई में एक अलग सेल) के अलावा, बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों के नौ केन्द्रों में शाखा कार्यालय स्थापित किये गये है। उक्त कार्यालयों के खोले जाने की तारीखें और उनके कार्यक्षेत्र की सीमाएं नीचे दर्शायी गयी है। ऐसा प्रत्येक कार्यालय प्राथमिक सम्पर्क स्थल और सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाली औद्योगिक, वित्तीय तथा विकास एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाये रखेगा ताकि भा० औ० वि० बैंक को प्रत्येक राज्य में अपने उन संवर्धन कार्यों को पूरा करने में सुविधा हो सके जिनका दायित्व उस पर आया है।

शाखा कार्यालय	खोले जाने की तारीख	कार्यक्षेत्र की सीमा
पटना	1-8-1970	बिहार राज्य
चंडीगढ़	11-8-1970	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के राज्य और चण्डीगढ़ का संघशासित क्षेत्र
त्रिवेन्द्रम	11-8-1970	केरल राज्य और लक्षदीप, मिनीकॉय और अमिनीदीव द्वीपों के संघशासित क्षेत्र
भोपाल	19-11-1970	मध्य प्रदेश राज्य
गोहाटी	29-3-1971	असम, नागालैंड तथा मेघालय के राज्य और मणिपुर, नेफ़ा तथा त्रिपुरा के संघशासित क्षेत्र
बंगलूर	15-4-1971	मैसूर राज्य
जम्मू	28-6-1971	जम्मू और कश्मीर राज्य
हैदराबाद	19-7-1971	आंध्र प्रदेश राज्य
कानपुर	23-8-1971	उत्तर प्रदेश राज्य

100. श्री एस० एल० एन० सिम्हा 10 जनवरी, 1966 से 16 सितम्बर, 1967 तक और फिर 4 अप्रैल 1970 से भा० औ० वि० बैंक के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने 31 दिसम्बर, 1970 को बैंक की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया है। श्री सिम्हा ने बैंक की जो बहुमूल्य सेवा की है, उसके लिए बोर्ड उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के आर्थिक विभाग के सलाहकार डा० वी० वी० भट्ट ने 4 दिसम्बर, 1970 को भा० औ० वि० बैंक के जनरल मैनेजर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

101. **भा० औ० वि० बैंक के संगठन को सुदृढ़ बनाना :** इस वर्ष भा० औ० वि० बैंक की संगठन और कार्यकारी व्यवस्था को सरल, कारगर और सुदृढ़ बनाने के उपाय किये हैं। मूल्यांकन विभाग का नाम बदलकर परियोजना विभाग कर दिया गया है और उसे छः मूल्यांकन दलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक दल में एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक अर्थ विशेषज्ञ तथा एक वित्तीय विश्लेषक शामिल हैं और प्रत्येक दल एक विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजना का मूल्यांकन करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। वर्तमान आर्थिक और योजना विभाग को अनुसंधान विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है जो एक उप-जरनल मैनेजर-व-आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया है; उक्त विभाग का कार्य विकास से सम्बन्धित बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में परिचालन सम्बन्धी ऐसा अनुसंधान करना है जिनका भा० औ० वि० बैंक के कार्य और नीतियों से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो। वर्तमान परिचालन विभाग को विभाजित करके एक नया अनुवर्ती कार्यवाही विभाग स्थापित किया गया है ताकि जिन परियोजनाओं को भा० औ० वि० बैंक द्वारा सहायता दी गई है उनके निरीक्षण कार्य को सुदृढ़ बनाया जा सके। बोर्ड और कार्यकारिणी समिति से सम्बन्धित कार्य करने और शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कार्यालय से समन्वय स्थापित करने के लिए सचिव, निदेशक बोर्ड का पद बनाया गया है।

102. **अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन** : भा० औ० वि० बैंक के उपाध्यक्ष श्री वी० वी० चारी ने बैंक के निर्यात विभाग के मैनेजर के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जुलाई, 1971 में कोपनहेगन में आयोजित औद्योगिक विकास की वित्तपोषक संस्थाओं में सहयोग की दूसरी बैठक में भाग लिया उन्होंने बैठक में भाग लेने वाले कतिपय देशों के विकास बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग विचार विमर्श भी किया। निर्यात विभाग के मैनेजर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में बेलग्रेड में सितम्बर/अक्तूबर, 1970 में निर्यात ऋण बीमा और ऋण के वित्तपोषण पर आयोजित विचार गोष्ठी में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लिया था।

103. **कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अध्ययन दौरे :** विकासशील देशों में विकास की पहल करने के संदर्भ में विकास-बैंकिंग ने एक नया महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। योजना का अन्वेषण करने, उसको तैयार करने और उसके निर्धारण के मानदंडों, तकनीकों और क्रियाविधियों की संभावनाओं से संबंधित साहित्य में लगातार वृद्धि हो रही है। भा० औ० वि० बैंक के सक्रिय कार्य संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्मचारी वर्ग इस क्षेत्र के नये अनुभवों, उसकी नयी समस्याओं और नये विकास के प्रति जागरूक रहे। इस संदर्भ में देश और विदेश में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रश्न काफ़ी महत्व रखता है। इस वर्ष भा० औ० वि० बैंक ने अपने अधिकारियों को बंबई स्थित बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कॉलेज ऑफ इंडिया और बंबई स्थित नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मेनेजमेंट जैसी देश की प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थाओं द्वारा आयोजित विविध पाठ्यक्रमों में भेजना जारी रखा। इस वर्ष के दौरान बैंक के ग्यारह अधिकारियों ने विकास वित्तपोषण और संबद्ध विषयों पर उक्त संस्थाओं द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लिया है इसके अलावा, तीन वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम जर्मनी के ड्यूश बैंक और केन्द्रिस्ताल फर वीदरफां (के० एफ० डब्ल्यू०) में और वाशिंगटन के एक्जिम बैंक तथा आर्थिक विकास संस्था में प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने भी औद्योगिक वित्तपोषण पर जापान के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लिया है।

104. भा० औ० वि० बैंक के संयुक्त जनरल मैनेजर भी एशिया महाद्वीप के देशों, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मीयादी वित्तपोषण करने वाली कतिपय प्रमुख संस्थाओं में अध्ययन दौरे पर गये थे।

105. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण** : भा० औ० वि० बैंक के पास भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत शेयर हैं। उसने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भा० औ० वित्त निगम कार्यकलापों का पर्यवेक्षण जारी रखा। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार भा० औ० वि० बैंक ने 1969-70 के लिए मेसर्स वाकर चंडीओक एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। वे 1970-71 में भी उक्त निगम के लेखा परीक्षक बने रहे। भारतीय औद्योगिक वित्त अधिनियम की धारा 10(1) (कक) के अनुसार 14 दिसम्बर, 1970 को श्री एस० एल० एन० सिम्हा के स्थान पर डा० वी० वी० भट्ट भा० औ० वि० बैंक के जनरल मैनेजर को भा० औ० वित्त निगम के

निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया। लाला चरत राम और श्री आर० एन० भार्गव के स्थान पर श्री एफ० के० एफ० नरीमान और डा० सेम्युअल पॉल को भा० औ० वि० बैंक के नामितों के रूप में भा० औ० वित्त निगम के निदेशक बोर्ड में क्रमशः 16 सितम्बर 1970 और 16 नवम्बर, 1970 से नियुक्त किया गया है।

भा० औ० बैंक के लेखे-सामान्य निधि

106. भा० औ० वि० बैंक की सामान्य निधि के लेखे विकास सहायता निधि से अलग रखे जाते हैं।

107. आय और व्यय : 1970-71 के लेखा वर्ष में बैंक की सामान्य निधि की कुल आय में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह इस वर्ष 1969-70 के 11.8 करोड़ रुपयों से बढ़कर 12.9 करोड़ रुपये हो गई है और कुल व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वह इस वर्ष 7.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 9.5 करोड़ रुपये हो गया है; 1969-70 में इसके तदनुरूपी प्रतिशत 13·2 और 15.6 थे। कुल व्यय में जो अधिक वृद्धि हुई उसके मुख्य कारण इस प्रकार है : (क) इस वर्ष क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय खोले गये हैं और भा० औ० वि० बैंक के संगठन को आमतौर पर सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किये गये हैं और (ख) जनवरी 1971 में बैंक दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक से लिये गए उधारों की बकाया राशि पर ऊंची दर से ब्याज का प्रभार देना पड़ा है। सहायता की बकाया राशि में जो वृद्धि हुई (25 प्रतिशत) है, कुल आय में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इसका अंशतः कारण यह है कि कुल सहायता में रियायती दर पर दी गयी सहायता का अधिक हिस्सा था; उदाहरण के तौर पर निर्यात सहायता अब कुल सहायता का 10.6 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष वह 3.3 प्रतिशत थी। इसके अलावा इस वर्ष भा० औ० वि० बैंक की सहायता पर ब्याज की जो ऊंची दरें लागू की गई हैं वे वृद्धि किये जाने के बाद किये गये नये वितरणों पर लागू की गई हैं और वे सहायता की बकाया राशि पर लागू नहीं होतीं।

108. इसके फलस्वरूप, शुद्ध लाभ की राशि में थोड़ी सी कमी हुई और वह इस वर्ष 1969-70 के 3.9 करोड़ रुपयों से घटकर 3·4 करोड़ रुपये हो गयी है। लाभ की राशि में से (1969-70 के 3.1 करोड़ रुपयों की तुलना में) 2.5 करोड़ रुपयों की राशि रक्षित निधि में अन्तरित की गयी है, इससे 30 जून, 1971 को इस निधि की राशि बढ़कर 14.5 करोड़* रुपये हो गयी है। 93.75 लाख रुपयों (1969-70 में 80 लाख रुपये) की बकाया रकम रिज़र्व बैंक को अन्तरित की गयी जो लाभांश की दर में थोड़ी सी कमी थी अर्थात् 4 प्रतिशत के मुकाबले 3.75 प्रतिशत की द्योतक है।

109. लेखा परीक्षक : बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा मेसर्स के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा की गयी है जिनकों भा० औ० वि० बैंक अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

*इनमें निवेश की रक्षित निधि शामिल नहीं है जो जून 1971 के अन्त में निवेशों की बिक्री पर हुए 61.6 लाख रुपयों के लाभ की राशि दर्शाती है।

अनुबंध

1964-65 से 1970-71 (जुलाई-जून) तक भा० औ०

1964-65

(1)	(2)
1. प्रत्यक्षक ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	14.8
(क) पिछड़े ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िलों को दिये गये ऋण	14.4
(ख) पिछड़े ज़िलों को दिये ऋण@	0.4
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	6.3
(क) पिछड़े ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िलों को दिये गये ऋण	5.4
(ख) पिछड़े ज़िलों को दिये गये ऋण@	0.9
3. औद्योगिक ऋण के लिए पुनर्वित	20.9
(क) सामान्य और रियायती दरों पर (पिछड़े ज़िलों की लघु उद्योग योजनाओं, छोटे सड़क परिवहन चालकों और यूनिटों को दिये गये ऋणों को छोड़कर)	20.9
(ख) रियायती दरों पर	
(i) लघु उद्योग	0.04
(ii) छोटे सड़क परिवहन चालक	—
(iii) पिछड़े ज़िले	—
4. बिलों का पुनर्भाजन	0.1
1 से 4 तक का जोड़	42.1
5. निर्यात वित्त	
(i) प्रत्यक्ष	—
(ii) पुनर्वित	0.2
1 से 5 तक का जोड़	42.3
6. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान*	2.2
1 से 6 तक का जोड़	44.55
7. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियां	5.3
8. निर्यात गारंटियां	—

*इन में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के शेयरों की खरीद शामिल नहीं है।
@ब्याज की सामान्य दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया गया है।

1 (क)

वि० बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	जुलाई 1964 में भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का कुल जोड़
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32.4	**21.8**	**14.6**	**13.7**	**7.6**	**43.2**	**148.1**
30.6	20.9	13.3	90.8	4.8	26.3	120.1
1.8	0.9	1.3	3.9	2.8	16.9	28.0
6.0	**0.9**	**1.2**	**2.4**	**6.1**	**5.6**	**28.5**
6.6	0.8	0.9	0.9	2.5	5.6	22.1
—	0.1	0.3	1.5	3.6	—	6.4
19.5	**19.6**	**9.5**	**13.9**	**14.3**	**25.6**	**123.3**
19.3	19.4	9.0	11.2	8.3	10.7	98.8
0.2	0.2	0.5	2.6	3.4	11.7	18.7
—	—	—	0.1	2.6	3.1	5.7
—	—	—	—	—	0.1	0.1
2.2	**7.1**	**12.4**	**15.5**	**24.1**	**28.5**	**89.9**
60.2	**49.4**	**37.7**	**45.4**	**52.2**	**102.9**	**389.8**
—	—	—	6.5	11.2	11.3	29.1
0.7	0.5	0.3	7.3	1.3	13.7	24.0
60.8	**49.9**	**38.0**	**59.2**	**64.7**	**128.0**	**442.9**
1.7	**9.4**	**1.9**	**4.5**	**0.5**	**3.1**	**23.3**
62.5	**59.3**	**39.9**	**63.7**	**65.2**	**131.1**	**466.2**
10.6	8.2	—	0.01	2.5	2.6	29.3
—	—	—	0.6	—	1.1	1.7

अनुबन्ध

1964-65 से 1970-71 (जुलाई-जून) तक भा० औ० वि०

1964-65

(1)	(2)
1. प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	—
(क) पिछड़े जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के लिए दिये गये ऋण	—
(ख) पिछड़े जिलों को दिये गए ऋण@	—
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	0.4
(क) पिछड़े जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के लिए दिये गये ऋण	0.3
(ख) पिछड़े जिलों को दिए गए ऋण@	0.1
3. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	21.2
(क) सामान्य दरों पर	21.2
(ख) रियायती दरों पर (पिछड़े जिलों की लघु उद्योग योजनाओं, छोटे सड़क परिवहन चालकों और यूनिटों को दिए गए ऋणों को छोड़कर)	—
(ग) रियायती दरों पर	—
(i) लघु उद्योग	—
(ii) छोटे सड़क परिवहन चालक	—
(iii) पिछड़े जिले	—
4. बिलों का पुनर्भाजन	0.1
1 से 4 तक का जोड़	21.7
5. निर्यात वित्त	
(i) प्रत्यक्ष	—
(ii) पुनर्वित्त	—
1 से 5 तक का जोड़	21.7
6. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	2.2
1 से 6 तक का का जोड़	23.9

*इनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के शेयरों की खरीद शामिल नहीं है।

@ब्याज की सामान्य दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया गया है।

I (ख)

बैंक द्वारा वितरित सहायता की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	जुलाई 1964 में भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का कुल जोड़
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.9	**20.7**	**18.0**	**15.3**	**10.9**	**4.9**	**89.6**
18.8	20.5	16.2	15.0	9.2	4.1	83.8
1.1	0.2	1.8	0.3	1.7	0.8	5.9
5.3	**5.2**	**1.1**	**1.6**	**2.2**	**3.7**	**19.6**
4.8	5.0	1.0	0.5	1.5	1.5	14.6
0.5	0.2	0.1	1.1	0.7	2.2	4.9
21.4	**19.5**	**10.8**	**11.6**	**12.5**	**21.2**	**118.1**
21.4	19.5	7.3	4.4	3.5	4.1	81.4
—	—	3.4	5.7	7.0	8.7	24.8
—	—	0.1	1.5	1.9	7.6	11.1
—	—	—	—	0.1	0.7	0.8
—	—	—	—	—	0.1	0.1
1.9	**6.1**	**10.6**	**13.3**	**20.6**	**24.3**	**77.0**
48.5	**51.5**	**40.5**	**41.8**	**46.2**	**54.2**	**304.4**
—	—	—	—	2.9	12.0	14.9
0.9	0.4	0.3	2.5	2.7	9.9	16.6
49.4	**51.9**	**40.8**	**44.3**	**51.8**	**76.0**	**335.9**
1.7	**7.4**	**3.9**	**4.5**	**0.5**	**2.4**	**22.6**
51.1	**59.3**	**44.7**	**48.7**	**52.3**	**78.4**	**358.4**

अनुबन्ध

1970-71 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा जिन औद्योगिक

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	परियोजना की लागत	वित्त पोषण के साधन: सामान्य और अधिमान शेयर	वित्त पोषण के साधन: डिबेंचर	वित्त पोषण के साधन: ऋण आदि*	वित्त पोषण के साधन: आस्थगित अदायगियां
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	257.3‡‡	8.0	65.0	187.0	—
2.	लैम्प कैप्स एण्ड फिलामेंट्स लिमिटेड	75.0	40.0	—	(125.0) 35.0	—
3.	एस्कोर्ट्स टैक्टर्स लि०	983.7	250.0	—	719.0	15.0
4.	टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	13347.0@@@	—	2000.0	(140.0) 11347.0 (10713.0)	—
5.	ओ०/ई०/एन० इण्डिया लिमिटेड	101.4	40.0	—	61.4	—
6.	कमानी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०	291.4	30.0	—	(14.4) 261.4	—
7.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि०	200.0	—	64.0†††	(102.4) —	—
8.	मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	1076.0	—	—	1076.0 (654.0)	—
9.	शेषशायी इण्डस्ट्रीज लि०	40.5	—	—	40.5 (605)	—
10.	सनबेल एलॉयज कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०	39.0	24.0	—	15.0	—
11.	स्वदेशी पॉलिटेक्स लि०	1272.0	440.0	—	814.0	18.0
12.	इण्डो निप्पॉन प्रिसीजन बियरिंग्स लि०	337.0	187.5	—	95.0	54.5
13.	गुजरात पॉलिमिड्स लि०	1100.0	440.0	—	590.0	70.0
14.	आंध्र फाउण्ड्री एण्ड मशीन कम्पनी लि०	190.4***	87.1	10.0	93.3	—
15.	डकट्रान कॉस्टिंग्स लि०	36.0	20.0	—	16.0	—
16.	गेडे आइरन एण्ड स्टील कं० लि०	264.0	111.0	—	132.2	20.8
17.	महिन्द्रा मिल्स लि०	80.0‡‡	40.0	—	40.0	—
18.	ट्रेको केबल कम्पनी लिमिटेड	150.0	45.0	—	105.0	—
19.	टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लि०	738.0	—	—	738.0	—
20.	शक्ति पाइप्स लि०	45.0‡‡	20.0	—	25.0	—
21.	इण्डियन मैंकेनाइजेशन एण्ड एलायड प्राडक्ट्स	45.0	20.0	—	25.0	—
22.	श्री इन्जीनियरिंग प्राडक्ट्स लि०	14.0	—	—	14.0	—

II

परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (निर्यातों को छोड़कर) दी गई है, उनका ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहभागियों का अंशदान			भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता						
				हामीदारी					
प्रवर्तक निदेशक आदि**	सहभागी	7 और 8 का जोड़**	ऋण@	सामान्य और अधिमान शेयर@	डिबेंचर@	10 और 12 का जोड़@	गारंटी@	2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
125.0	8.0	133.0	—	—	45.0	45.0	—	51.7	17.5
10.0	5.0	15.0	—	10.5	—	10.5	—	20.0	14.0
267.5	100.0	367.5	130.0	15.0@@	—	145.0	—	37.4	14.7
10713.0	—	10713.0	—	—	100.0	100.0	—	80.3	0.7
36.4	18.0	54.4	10.0	—	—	10.0	—	53.6	9.9
			(47.0)			(47.0)			(46.3)
102.4	—	102.4	41.3	—	—	41.3	—	35.1	14.2
			(71.3)		—	(71.3)			(24.5)
—	—	—	—	—	24.0	24.0	—	—	12.0
654.0	—	654.0	250.0†	—	—	250.0	171.0	60.8	23.2
6.5	—	6.5	25.0	—	—	25.0	—	16.0	61.7
5.0	—	5.0	—	11.5	—	11.5	—	12.8	29.5
165.0	—	165.0	270.0++	95.0++	—	365.0	—	13.0	28.7
165.0	22.5	187.5	50.0	—	—	50.0	—	55.6	14.8
133.9	67.5	201.4	127.5	48.8	—	176.3	90.0†	18.3	16.0
54.7	—	54.7	12.0	5.0	—	17.0	—	28.7	8.9
6.0	—	6.0	—	9.0§	—	9.0	—	16.7	25.0
23.8	10.0	33.8	—	36.0@@+	—	36.0	—	12.8	13.6
(5.9)			(53.0)	(45.0)		(98.0)			(37.1)
5.0	—	5.0	50.0	—	—	50.0	—	6.3	62.5
45.0	—	45.0	50.0	—	—	50.0	—	30.0	33.3
83.0	—	83.0	380.0	—	—	380.0	—	11.2	51.5
5.0	—	5.0	25.0†	5.0@@	—	30.0	—	11.1	66.7
11.9	—	11.9	2.0	—	—	2.0	—	26.4	4.4
			(8.0)	(2.0)		(10.0)			(22.2)
—	—	—	8.6	—	—	8.6	—	—	61.4

अनुबंध

1970-71 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा जिन औद्योगिक परियोजनाओं

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	परियोजना की लागत	वित्त पोषण के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि*	आन्तरिक अदायगियां
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	प्लास्टिक रेजिन्स एण्ड केमिकल्स लि०	985.0	310.0	—	675.0 (60.0)	—
24.	हिन्दुस्तान पॉलिमर्स लि०	1126.0	380.0	—	730.6	—
25.	एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	1650.0	250.0	—	1400.0 (250.0)	—
26.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि०	2670.0	450.0	—	2220.0 (720.0)	—
27.	बिहार एलॉय स्टील्स लि०	2432.2	800.0		1562.0	70.2
28.	स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्ट्स ऑफ इण्डिया लि०	183.0‡‡	—	—	183.0 (34.8)	—
29.	श्री वेंकटाचलपति मिल्स लि०	18.0	—	—	18.0	—
30.	एन० जी० ई० एफ० लि०	290.0	—	—	290.0 (15.0)	—
31.	नेशनल टेनेरी कं० लि०	84.3	15.0	—	69.3 (29.3)	—
32.	इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ओपरेटिव लि०	9160.0	2700.0	—	6460.0	—
33.	कृषि इन्जिन्स लि०	15.0‡‡	5.0	—	10.0	—
	उप जोड़—	39296.2	6712.6	2139.0	30047.7 (12864.4)	248.5
	स्वामित्व शेयरों के लिए अभिदान					
1.	टाटा मलिंग एण्ड मैरीन लि०		38.0			
2.	ग्रेफाइट इण्डिया लि०		24.8			
3.	बाम्बे मेलेबल आइरन कास्टिंग्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज लि०		10.0			
	कुल जोड़	39296.2	6785.4	2139.0	30047.7 (12864.4)	248.5

नोट —ये आंकड़े सहायता मंजूर करते समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तकों, निवेशकों आदि के अंशदान के आंकड़े उस जानकारी पर आधारित हैं जो संबंधित कम्पनियों के विवरण-पत्रों में उपलब्ध है।

*कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों में शामिल आंतरिक साधन और प्रोद्भूत नकदी राशियों से सम्बन्धित है।

**इन आंकड़ों में आंतरिक साधन, प्रोद्भूत नकदी राशियां आदि शामिल हैं। मुख्य आंकड़ों में शामिल प्रवर्तकों और सहभागियों द्वारा ऋण जमा आदि के रूप में किया गया अंशदान कोष्ठकों में अलग से दिखाया गया है।

@कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल सहायता से सम्बन्धित हैं जिनमें भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई अतिरिक्त सहायता शामिल है। यदि कोई ऐसी राशि हो जिसे मंजूर करने के लिए अन्य संस्थाएं सहमत हो गई हों तो उनकी रकम उस राशि में से कम कर दी गई है।

‡विकास सहायता निधि के अधीन जिसमें कि सरकार से सहमति प्राप्त हो जाए।

‡‡इस बीच भा० औ० वि० बैंक की ऋण और हामीदारी के लिए मंजूर की गई राशियां कम होकर क्रमशः 220 लाख रुपये और 70 लाख रुपये रह गई है।

के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (निर्यातों को छोड़कर) दी गई है, उनका ब्योरा

(लाख रुपये में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहभागियों का अंशदान				भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता					
			ऋण@	सामान्य और अधिमान शेयर@	हामीदारी डिबेंचर@	10 और 12 का जोड़@	गारंटी@	2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
प्रवर्तक निदेशक आदि**	सहभागी	7 और 8 का जोड़*							
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(15)	(16)
210.0	37.5	247.5	50.0	—	—	50.0	—	25.1	5.1
			(320.0)	(22.5)		(342.5)			(34.8)
229.7	20.0	249.7	80.0	—	—	80.0	—	22.2	7.1
			(125.0)			(125.0)			(11.1)
250.0	—	250.0	500.0	—	—	500.0	—	15.2	30.3
720.0	—	720.0	550.0	62.0††	—	612.0	—	27.0	22.9
201.3	53.7	255.0	450.0‡	80.0	—	530.0	—	10.5	21.8
34.8	—	34.8	25.0	—	—	25.0	—	19.0	13.7
—	—	—	15.5	—	—	15.5	—	—	86.2
15.0	—	15.0	100.0	—	—	100.0	—	5.2	34.5
29.3	—	29.3	10.0	—	—	10.0	—	34.8	11.9
			(32.0)	(11.5)		(43.5)			(51.6)
2700.0	—	2700.0	1100.0	—	—	1100.0	—	29.5	12.0
—	—	—	5.0	5.0@@	—	10.0	—	—	66.7
17008.2	342.2	17350.4	4316.9	382.8	169.0	4868.7	261.0	44.2	12.4
(5.9)			(4779.9)	(427.8)	(169.0)	(5376.7)	(261.0)		(13.7)
				3.5		3.5			
				(17.3)		(17.3)			
				2.7		2.7			
				(26.1)		(26.1)			
				4.8§§		4.8			
				(16.3)		(16.3)			
17008.2	342.2	17350.4	4316.9	393.8	169.0	4879.7	261.0	44.2	12.4
(5.9)			(4779.9)	(487.5)	(169.0)	(5436.4)	(261.0)		(13.8)

@@प्रत्यक्ष अभिदान के आंकड़े।

††अधिकार शेयरों के लिए अभिदान। ‡गारंटी व रुपया ऋण।

†††यह राशि कंपनी की चालू स्थिति में सुधार लाने और बड़े आर्डर पूरा करने की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाती है।

@@@यह राशि 1970-75 के लिए निधियों की कुल आवश्यकताओं को दर्शाती है।

‡‡इस प्रस्ताव का किसी विशिष्ट परियोजना से संबंध नहीं है। यह राशि कम्पनी की वित्तीय स्थिति आदि में सुधार लाने के लिए तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाती है।

***यह राशि संतुलन उपस्कर की लागत के वित्त पोषण और वित्तीय स्थिती में सुधार लाने के लिए भा० औ० वि० बैंक से प्राप्त सहायता से संबंधित है।

§इसमें 4.5 लाख रुपयों के प्रत्यक्ष अभिदान शामिल है।

§§इस राशि में गैर-संस्थागत शेयरधारियों के लिए मंजूर की गई राशि में से निकाले गये 3.4 लाख रुपये शामिल हैं, यह राशि उस सीमा तक घटाई जाएगी जिस सीमा तक इन शेयरधारियों द्वारा शेयर खरीदे जाएंगे।

अनुबंध

निर्यात के गंतव्य स्थानों और निर्यात की गई वस्तुओं के अनुसार भा० औ० वि० बैंक

देश का नाम	भा० औ० वि० बैंक/बैंकों द्वारा वित्त-पोषित निर्यातों का मूल्य	भा० औ० वि० बैंक की सहायता की राशि	प्रेषण लाइनें टावर्स और संवाहक	वस्त्र उद्योग की मशीनें	इस्पात की रेलें, छड़ें और रेल परिपथ उपस्कर	इस्पात से वस्तुएं बनाने के सहायक यंत्र
1	2	3	4	5	6	7
ईरान .	37.0	20.8	11.9	—	6.4	—
संयुक्त अरब गणराज्य	14.0	9.5	—	8.4	—	0.6
बर्मा .	6.9	3.0	—	—	3.0	—
सीलोन .	1.1	0.8	—	—	—	—
थाईलैण्ड .	0.5	0.2	0.1	0.1	—	—
चेकोस्लोवाकिया	0.4	0.3	—	0.3	—	—
पश्चिम जर्मनी	0.3	0.3	—	—	—	—
पौलैण्ड .	0.1	0.1	—	0.1	—	—
उगांडा .	3.0	1.4	—	—	—	—
सूडान .	2.5	0.2	0.2	—	—	—
नाइजीरिया .	5.3	3.7	0.2	—	—	—
केन्या- .	0.02	0.02	—	—	—	—
इंडोनेशिया .	0.9	0.5	—	—	0.2	—
जर्मन समाजवादी गणराज्य						
जर्मनी (पूर्वी)	0.4	0.4	—	0.4	—	—
हंगरी .	8.3	4.3	—	—	—	—
कोरिया गणतंत्र	9.4	5.0	—	—	5.0	—
न्यूजीलैण्ड .	1.3	0.5	—	—	0.5	—
लेबनान .	0.01	0.01	—	0.01	—	—
अन्य .	2.8	2.1	—	—	—	—
जोड़	94.2	53.1	12.4	9.3	15.1	0.6

III

द्वारा जून 1971 के अंत तक स्वीकृत निर्यात बिल* का वर्गीकरण

(करोड़ रुपयों में)

वस्तुएं						
रेलवे वैगन	डीजल इंजन	चीनी कारखानों की मशीनें	मोटरगाड़ियां और अतिरिक्त पुर्जे	जल शोधन सयत्र	अग्निशामक उपस्कर	अन्य
8	9	10	11	12	13	14
2.5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.2	0.2	0.1	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.8	—	—	0.05
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	0.3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.02
—	—	—	—	—	—	0.3
—	—	—	—	—	—	—
4.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	2.1	—	—	—	—	—
6.8	2.4	1.4	4.5	0.2	0.1	0.37

*निर्यातों और मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त के लिए दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों को मिलाकर।

अनुबंध

1970-71 में भा० औ० वि० बैंक निर्यात के लिए

निर्यातक का नाम	निर्यात की मद
1	2
1. स्वस्तिक टेक्सटाइल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि०	वस्त्र उद्योग की मशीनें
2. न्यू० स्टेन्डर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लि० (2 ऋण)	——वही——
3. स्टार टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वर्कस लि०	——वही——
4. टी० मानेकलाल मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लि०	——वही——
5. इन्डेक्विप इंजीनियरिंग लि०	——वही——
6. टेक्सटाइल मशीनरी कार्पोरेशन लि०	रेलवे वैगन
7. के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि०	——वही——
8. मशीनरी मेन्युफेक्चरर्स कार्पोरेशन लि० (3 ऋण)	वस्त्र उद्योग की मशीनरी
9. ——वही—— (2 ऋण)	——वही——
10. कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि०	पारेषण लाइन टावरों की पूर्ति और संस्थापन।
11. ——वही——	उपस्करों का निर्यात और सिविल कार्यों का निर्माण तथा बिजली लगाने से सम्बन्धित निर्माण कार्य
12. मुकुंद आइरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०	संयोजक और ड्राफ्ट गियर्स
13. हिन्दुस्तान स्टील लि०	रेलें
14. वालचन्द नगर इंडस्ट्रीज लि०	चीनी के कारखाने (आधारभूत (टर्नकी) परियोजना)

IV

स्वीकृत प्रत्यक्ष निर्यात ऋण और गारंटियों का ब्योर

आयातक देश	भा० औ० वि० बैंक और वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित कुल सहायता			मंजूर की गई कुल सहायता में भा० औ० वि० बैंक का अंश	
	अदायगी की चल मुद्रा	पोतलदानोत्तर ऋण	गारंटी	पोतलदानोत्तर ऋण	गारंटी
3	4	5	6	7	8
संयुक्त अरब गणराज्य	भारतीय रुपये	19.24	—	9.62 (50%)	—
—वही—	—वही—	94.05	—	67.00 (70%)	—
—वही—	—वही—	28.32	—	20.00 (70%)	—
—वही—	—वही—	14.38	—	7.19 (50%)	—
—वही—	—वही—	40.95	—	29.00 (70%)	—
हंगरी	—वही—	464.00	—	324.80 (70%)	—
ईरान	अमेरीकी डालर	377.00	—	251.30 (66⅔%)	—
संयुक्त अरब गणराज्य	भारतीय रुपये	51.35	—	35.95 (70%)	—
लेबनान	अमेरीकी डालर	1.32	—	0.93 (70%)	—
थाइलैण्ड	—	—	149.00	—	74.50* (50%)
कुवैत	—	—	69.00	—	34.50@ (50%)
ईरान	अमेरीकी डालर	35.67	—	17.84 (50%)	—
कोरिया	—वही—	397.07	—	264.71 (66⅔%)	—
उगाण्डा	पौंड स्टर्लिंग	212.92	—	106.50 (50%)	—
	जोड़ :	**1736.27**	**218.00**	**1134.84**	**109.00**

नोट:—(1) ये आंकड़े उस जानकारी पर आधारित हैं जो सहायता मंजूर किये जाने के समय उपलब्ध थी।

(2) कोष्ठकों में दिये गये प्रतिशत भा० औ० वि० बैंक की सहभागिता के अंश के द्योतक हैं।

*निष्पादन गारंटी । @बोली वाले बांडों की गारंटी ।

अनुबंध

भा० औ० वि० बैंक द्वारा स्वीकृत और

उद्योग	1970-71						
	स्वीकृत वित्तीय सहायता						
	ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋण को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त+	जोड़	वितरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. कोयला खनन	—	—	—	—	—	—	0.2
2. पत्थर, खदान, मिट्टी और रेत की खानें	—	—	10.2	—	—	10.2	7.5
3. धातु खनन	—	—	—	—	—	—	—
4. खाद्य पदार्थ निर्माण सिवाय पेय उद्योगों के							
(क) चीनी	—	—	56.0	—	—	56.0	16.0
(ख) अन्य	—	—	278.5	—	—	278.5	272.5
5. तम्बाकू बनाने वाले उद्योग	—	—	2.5	—	—	2.5	1.6
6. कपड़ों का निर्माण							
(क) सूती कपड़े	65.5	—	190.5	—	—	256.0	238.4
(ख) अन्य	—	—	83.3	—	—	83.3	90.1
7. लकड़ी और कार्क का निर्माण (सिवाय फर्नीचर के)	—	—	36.7	—	—	36.7	22.5
8. फर्नीचर और जुड़नारों का निर्माण	—	—	7.8	—	—	7.8	3.9
9. कागज और उससे चीजों का निर्माण	380.0	—	46.5	—	—	426.5	111.6
10. मुद्रण, प्रकाशन और सम्बद्ध उद्योग	—	—	38.2	—	—	38.2	53.1
11. चमड़े तथा उससे बनी चीजें और फर की चीजों का निर्माण, सिवाय जूते और पहनने के अन्य परिधानों के	—	—	8.3	—	—	8.3	3.4
12. चमड़े के बने हुए जूते और पहनने के परिधान	10.0	—	4.0	—	—	14.0	13.8
13. रबड़ से बनी चीजों का निर्माण	—	—	68.7	—	—	68.7	35.4
14. रसायन और रासायनिक चीजों का निर्माण							
(क) मूल औद्योगिक रसायन सिवाय उर्वरकों के	600.0	62.0	135.3	—	—	797.3	316.6
(ख) उर्वरक	1100.0	—	3.8	—	—	1103.8	177.7

V

वितरित सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

1969-70							भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक		
मंजूर की गयी वित्तीय सहायता									
ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त+	जोड़	वितरण	कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता	सभी उद्योगों के लिए कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता से सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण*
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	—	8.0	—	—	8.0	23.6	81.1	0.2	231.5
—	—	1.6	—	—	1.6	—	43.9	0.1	39.3
—	—	—	—	—	—	13.6	50.9	0.1	48.1
—	—	1.1	—	—	1.1	9.6	291.0	0.7	260.5
—	5.0	119.5	—	—	125.5	40.2	617.2	1.4	526.6
—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	1.1
356.0	84.5	142.5	—	—	583.0	294.2	3163.5	7.1	2975.7
—	—	39.1	—	—	39.1	185.0	1064.5	2.4	951.9
—	—	1.9	—	—	1.9	0.1	56.0	0.1	74.9
—	—	0.4	—	—	0.4	1.5	14.8	—	9.8
—	—	28.8	—	—	28.8	27.2	1433.8	3.2	798.5
—	—	29.4	—	—	29.4	8.0	134.8	0.3	119.9
—	—	1.5	—	—	1.5	—	10.4	—	4.0
—	—	9.6	—	—	9.6	28.4	61.3	0.1	45.7
45.0	—	35.0	—	—	80.0	39.6	236.2	0.5	153.3
(241.5)					(241.5)		(241.5)		
—	27.6	177.6	—	—	205.2	463.5	3597.4	8.1	2893.3
							(1081.4)		(1081.4)
—	292.5	31.2	—	—	323.7	170.7	4977.8	11.2	3769.3
							(1085.0)		(573.1)

अनुबंध

1970-71

उद्योग	स्वीकृत वित्तीय सहायता						वितरण
	ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋण को छोड़ कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त+	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ग) वनस्पति और जैव तेल और चिकनाई (खाद्य तेलों को छोड़कर) .	—	—	14.1	—	—	14.1	10.8
(घ) कृत्रिम रेशों का निर्माण	397.5 (90.0)	143.8	1.5	—	—	542.8 (90.0)	17.9
(ङ) रसायन और घुलनशील लुगदी (रेयन ग्रेड) का निर्माण .	—	—	—	—	—	—	—
(च) रंगों, वार्निशों और लेकर का निर्माण .	—	—	61.1	—	—	16.1	10.0
(छ) विविध रासायनिक चीजों का निर्माण .	80.0	—	161.5	—	—	241.5	164.8
15. पेट्रोलियन और कोयले की चीजों का निर्माण .	—	—	—	—	—	—	4.3
16. अधात्विक खनिज पदार्थों का निर्माण सिवाय पेट्रोलियम और कोयले की चीजों के .							
(क) इमारती मिट्टी की चीजों का निर्माण .	—	—	11.1	—	—	11.1	7.8
(ख) कांच और कांच की चीजों का निर्माण .	—	—	60.4	—	—	60.4	168.5
(ग) मृत्तिका भाण्ड, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन सिरेमिक्स) .	—	—	4.3	—	—	4.3	5.9
(घ) सीमेंट .	—	—	—	—	—	—	—
(ङ) चक्की के पाट और अपघर्षी	—	—	—	—	—	—	—
(च) एस्बेस्टस .	—	—	15.2	—	—	15.2	13.4
(छ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें .	—	—	38.7	—	—	38.7	21.5

V

(लाख रुपयों में)

1969-70							भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 तक के अंत तक		
मंजूर की गई वित्तीय सहायता						वितरण			
ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त+	जोड़		कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता	सभी उद्योग के लिए कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता से सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण*
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	—	1.8	—	—	1.8	3.9	76.4	0.2	61.9
55.0	22.5	10.5	—	—	88.0	5.9	857.1 (90.0)	1.9	235.4
—	—	—	—	—	—	—	200.0	0.5	200.0
—	—	33.9	—	—	33.9	2.8	116.8	0.3	76.7
13.2 (8.4)	10.0	61.8	—	—	85.0 (8.4)	168.5 (8.4)	1114.7 (8.4)	2.5	973.4 (8.4)
25.0	20.5	—	—	—	45.5	4.3	45.5	0.1	38.6
67.5	—	3.0	—	—	70.5	2.1	143.1	0.3	68.9
81.0	50.0	49.7	—	—	180.7	10.8	336.7	0.8	269.6
—	—	27.8	—	—	27.8	28.3	97.3	0.2	87.1
—	—	—	—	—	—	106.0	1341.0 (248.5)	3.0	1163.9 (248.5)
—	—	0.3	—	—	0.3	—	0.3	..	4.0
—	—	—	—	—	—	1.6	42.5	0.1	40.8
25.0	42.5	7.7	—	—	75.2	39.3	116.6	0.3	61.5

अनुबन्ध

1970-71

उद्योग	स्वीकृत वित्तीय सहायता						वितरण
	ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋण को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त+	जोड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17. मूल धातुओं के उद्योग							
(क) लोहे और इस्पात के मूलोद्योग .	495.6	251.2	53.4	—	1350.5	2150.7	1023.9
(ख) अलोह धातु के मूलोद्योग	750.0 (171.0)	—	1.7	—	—	751.7 (171.0)	0.2
18. धातु की बनी हुई चीजों का निर्माण सिवाय मशीनों और परिवहन उपस्कर के .	—	—	251.7	—	—	251.7	169.5
19. मशीनों का निर्माण सिवाय बिजली की मशीनों के .	187.0	44.0	213.9	2848.0@	916.2	4209.1	3435.2
20. बिजली की मशीनों, उपकरणों, साधित्रों और पूर्ति सामग्री का निर्माण . .	226.3	61.7	165.8	—	239.6 (109.0)	693.4 (109.0)	671.9 (123.2)
21. परिवहन उपस्करों का निर्माण	25.0	—	99.9	—	—	124.9	53.4
22. विविध निर्माण से संबंधित उद्योग							
(क) वैज्ञानिक माप और नियंत्रण के वृत्तिक औजारों का निर्माण	—	—	1.8	—	—	1.8	10.0
(ख) घड़ियों और दीवार घड़ियों का निर्माण	—	—	9.1	—	—	9.1	9.1

V (जारी)

(लाख रुपयों में)

1969-70							भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 के अंत तक		
मंजूर की गई वित्तीय सहायता						वितरण	कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता	सभी उद्योगों के लिए कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता से सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण*
ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त+	जोड़				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
63.0	—	16.3	—	449.0	528.3	356.2	4864.8	11.0	2564.5
—	—	—	—	—	—	75.4	1295.5 (171.0)	2.9	506.2
—	—	65.3	—	—	65.3	38.8	581.2	1.3	414.1
27.0	37.8	80.2	2407.5@	686.0	3238.5	2516.1	12929.9 (1.1)	29.2	10611.2 (1.1)
—	—	86.1	—	113.3	199.4	285.1 (33.4)	2769.3 (169.1)	6.3	2042.0 (156.6)
—	—	48.5	—	—	48.5	39.0	419.6	1.0	385.8
—	-9.0	—	—	—	9.0	0.4	22.6	0.1	24.5
—	—	—	—	—	—	—	20.1	0.1	18.1

अनुबंध

1970-71

उद्योग	स्वीकृत वित्तीय सहायता						
	ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋण को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	निर्यात वित्त†	जोड़	वितरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ग) प्लास्टिक .	—	—	33.8	—	—	33.8	28.4
(घ) शल्य चिकित्सा की पट्टियां आदि . .	—	—	4.2	—	—	4.2	4.9
(ङ) सिगरट के फिल्टर .	—	—	—	—	—	—	—
(च) लेखन सामग्री की चीजे	—	—	11.4	—	—	11.4	8.0
(छ) पानी, भाप और बिजली के मीटर .	—	—	—	—	—	—	18.7
(ज) छत बनाने की सामग्री	—	—	8.5	—	—	8.5	7.5
(झ) वाद्य यंत्र .	—	—	—	—	—	—	—
(ञ) ऊष्मीय और स्वनिक विसंवाहकों का निर्माण	—	—	—	—	—	—	—
(ट) फ़ोटोग्राफी और प्राकाशिक (आप्टिकल) उपकरण	—	—	—	—	—	—	0.1
(ठ) पैक करने की सामग्री	—	—	52.8	—	—	52.8	37.0
(ड) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें .	—	—	18.4	—	—	18.4	21.3
23. बिजली, गैस, पानी और सफाई सेवाए, गैस निर्माण और वितरण (औद्योगिक गैस)	—	—	5.5	—	—	5.5	0.7
24. सेवाएं:							
(क) होटल उद्योग .	—	—	9.4	—	—	9.4	7.8
(ख) सड़क परिवहन .	—	—	316.0	—	—	316.0	295.5
(ग) अन्य . .	—	—	10.9	—	—	10.9	10.9
जोड़ . .	**4316.9 (261.0)**	**562.7**	**2561.4**	**2848.0**	**2506.3 (109.0)**	**12795*3 (370.0)**	**7603.2 (123.2)**

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ऋणों और आस्थगित अदायगियों/अग्रिम अदायगी गारंटी (निर्यात ऋण) के लिए मंजूर की गयी तथा निष्पादित की गयी गारंटियों के है जिन्हें मुख्य आंकड़ों में शामिल नही किया गया है।

*इन आंकडो में भा० औ० वि० बैंक मे उद्योग पुनर्वित्त निगम के मिलाये जाने के पहले उसके द्वारा मंजूर की गई पुनर्वित्त सहायता के सम्बन्ध मे किये गये वितरण शामिल हैं।

†निर्यात के लिए सीधे ऋण व निर्यात ऋण का पुर्नवित्त मिलाकर।

@इसमे बिजली की मशीनों और परिवहन उपस्करों के निर्माताओं को दी गई सहायता शामिल है।

··नगण्य

V

(लाखों रुपयों में)

1969-70							भा० आ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1971 तक के अंत तक		
मंजूर की गयी वित्तीय सहायता						वितरण	स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता	सभी उद्योग के लिए कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता से सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण*
ऋण (निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर)	हामीदारी	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भांजन	निर्यात बिल ∠	जोड़				
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
—	—	20.5	—	—	20.5	6.4	61.5	0.1	41.6
—	—	1.0	—	—	1.0	—	12.4	—	12.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
—	—	5.0	—	—	5.0	—	18.5	0.1	8.0
7.5	11.5	—	—	—	19.0	—	33.5	0.1	33.0
—	—	0.2	—	—	0.2	—	13.3	—	12.1
—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.8
—	—	—	—	—	—	22.8	24.4	0.1	24.4
—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	1.4
—	—	1.8	—	—	1.8	3.0	73.3	0.2	55.2
—	—	17.5	—	—	17.5	6.5	37.4	0.1	28.1
—	—	—	—	—	—	4.7	12.7	—	19.8
—	—	7.2	—	—	7.2	28.9	150.8	0.3	141.2
—	—	261.0	—	—	261.0	119.0	585.7	1.3	421.6
—	—	—	—	—	—	—	30.9	0.1	30.9
765.2 (249.9)	**613 4**	**1434.3**	**2407.5**	**1248.2**	**6468.6** (249.9)	**5181.5** (41.8)	**44290.0** (3095·9)	**100.0**	**33589.4** (2069·1)

अनुबंध

1970-71 में भा० औ० वि० बैंक द्वारा स्वीकृत और

राज्य	स्वीकृत सहायता (प्रभावी)							
	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. आंध्र प्रदेश	162.5	—	19.0	257.1	—	59.7	498.3	—
2. असम .	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—
3. बिहार .	450.0	—	216.0	41.0	—	156.9	863.9	—
4. गुजरात .	1827.5	38.6	110.8	405.7	—	220.0	2602.6	90.0
5. हरियाना .	130.0	—	15.0	97.3	—	51.5	293.8	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	29.6	—	—	29.6	—
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	10.1	—	—	10.1	—
8. केरल .	60.0	—	45.0	42.4	—	24.0	171.4	—
9. मध्य प्रदेश	—	464.7	—	60.7	285.7	128.8	739.9	—
10. महाराष्ट्र .	41.3	469.8	30.2	622.9	714.1	1273.3	3151.6	109.0
11. मेघालय .	—	—	—	—	—	—	—	—
12. मैसूर .	100.0	—	—	185.9	—	165.9	451.8	—
13. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
14. उड़ीसा .	500.0	—	—	10.7	—	—	510.7	—
15. पंजाब .	—	—	—	51.1	—	2.6	53.7	—
16. राजस्थान	—	—	—	48.4	—	—	48.4	—
17. तमिलनाडु	375.0	—	5.0	260.1	78.8	283.8	1002.8	171.0
18. उत्तर प्रदेश	270.0	—	95.0	163.3	—	9.6	537.9	—
19. पश्चिम बंगाल	400.6	361.7	26.7	119.2	104.1	447.2	1459.5	—
20. संघ शासित क्षेत्र .	—	—	—	148.4	188.7	24.7	361.8	—
जोड़ .	**4316.9**	**1134.8**	**562.7**	**2561.4**	**1371.4**	**2848.0**	**12795.3**	**370.0**

टिप्पणी—(i) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायता दी गयी है, उनका निर्माण स्थल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ मामलों में एक से अधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गई थी, ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भाजन का वर्गीकरण मशीनरी के निर्माताओं/विक्रेताओं के स्थान के आधार पर किया गया है।

(ii) इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदान के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

VI

वितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

वितरित की गयी सहायता							
ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त	पुनर्भोजन	जोड़	निष्पादित गारंटियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
70.0	—	49.1	152.9	—	51.0	323.1	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.8	41.5	—	134.0	181.3	—
—	19.1	5.4	410.9	—	188.0	623.4	—
81.0	—	17.3	105.2	—	44.0	247.5	—
—	—	—	15.7	—	—	15.7	—
—	—	—	4.9	—	—	4.9	—
15.0	—	—	58.7	—	20.5	94.2	—
—	382.2	21.8	40.5	285.7	110.1	840.3	—
53.0	470.6	76.6	538.8	471.3	1088.3	2691.7	123.2
—	—	—	—	—	—	—	—
100.0	—	0.7	155.3	—	141.8	397.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—
82.0	—	—	10.9	—	—	92.9	—
—	—	—	54.2	—	2.3	56.5	—
—	52.9	—	49.9	—	—	102.8	—
79.7	148.7	28.8	100.6	45.1	242.6	645.5	—
1.5	—	8.6	152.3	—	8.2	170.6	—
5.9	123.5	1.3	84.3	—	382.2	597.2	—
—	—	156.4	146.0	187.4	21.1	510.9	—
488.1	**1197.0**	**371.9**	**2122.6**	**989.6**	**2434.1**	**7603.2**	**123.2**

अनुबंध

जुलाई 1964 से जून 1971 के दौरान भा० औ० वि० बैंक द्वारा

राज्य	स्वीकृत सहायता (प्रभावी)							
	ऋण (निर्यात को छोड़कर)	निर्यात ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋण के लिए पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. आंध्र प्रदेश	1228.5	—	151.5	919.0	—	59.7	2358.7	—
2. असम .	—	—	—	19.9	—	—	19.9	—
3. बिहार .	1020.5	—	246.0	165.7	—	303.3	1735.5	—
4. गुजरात .	3727.5	38.6	505.6	1469.6	—	595.8	6337.1	601.9
5. हरियाना	143.2	—	71.0	444.9	—	53.9	713.0	8.4
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	29.6	—	—	29.6	—
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	10.1	—	—	10.1	—
8. केरल .	207.0	—	49.0	409.2	—	24.7	689.9	—
9. मध्य प्रदेश	98.0	713.7	88.5	384.5	285.7	450.2	2020.6	—
10. महाराष्ट्र	2661.6	1203.1	696.4	3360.3	1470.1	4131.8	13523.3	1499.0
11. मेघालय .	—	—	—	—	—	—	—	—
12. मैसूर .	379.8	—	221.0	603.3	—	622.6	1826.6	—
13. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
14. उड़ीसा .	880.0	—	44.0	66.0	—	37.0	1027.6	—
15. पंजाब .	—	—	—	175.2	—	2.6	177.9	—
16. राजस्थान	366.0	62.5	5.0	221.8	251.3	—	906.6	278.1
17. तमिलनाडु	1610.5	179.0	179.6	2102.7	78.8	1027.1	5177.7	172.0
18. उत्तर प्रदेश	774.0	—	179.0	498.9	—	118.9	1570.8	295.0
19. पश्चिम बंगाल	1512.6	714.0	117.6	1088.3	125.1	1498.3	5055.9	241.5
20. संघशासित क्षेत्र .	200.0	—	292.5	363.8	188.7	64.2	1109.2	—
जोड़ .	**14809.2**	**2910.9**	**2846.7**	**12333.4**	**2399.8**	**8990.1**	**44290.0**	**3095.9**

टिप्पणी— (i) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायता दी गयी है, उनका निर्माण स्थल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ मामलों में एक से अधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गयी थी, ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भाजन का वर्गीकरण मशीनरी के निर्माताओं/विक्रेताओं के स्थान के आधार पर किया गया है।

(ii) इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदान के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

VII

स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

वितरित की गयी सहायता							
ऋण (निर्यात को छोड़कर)	निर्यात ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋण के लिए पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त	पुनर्भंजन	जोड़	निष्पादित गारंटियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1055.0	—	106.1	887.8	—	51.2	2100.1	—
—	—	—	24.4	—	—	24.4	—
453.0	—	14.6	199.5	—	259.8	926.9	—
1840.0	19.0	378.9	1400.6	—	510.4	4148.9	—
81.0	—	28.6	417.5	—	46.2	573.3	8.4
—	—	—	15.7	—	—	15.7	—
—	—	—	34.9	—	—	34.9	—
155.0	—	3.9	397.7	—	21.2	577.8	—
42.0	382.2	70.7	364.4	285.7	385.6	1530·6	—
2295.1	564.4	611 3	3206.3	878.2	3539.3	11094·6	1486 5
—	—	—	—	—	—	—	—
271 0	—	156 5	576 2	—	533 3	1537·0	—
—	—	—	—	—	—	—	—
142.0	—	43.5	114.4	—	31.7	331.6	—
—	—	—	198.8	—	2.2	201.0	—
175.0	52.9	4.6	250.3	245.0	—	727 8	278.1
1257.7	177.5	150.8	1890.9	45.2	879.8	4401.9	1.1
492.8	—	78.6	404.0	—	101.9	1077.3	295.0
504.9	292.7	88.1	1107.7	21.1	1283.4	3297.9	—
200.0	—	224.1	321.3	187.4	54.9	987.7	—
8964.5	**1488.8**	**1960.4**	**11812.4**	**1662.4**	**7700.9**	**33589.4**	**2069.1**

*इसमें औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सितम्बर 1964 में भा० औ० वि० बैंक के साथ विलय होने से पहले मंजूर किये गये पुनर्वित्त से सम्बन्धित वितरण शामिल है।

अनुबंध VIII

भा० औ० वि० बंको की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग 1964-65 से 1970-71 तक (वास्तविक) और 1971-72 (के अनुमानित) (जुलाई-जून)

(करोड़ रुपयो मे)

	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72 (अनुमानित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क. निधियों के स्रोत								
1. रक्षित निधियो मे वृद्धि*	0.8	1 3	2.1	2 8	3 3	4 3	3 6	4 0
2 निम्नलिखित से लिये गये उधार								
(क) सरकार	22.5	37.9	34 6	25 0	25 0	—	—	—
(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया								
(i) शेयर पूजी	10 0	—	10 0	—	—	—	10 0	10 0
(ii) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ कालीन क्रियाए) निधि	2 2	1 7	1.4	0.8	0.2	20.0	28.8	30.0
3. बांडो/डिबेंचरो के रूप से लिए गए उधार	—	—	—	—	—	—	—	15.0
4. औद्योगिक सस्थाओ के शेयरो, डिबेंचरो मे किये गये निवेशो की बिक्री	—	—	—	–	—	2.4	0 3	1 0
5. उधारकर्त्ताओं द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी :	5 5	8.6	11 7	24.8	21.6	27.9	36.9	49 0
(क) औद्योगिक सस्थाओ का दिये गये ऋण (निर्यात ऋणो को छोडकर)	—	—	—	1 2	1 4	4 5	6 9	9.8
(ख) निर्यात ऋण	—	—	—	—	—	—	0 9	2.7
(ग) पुनर्वित्त औद्योगिक ऋण	5 5	8 2	10.1	19.2	14 4	14 0	15 1	16.0
(घ) पुनर्वित्त-निर्यात ऋण	0 05	0 4	0 5	0 4	0.3	1.4	1 5	5 5
(ङ) बिलो का पुनर्भाजन	—	0 02	1 1	4 0	5.5	8.0	12.5	15.0
6. अन्य**	2 2	11.4	8 7	8 9	16 7	17.0	17 0	12.7
जोड़	**43.1**	**60 8**	**68 5**	**62 3**	**66 8**	**71.8**	**96.6**	**121.7**
ख. निधियों के उपयोग								
1. निम्नलिखित रूपो में सहायता का वितरण:								
(क) औद्योगिक संस्थाओ को दिये गये ऋण (निर्यात ऋणो को छोडकर)	—	19 9	20 7	18.0	15 3	10 9	4 9	18.0
(ख) निर्यात ऋण	—	—	—	—	—	2 9	12.0	15.0
(ग) हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	0 4	5 3	5.2	1 1	1.6	2.2	2.7	4.0
(घ) पुनर्वित-औद्योगिक ऋण	21 2	21.4	19 5	10 8	11.6	12 5	21.2	24.0
(ङ) पुनर्वित्त–निर्यात ऋण	—	0 9	0.4	0.3	2.5	2.7	9.9	11.0
(च) बिलो का पुनर्भाजन†	0 1	2 2	7.1	12.4	15.5	24 1	28.5	30.0
(छ) वित्तीय संस्थाओ के शेयरो और बांडो मे अभिदान@	(0.1) 6 4	(1.9) 1.7	(6.1) 7 4	(10.6) 3.9	(13`3) 4.5	(20.6) 0.5	(24 3) 3.8	(25.0) 8.0
	28.1 (28.1)	41.4 (51.1)	60.3 (59.3)	46.5 (44.7)	51.0 (48.7)	55.8 (52 3)	84.0 (79.8)	110.0 (105.0)
2. सरकार से लिए गये उधारो की वापसी अदायगी	—	—	—	—	—	0.7	3.7	6.6
3 अन्य**	15.0	9.4	8 3	15 8	15.8	15.3	9 0	5.1
जोड़	**43 1**	**60.8**	**68 5**	**62 3**	**66.8**	**71.8**	**96.6**	**121.7**

*इसमे विकास सहायता निधि मे समजित न किये गये लाभ की राशि शामिल है। **इन आकडो मे नकदी और दूसरे चलसाधन शामिल हैं।

† ये आंकड़े पुनर्भाजन किये गये बिलो के मुखांकित मूल्य के हैं, कोष्ठको मे (भाजन को भटाने पर बिलो का मुखांकित मूल्य) वितरित नकदी राशियाँ दर्शाई गई हैं।

@ इसमे भा. औ. वित्त निगम और भा. औ. पुनर्निर्माण निगम के शेयरो की खरीद के आकडे शामिल हैं।

अनुबंध IX(क)

1970-71 (अप्रैल-मार्च) में मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	हामादारी और प्रत्यक्ष अभिदान									
	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा के ऋण		सामान्य व अधिमान शेयर		डिबेंचर		जोड़	
	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70
भा० औ० वि० बैंक	80.3* (17.0)	46.9* (7.8)	—	—	2.6	6.2	1.7	—	84.6 (17.0)	53.1 (7.8)
भा० औ० वित्त निगम	25.3	15.4	5.8	1.8	1.8	1.1	2.0	0.3	35.0	18.6
भा० औ० ऋ० और नि० निगम	9.6	4.2	28.0	13.7	2.7	2.7	2.7	2.2	43.0	22.8
रा० वित्त निगम	49.0	32.9	—	—	0.6	0.5	—	—	49.6	33.4
रा० औ० वित्त निगम**	16.7	20.4	—	—	3.8	5.5	0.03	—	20.4	25.9
जोड़	**180.9 (17.0)**	**119.8 (7.8)**	**33.8**	**15.5**	**11.5**	**16.0**	**6.4**	**2.5**	**232.6 (17.0)**	**153.8 (7.8)**
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ×	—	—	—	—	6.2	3.9	9.0	6.0	15.2	9.9
जीवन बीमा निगम@	2.6		—			4.5		6.5		13.6

*इनमें प्रत्यक्ष ऋणों, बैंकों को पुनर्वित्त सहायता और पुनर्भाजन के आंकड़े शामिल हैं और इनमें राज्य वित्त निगमों को दी गई पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाए गए आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि ये राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं अतः दुबारा शामिल नहीं किए गए।

× 1970–71 के आंकड़े अनंतिम हैं।

**ये आंकड़े 16 रा० औ० वि० निगमों, गुजरात उद्योग और निवेश निगम तथा महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम के हैं।

@1970–71 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध IX (ख)

1970-71 (अप्रैल-मार्च) में मीयादी वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा वितरित सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान									
	रुपया ऋण		विदेशी मुद्रा के ऋण		सामान्य व अधिमान शेयर		डिबेंचर		जोड़	
	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70	1970 −71	1969 −70
भा० औ० वि० बैंक	51.1* (13.7)	43.3* (5.7)	—	—	4.7	1.3	—	0.5	55.8 (5.7)	45.1 (13.7)
भा० औ० वित्त निगम	13.9@	14.5@	2.6	1.9	0.9	0.3	—	0.7	17.4	17.5
भा० औ० ऋ० और नि० निगम	4.6	4.3	21.5	11.8	1.8	1.4	1.3	2.3	29.2	19.8
रा० वित्त निगम	33.1@	22.0@	—	—	0.4	0.3	—	—	33.5	22.3
रा० औ० वि० निगम**	9.5@	7.7@	—	—	3.0	4.0	0.02	—	12.5	11.6
	112.2 (13.7)	**91.8 (5.7)**	**24.1**	**13.7**	**10.8**	**7.3**	**1.3**	**3.5**	**148.4 (13.7)**	**116.3 (5.7)**
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ×	—	—	—	—	1.4	2.5	7.0	5.6	8.4	8.1
जीवन बीमा निगम@@		1.7		—		2.9		7.2		11.8

*इनमें प्रत्यक्ष ऋण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता और पुनर्भाजन के आंकड़े शामिल हैं और इनमें राज्य वित्त निगमों को दी गई पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाए गए आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं अतः दुबारा शामिल नहीं किए गए।

@इनमें गारंटियों के कारण वितरित की गई राशि शामिल है।

× 1970–71 के आंकड़े अनंतिम हैं।

**ये आंकड़े 16 रा० औ० वि० निगमों, और निवेश निगम तथा महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम के हैं।

@@1970–71 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अनुबंध

1970-71 (अप्रैल-मार्च) में मेयादी वित्तपोषक

	भा० औ० वि० बैंक	भा० औ वि० निगम	भा० औ० ऋ० नि० निगम	राज्य वित्त निगम	जोड़	जोड़ (इनमें संस्थाओं का आपसी आदान-प्रदान शामिल नहीं है)
			(क) निधियों के स्रोत			
1. चुकता पूंजी में वृद्धि . .	10.00	–	–	0.85	10.85	10.50
2. रक्षित निधियों में वृद्धि . .	4.43*	1.71	1.40	1.27	8.81	8.81
3. भारत में निम्नलिखित से लिए गए (सकल) उधार						
(i) सरकार . .	–	–	–	1 68	1.68	1.68
(ii) रिजर्व बैंक आफ इंडिया .	23.57	2.67	–	9.45	35.69	35.69
(iii) भा० औ० वि० बैंक .	–	–	1.80	13.55@	15.35	–
(iv) बैंक . . .	–	–	–	0.14	0.14	0.14
(v) अन्य . . .	–	–	–	0.01	0.01	0.01
4. बांडों डिबेंचरो के रूप में लिए गए उधार	–	4.95	–	12.10	17.05	17.05
5. विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार .						
(i) उपलब्ध ऋण की कुल सीमा	–	(14.44)	(33.10)	–	(47.54)	(47.54)
(ii) उपयोग की गई राशि .	–	2.61	21.48	–	24.09	24.09
6. स्वीकार की गई राशि .	–	–	–	2.57	2.57	2.57
7. निम्नलिखित में किए गए निवेशों की बिक्री						
(i) सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां	–	1.30	0.08	0.19	1.57	1.57
(ii) शेयर डिबेंचर आदि (इनमें हामीदारी शामिल है) . .	0.64	0.84	1.67	0.42	3.57	3.57
8. उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी						
(i) रुपया ऋण . .	35.46	9.90	4.86	11.49	61.71	57.26
(ii) विदेशी मुद्रा के ऋण .	–	2.31	8.92	–	11.23	11.23
9. गारंटियों की वसूली . .	–	0.02	–	0.38	0.40	0.40
10. अन्य** . . .	13.19	9.91	8 56	9.67	41.33	41.33
जोड़ . . .	**87.29**	**36.22**	**48.77**	**63.77**	**236.05**	**215.90**

* इसमें विकास सहायता निधि में समंजित न किए गए लाभ की राशि शामिल है।

** इन आंकड़ों में नकदी और दूसरे चल साधन शामिल हैं।

@ ये आंकड़े पुनर्वित्त सहायता के हैं।

X

संस्थाओं की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

	भा०औ० वि० बैंक	भा०औ० वि० निगम	भा०औ० ऋ० नि० निगम	राज्य वित्त निगम	जोड़	जोड़ (इनमें संस्थाओं का आपसी आदान-प्रदान शामिल नहीं है)
(ख) निधियों के उपयोग						
1. निम्नलिखित रूप में सहायता का वितरण						
(i) ऋण . .	68.55@@ (64.76)	13.83	4.61	32.88	119.87	106.32
(क) रुपया ऋण						
(ख) विदेशी मुद्रा के ऋण .	–	2.61	21.48	–	24.09	24.09
(ii) औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों, डिबेंचरों आदि में अभिदान .	4.74	0.95	3.14	0.36	9.19	9.19
(iii) वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों में अभिदान . .	2.15	–	–	–	2.15	–
(vi) गारंटियां . .	–	0.03	–	0.22	0.25	0.25
2. सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश	–	–	–	0.17	0.17	0.17
3. ऋणों की अदायगी (भारत में) .						
(i) सरकारी . .	0.72	2.01	1.23	1.15	5.11	5.11
(ii) रिजर्व बैंक आफ इंडिया .	–	2.31	–	9.71	12.02	12.02
(iii) भा० औ० वि० बैंक .	–	–	–	4.45@	4.45	–
(iv) बैंक . . .	–	–	–	0.60	0.60	0.60
(v) अन्य . . .	–	–	–	0.01	0.01	0.01
4. बांडों/डिबेंचरों का विमोचन .	–	–	–	0.01	0.01	0.01
5. विदेशी मुद्रा के ऋणो का भुगतान .	–	2.21	9.41	–	11.62	11.62
6. जमा राशियों का भुगतान .	–	–	–	2.59	2.59	2.59
7. अन्य** . . .	11.14	12.27	8.90	11.62	43.93	43.93
जोड़ . . .	**87.29** (83.51)	**36.22**	**48.77**	**63.77**	**236.05**	**215.90**

** इन आंकड़ों में नकदी और दूसरे चल साधन शामिल हैं।

@ ये आंकड़े पुनर्वित्त सहायता के हैं।

@@ इसमें शामिल किए गए पुनर्भांजन के आंकड़े पुनर्भांजन किए गए बिलों के मुखांकित मूल्य से संबंधित हैं। कोष्ठकों में पुनर्भांजन के संबंध में शामिल की गई (भाजन को घटाने पर बिलों का मुखांकित मूल्य) वितरित नकदी राशियां दर्शाई गई हैं।

भारतीय औद्योगिक
30 जून 1971

पिछला वर्ष	देयताएं	यह वर्ष	
रुपये		रुपये	रुपये
	1. पूंजी		
50,00,00,000	अधिकृत		50,00,00,000
20,00,00,000	जारी की गई और प्रदत्त . . .		30,00,00,000
	2. रक्षित राशियां और रक्षित निधि		
12,00,70,000	(i) रक्षित निधि . . .	14,47,20,000	
	(ii) अन्य रक्षित राशियां . . .		
41,64,126	(क) निवेश की रक्षित राशि . .	61,59,609	16,08,79,609
	3. उपहार, अनुदान, चंदे और दान		
—	(i) सरकार से		—
—	(ii) अन्य स्रोतों से . . .		—
—	**4. बांड और डिबेंचर** . . .		—
—	**5. जमा राशियां** . . .		—
	6. ऋण . . .		—
	(i) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से		
	(क) स्टॉक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों की जमानत पर . . .	—	
	(ख) विनिमय बिलों या वचन पत्रों की जमानत पर	—	
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं)		
26,26,71,044	निधि में से . .	55,04,21,044	
	(ii) भारत सरकार से		
10,00,00,000	(क) ब्याज और मुक्त ऋण . .	10,00,00,000	
1,39,43,52,539	(ख) अन्य ऋण . . .	1,36,69,18,156	
—	(ii) अन्य स्रोतों से . . .	—	
—	(iii) विदेशी चलमुद्रा में . . .	—	2,01,73,39,200
5,73,55,813	**7. चालू देयताएं और व्यवस्थाएं** . .		7,49,34,176
2,13,86,13,522	आगे ले जाया गया		2,54,31,52,985

विकास बैंक
की तुलन पत्र

सामान्य निधि

पिछला वर्ष	आस्तियां	यह वर्ष	
रुपये		रुपये	रुपये
	1. नकदी और बैंक शेष		
72,577	(i) हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास शेष*	20,34,321	
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष . .		
—	(क) चालू खाते में . . .	5,186	
—	(ख) जमा खाते में . . .	—	20,39,507
	2. निवेश@		
2,74,18,214	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में	4,46,51,949	
24,32,54,044	(ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में	27,85,04,044	
10,45,36,189	(iii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों, और डिबेंचरों में ** . . .	14,44,24,137	46,75,80,130
	3. ऋण और अग्रिम		
63,76,87,733	(i) अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य वित्तिय संस्थाओं को	78,32,24,913	
56,20,84,969	(ii) औद्योगिक संस्थाओं को . .	66,94,33,400	1,45,26,58,313
42,86,08,008	**4. विनिमय बिल और वचनपत्र जिनका भाँजन या पुनर्भाजन किया गया** . . .		58,79,91,682
	5. परिसर		
—	(लागत में से मूल्य ह्रास घटाकर) . .		—
2,68,844	**6. अन्य अचल आस्तियां** (लागतमें से मूल्य ह्रास घटाकर)		6,38,363
3,46,82,944	**7. अन्य आस्तियां**		3,22,44,990
2,13,86,13,522	आगे ले जाया गया		2,54,31,52,985

भारतीय औद्योगिक
30 जून 1971

पिछला वर्ष		देयताएं	रुपये	यह वर्ष
रुपये				रुपये
2,13,86,13,522		आगे लाया गया		2,54,3,52,985
		8. लाभ-हानि लेखा		
	3,89,40,829	संलग्न लेखे से अंतरित किया गया लाभ शेष	3,40,25,353	
	3,09,40,000	**घटाइए** :रक्षित निधि को अंतरित	2,46,50,000	
		घटाइए : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22(2) के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अंतरित किया जाने वाला शेष	93,75,353	
—	80,00,829			—
2,13,86,13,522				2,54,31,52,985
		फुटकर देयताएं		
	4,45,060	(i) बैंक पर किए गए दावे जिनको ऋणों के रुप में स्वीकार नहीं किया गया	4,45,060	
	40,63,92,799	(ii) जारी की गई गारंटियां**	33,95,63,933	
	3,06,11,973	(iii) हामीदारी की वचनबद्धता के लिए	2,37,98,000	
	17,31,255	(iv) अंशत: प्रदत्त शेयरों ,डिबेंचरों आदि पर मांग न की गई राशियो के लिए ...	4,33,83,040	
	—	(v) वे राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	—	
	43,91,81,087		40,71,90,033	

**इनमें 19,85,89,023 रुपयो की देयता की राशि शामिल है जिसे सहभागी वित्तीय संस्थाएं वहन करने के लिए सहमत हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट, के अनुसार

के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बंबई, 19 अगस्त, 1971

विकास बैंक
को तुलन पत्र **सामान्य निधि**

पिछला वर्ष	आस्तियां		यह वर्ष
रुपए		रुपए	रुपए
2,13,86,13,522	आगे लाया गया . . .		2,54,31,52,985
	8. लाभ हानि लेखा		
—	पिछले तुलन पत्र का शेष . . .	—	
—	संलग्न लेखे से अंतरित लाभ/हानि	—	
2,13,86,13,522			2,54,31,52,985

	वही मूल्य रुपए	बाजार मूल्य रुपए
@(क) निवेश जिनका भाव लगाया गया है . . .	14,82,42,079	18,57,00,139
(ख) निवेश जिनका भाव नहीं लगाया गया है . . .	31,93,38,051	—
	46,75,80,130	18,57,00,139
	रुपए	रुपए
*इसमें परेषण में रहने वाली नकदी राशि शामिल है . . .		19,36,500
**हासीदारी के दायित्वों के पूरे होने के कारण . . .	12,83,53,967	
क्रियाधिकार शेयरों और प्रत्यक्ष अभिदानों के कारण अर्जित	1,60,70,170	
		14,44,24,137
@@अर्जित आय	2,69,45,688	
निवेशों के आवेदन की राशि	40,99,755	
अन्य	11,99,547	
		3,22,44,990

बोर्ड के आदेशानुसार

बी० बी० भट्ट
जनरल मैनेजर

एस० जगन्नाथन, अध्यक्ष
बी० बी० धारी, उपाध्यक्ष
पी० एल० टण्डन, निदेशक
जी० बसु०, निदेशक

बंबई, 16 अगस्त, 1971

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1971 को समाप्त हुए

पिछला वर्ष	व्यय	यह वर्ष
रुपए		रुपए
7,37,90,182	1. जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज . . .	8,59,47,656
39,24,013	2. स्थापना खर्च	72,28,326
27,355	3. निदेशकों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की फीस और खर्च . .	33,837
9,000	4. लेखा परीक्षकों की फीस	9,000
3,91,906	5. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	12,75,824
2,57,361	6. विधि-प्रभार	2,16,942
14,997	7. डाक, तार और मुद्रांक	28,147
72,044	8. लेखन-सामग्री, छपाई, विज्ञापन आदि	1,49,449
31,168	9. मूल्य ह्रास	40,586
—	10. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक हानि (जिसे रक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है) . . .	—
3,13,554	11. अन्य खर्च	4,27,667
3,89,40,829	12. लाभ शेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया है	3,40,25,353
11,77,72,409		12,93,82,787

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 19 अगस्त 1971

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1971 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संलग्न तुलना-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के बैंक के लाभ-हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है और हम नीचे लिखे अनुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि :—

1. हमने नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालयों में पुनर्भाजित किये गये विनिमय बिलों तथा उनके पास रहने वाले पुनर्वित्त सहायता से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन तो नहीं किया है किन्तु उनके बारे में क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार कर लिया है।

2. उपर्युक्त तथ्य के अधीन :—

(क) हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं वे सब हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक हैं।

(ख) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है, उसके अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें ऐसे सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं जिनसे 30 जून, 1971 तक के बैंक के कार्यकलाप की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलन-पत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की शर्तों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 19 अगस्त 1971

विकास बैंक

वर्ष का लाभ हानि लेखा सामान्य निधि

पिछला वर्ष	आय (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और उपर्युक्त व्यवस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था को घटाने के बाद)	यह वर्ष
रुपए		रुपए
9,54,75,993	1. ब्याज और भाजन	10,86,08,407
1,89,60,632	2. निवेशों से आय	1,68,80,369
27,71,570	3. कमीशन, दलाली आदि	29,67,031
—	4. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे रक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है) . . .	—
5,64,214	5. अन्य आय*	9,26,980
—	6. हानि शेष जिसे तुलन पत्रों में ले आया गया है	—
11,77,72,409		12,93,82,787

*इसमें निधि के प्रशासन और उपयोग से संबंधित खर्च के लिए विकास सहायता निधि से प्राप्त 4,77,250 रु० शामिल हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

एस० जगन्नाथन, अध्यक्ष
वी० वी० भारी, उपाध्यक्ष
पी० एल० टण्डन, निदेशक
जी० बसु०, निदेशक

बी० बी० भट्ट
जनरल मैनेजर
बम्बई, 16 अगस्त 1971

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1971

पिछला वर्ष	देयताएं	यह वर्ष	
रुपए		रुपए	रुपए
	1. ऋण		
27,34,92,050	(i) सरकार से	26,39,77,167	
—	(ii) अन्य स्रोतों से . . .	—	
			26,39,77,167
	2. उपहार, अनुदान, चंदे और दान		
—	(i) सरकार से	—	
—	(ii) अन्य स्रोतों से . . .	—	
			—
	3. अन्य देयताएं और व्यवस्थाएं		
4,94,750			4,77,370
	4. लाभ-हानी लेखा		
1,38,37,511	पिछले तुलनपत्र का शेष . . .	2,16,22,842	
77,85,331	संलग्न लेखे से अंतरित किया गया लाभ शेष .	97,75,547	
			3,13,98,389
29,56,09,642			29,58,52,926

आकस्मिक देयताएं

—	(i) बैंक पर दिए गए दावे जिनको ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	—
—	(ii) जारी की गई गारंटियों के लिए .	—
—	(iii) हामीदारी की वचनबद्धता के लिए .	—
—	(iv) अंशतः प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांग न की गयी राशियों के लिए	—
—	(v) वे राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	—
—		—

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 19 अगस्त 1971

विकास बैंक

को तुलन पत्र **विकास सहायता निधि**

पिछला वर्ष	आस्तियां	यह वर्ष	
रुपये		रुपए	रुपए
	1. नकदी और बैंक शेष		
	(i) हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया		
6,294	के पास शेष	1,818	
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष . .		
—	(क) चालू खाते में . . .	—	
—	(ख) जमा खाते में . . .	—	
			1,818
	2. निवेश@		
2,50,30,225	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रति-		
	भूतियों में	4,18,04,684	
	(ii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों		
1,83,45,150	और डिबेंचरों में* . . .	1,79,55,310	
			5,97,59,994
24,47,50,000	**3. ऋण और अग्रिम**		22,72,50,000
74,77,973	**4. अन्य आस्तियां**		88,41,114
	5. लाभ-हानि लेखा . . .		
—	पिछले तुलन पत्र का शेष . . .		—
—	संलग्न लेखे से अंतरित लाभ/हानि . .		—
29,59,09,642			29,58,52,926

	बही मूल्य रुपये	बाजार मूल्य रुपये
@(क) निवेश जिनका भाव लगाया गया . . .	5,97,59,994	9,66,14,596
(ख) निवेश जिनका भाव नहीं लगाया गया . . .	—	—
	5,97,59,994	9,66 14596

*हामीदारी दायित्वों को निभाने के कारण अर्जित

बोर्ड के आदेशानुसार

बी० बी० भट्ट
जनरल मैनेजर

बम्बई, 16 अगस्त 1971
9—169GI/72

एल० जगन्नाथन, अध्यक्ष
बी० बी० भारी, उपाध्यक्ष
पी० एल० टंडन, निदेशक
जी० बसु, निदेशक

भारतीय औद्योगिक
30 जून 1971 को समाप्त हुए

पिछला वर्ष	व्यय	यह वर्ष
रुपये		रुपये
1,50,42,000	1. उधारों पर अदा किया गया ब्याज	1,50,41,602
4,94,750	2. स्थापना खर्च**	4,77,250
—	3. लेखा परीक्षकों की फीस	—
—	4. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	—
—	5. विधि-प्रभार	—
—	6. डाक, तार और मुद्रांक	—
—	7. लेखन-सामग्री, छपाई, विज्ञापन आदि	—
—	8. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक हानि (जिसे रक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	—
—	9. अन्य खर्च	—
77,85,331	10. लाभ शेष जिसे तुलनपत्र में ले जाया गया है	97,75,547
2,33,22,081		2,52,94,399

**इस निधि के प्रशासन और उपयोग से संबंधित सामान्य निधि को की गई प्रतिपूर्ति का परिचायक है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 19 अगस्त 1971

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1971 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकास सहायता निधि के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के निधि के लाभ-हानि लेखे की लेखा-परीक्षा की है और हम नीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्ट देते हैं कि :—

1. हमने लेखा परीक्षा के लिए जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं, वे सब हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक हैं।
2. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार, उक्त तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें ऐसे सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं जिनसे 30 जून 1971 तक के निधि के कार्यकलाप की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलन-पत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की शर्तों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

बम्बई, 19 अगस्त 1971

विकास बैंक
वर्ष का लाभ-हानि लेखा **विकास सहायता निधि**

पिछला वर्ष	आय (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए की गई व्यवस्था को घटाने के बाद)	यह वर्ष
रुपये		रुपये
1,98,47,632	1. ब्याज	1,87,26,575
10,03,570	2. निवेशों से आय	57,57,468
----	3. कमीशन, दलाली आदि	—
24,70,879	4. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे रक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नाम नहीं डाला गया है) . . .	8,10,356
—	5. अन्य आय	—
—	6. हानि शेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया है	—
2,33,22,081		2,52,94,399

बोर्ड के आदेशानुसार

वी० वी० भट्ट
जनरल मैनेजर

एस० जगन्नाथन, अध्यक्ष
वी० वी० चारी, उपाध्यक्ष
पी० एल० टण्डन, निदेशक
जी० बसु, निदेशक

बम्बई, 16 अगस्त 1971

(30 जून 1971 को)

प्रमुख अधिकारी

जनरल मैनेजर	बी० बी० भट्ट
संयुक्त जनरल मैनेजर	बी० एम० मलहोत्रा
डिप-जनरल मैनेजर	एम० एन० काले
	वाई० एस० केदारी
	एन० के० सील
	ए० एन० बिज
सचिव	एस० कृष्णमूर्ति
मैनेजर	ओ० पी० बेरी
	डी० एम० दीक्षित
	टी० एन० गिडवानी
	डी० पी० गुप्ता
	पी० सी० जैन (कानपुर शाखा कार्यालय)
	एम० डी० जोशी
	एस० डी० खोसला
	आई० जे० लाल (नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय)
	एस० एम० पालिया
	सी० एस० पामी (हैदराबाद शाखा कार्यालय)
	एम० एस० पारीख (कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय)
	बी० प्रसाद
	एम० आर० बी० पुंजा (मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय)
	बी० एस० राघवन
	एस० राजेन्द्रन
	एन० जी० सेन
	सी० आर० सेन गुप्ता (कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय)
	एन० बी० सीताराम
	एस० के० सुब्रमणियन
	डी० सी० बधवा

मुख्य/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के पते

मुख्य कार्यालय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज,

पोस्ट बाक्स सं० 1241, बंबई–1

तार : INDBANKIND

क्षेत्रीय कार्यालय	**पता**
कलकत्ता	रिजर्व बैंक बिल्डिंग,
	15, नेताजी सुभाष रोड
	पोस्ट बैग सं० 45,
	कलकत्ता–1 (पश्चिम बंगाल)

मद्रास	'कुर्लगम' बिल्डिंग, एस्प्लेनेड, पोस्ट बैग सं० 5030, मद्रास–1 (तमिलनाडु)
	बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग,
नई दिल्ली	16, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स सं० 231, नई दिल्ली

शाखा कार्यालय

बंगलूर	रिज़र्व बैंक एक्नेस बिल्डिंग, 10/3/8, नृपथुंगा रोड, बंगलूर–2 (मैसूर)
भोपाल	40, न्यू मार्केट, टी० टी० नगर, भावभादा रोड़, भोपाल–3 (मध्य प्रदेश)
चंडीगढ़	'जीवनदीप' बिल्डिंग, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़–17
गौहाटी	शेख बिल्डिंग, पान बाजार, गौहाटी–1 (असम)
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, ट्रूप बाजार, हैदराबाद–1 (आंध्र प्रदेश)
जम्मू	15, सी ब्लाक, एक्स्टेंशन गांधी नगर, जम्मू–4 (जम्मू और कश्मीर)
कानपुर	रिजर्व बैंक आफ इंडिया न्यू बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड़, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
पटना	रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, गांधी मदान के दक्षिण में, पटना–1 (बिहार)
त्रिवेन्द्रम	'बेलहेवन', त्रिवेन्द्रम–3 (केरल)

RESERVE BANK OF INDIA

Central Office

DEPARTMENT OF NON-BANKING COMPANIES

Calcutta-1, *the 1st July* 1972

Ref. No. DNBC.13/DG(S)-72.—In exercise of the powers vested in the Reserve Bank of India by sub-clause (iv) of clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, the Reserve Bank hereby notifies the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd. as a financial institution for the purposes of the above sub-clause.

Ref. No. DNBC.14/DG(S)-72.—In exercise of the powers vested in the Reserve Bank of India by sub-clause (iv) of clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, the Reserve Bank hereby notifies the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd. as a financial institution for the purposes of the above sub-clause.

S. S. SHIRALKAR
Deputy Governor.

Agricultural Credit Department

Bombay-18, *the 3rd July* 1972

CORRIGENDUM

In the notification ACD No. 28/A.18-71/72 dated 25 April 1972 issued by the Reserve Bank of India, Agricultural Credit Department and published in Hindi at page No. 995 in the Gazette of India, Part III—Section 4 dated 6 May 1972, *for* 'Central Bank of Employees Co-operative Bank Ltd., Madras' at Sr. No. 5 thereof, *read* 'Central Bank of India Employees' Cooperative Bank Ltd., Madras.'

T. S. K. CHARI
Joint Chief Officer.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-1, *the 1st June* 1972

No. 1-CA(50)/72.—In pursuance of Regulation 59(5) of the Chartered Accountants Regulations 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of the Central India Chartered Accountants' Students Association at Indore with effect from 1st April 1972.

The Branch shall be known as Indore Branch of the Central India Chartered Accountants' Students Association.

As prescribed under Rule 4(b) of the Chartered Accountants Students' Association Rules, the branch shall at all time function subject to the control, supervision and direction of the Central Council exercised through the concerned Regional Council or the Chartered Accountants Students' Association and shall be governed by the Directions issued by the Central Council for the functioning of the branches of the Students' Association or such other Directions that may be issued from time to time.

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

The 30th June 1972

No. 1-CA(53)/72.—The following draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (Act XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after the 21st August, 1972.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

In the said Regulations :—

I. For the existing Regulations 138 & 139, substitute the following :—

"138. *Special meeting of Council*

(1) A special meeting of the Council may at any time be called at the request in writing addressed to the Secretary, by at least 25 per cent of the members of the Council for the time being.

(2) The President, or in his absence, the Vice-President may at any time direct by an order in writing that a Special Meeting of the Council be called."

"139. *Notice of Council Meeting*

A notice of the time and place of a meeting shall be sent to the registered address of every member of the Council not less than twenty-one days before such meeting and such notice shall, as far as practicable, contain a statement of the business to be transacted at the meeting :

Provided that the Council shall have the right to consider any item brought before the meeting with the permission of the Chair and of which no prior notice had been given to the members provided atleast two-third of the members of the Council are present at the meeting :

Provided further that no resolution in respect of an item which is introduced by the Chair at the time of the meeting as aforesaid shall be considered to have been passed unless votes cast in its favour represent more than half of the total number, for the time being, of the members of the Council :

Provided further that in the case of Special Meeting, the notice of the meeting may be sent fourteen days before such meeting.

Explanation :

The validity of any decision of the Council on any item considered by a validly convened meeting of the Council shall not be called in question merely because notice of the said item had not been given to the members who did not attend the said meeting."

II. In the proviso to sub-regulation (2) of regulation 142, for the words "all the members" substitute the words "three-fourth of the members".

T. S. GREWAL
Director of Studies
For *Secretary.*

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi-1, the 19th June 1972

No. 14-4/71-*EP*.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely :—

(i) These regulations may be called the Food Corporation of India (Staff) 7th Amendment Regulations, 1972.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 5th of June, 1972.

2. The following amendments should be made in Appendix 3 to the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 :—

"Substitution of para 1 of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Food, New Delhi, letter No. 5/1/68-REI dated 30-11-1971 as Appendix 3 to the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 in place of the Ministry of Home Affairs O.M. No. F. 14/8/69-Estt. (D) dated 5-6-1969."

3. The Ministry of Agriculture, Department of Food, New Delhi letter No. 5/1/68-REI dated 30-11-1971 referred to above is reproduced below :—

Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Food, New Delhi letter No. 5/1/68-REI dated the 30th November, 1971 addressed to the Secretary, Food Corporation of India, New Delhi and copy endorsed to the Department of Personnel (CS III) and the Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi.

Subject : Redeployment of Food Department transferees rendered surplus from the service of the F.C.I. as a result of the Corporation ceasing to perform certain functions.

1. I am directed to say that the question of redeployment of Food Department transferees who may be renedred surplus from the service of the Food Corporation of India as a result of the Corporation ceasing to perform certain functions/being wound up, has been under consideration for sometime past. It has now been decided in consultation with the Ministry of Finance and Department of Personnel that in the event of reduction of the functions of the F.C.I./winding up of the Corporation and the consequent retrenchment from the service of the Corporation, the Food Department transferees, *i.e.*, the employees transferred to the F.C.I. from the Food Department under the Food Corporations (Amendment) Act, 1968, would be rendered re-employment assistance in accordance with or consistent with the general Government policy in the matter.

2. This supersedes the instructions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memo No. F. 14/8/69-Estt. (D) dated the 5th June, 1969, as incorporated in Appendix-3 in the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

I. S. KANSAL
Joint Personnel Manager
for *Personnel Manager.*

DEPARTMENT OF POSTS AND TELEGRAPHS

Office of the Director General Posts & Telegraphs

NOTICE

New Delhi, the 3rd July 1972

No. 25/33/72-*LI*.—Postal Life Insurance EA/55 policy No. 45053-C dated 30-6-52 for Rs. 3000/- held by Sh. E. Ramaswami having been lost from the *departmental custody*, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, PLI, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

NOTICE

The 6th July 1972

No. 25/82/72-*LI*.—Postal Life Insurance EA/50 policy No. 109023-C dated 22-1-68 for Rs. 4000/- held by Sh. Dhiresh Rajan Dev having been lost from the *departmental custody*, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

R. KISHORE
Director (PLI).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 जलाई 1972

सूचना

सं० 7/72—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 24वीं सामान्य वार्षिक बैठक 28 सितम्बर 1972 को 4 बजे अपराह्न (स्टैंडर्ड टाइम) इम्पीरियल होटल, जनपथ, नई दिल्ली में होगी :—

(1) 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में निगम का तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण तथा उसके साथ निगम के उक्त वर्ष के कार्य के सम्बन्ध में निदेशक-मंडल की रिपोर्ट और उक्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट को पढ़ना और उस पर विचार करना।

(2) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत, मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड लेखापाल, बम्बई, जो रिटायर हो रहे हैं किन्तु पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं, के स्थान पर औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट पार्टियों अर्थात् अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों तथा सहकारी बैंकों द्वारा अर्हता-प्राप्त लेखापरीक्षक चुनना जो कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 226 के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर सके।

बलदेव पसरीचा,
महाप्रबन्धक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 13th July 1972

NOTICE

No. 7/72.—Notice is hereby given that the TWENTY-FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Thursday, the 28th September, 1972, at 4.00 P.M. (Standard Time) at Hotel Imperial, Janpath, New Delhi, to transact the following business :—

(1) To read and consider the Balance Sheet of the Corporation and the Profit and Loss Account for the year ended the 30th June, 1972, together with the Report by the Board on the working of the Corporation for the year and the Auditors' Report on the said Balance Sheet and Accounts.

(2) To elect under Section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, one Auditor duly qualified to act as Auditor of Companies under Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Industrial Finance Corporation Act, namely scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other like financial institutions, and cooperative banks, in place of Messrs Haribhakti & Company, Chartered Accountants, Bombay, who retire but are eligible for re-election.

BALDEV PASRICHA
General Manager

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972